लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is Translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. In English/Hindi.]

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

4 मार्च , 1970 । 13 फाल्गुन, 1891 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
xx	पंक्ति 11 , `सेवा ` के स्थान पर `लेखा `पढ़िये ।
161	अन्तिम पंक्ति में `उपाध्यक्ष ` के स्थान पर ` अध्यक्ष ` पढ़िये । Dy. Speaker Speaker

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—11, बुधवार, 4 मार्च, 1970/13 फाल्गुन, 1891 (शक)
No.—11, Wednesday, March 4, 1970/Phalguna 13, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
211. भारतीय उद्योगपति द्वारा नेपाल में कपड़ा मिलों की स्थापना	Setting up of Textile Mills in Nepal by Indian Industrialist	1—3
212. राष्ट्र मंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन (1970)	Commonwealth Prime Ministers' Conference (1970)	3—5
213. भारत के रास्ते नेपाली माल का निर्यात	Export of Nepalese Goods through India	5—9
214. यूरोपीय आर्थिक समुदाय को पटसन का निर्यात	Export of Jute to European Economic Community	9—12
215. भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों का बन्द किया जाना	Closure of Foreign Cultural Centres in India	12—13
216. चाय का निर्यात	Export of Tea	14—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
217. रूसी मानचित्र में नेफा को चीन का क्षेत्र दिखाया जाना	NEFA shown as Chinese Territory in Soviet Map	15—16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
218. पेकिंग रेडियो द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को भड़काया जाना	Incitement to Indian Revolutionaries through Peking Radio	16
219. कपास का रक्षित भंडार	Buffer Stock of Cotton	16—17
220. रूस द्वारा डी० टी० 14 ट्रैक्टरों की बिक्री तथा मरम्मत	Sale and Servicing of DT 14 Tractors Supplied by USSR	17
221. पूर्वी यूरोप के देशों को निर्यात	Export to East European Countries	17—18
222. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लिये सम्मान का स्थान	Roll of Honour for Netaji Subhash Chandra Bose	18
223. दक्षिण वियतनाम में अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता	Recorgnition of Provisional Revolutionary Government in South Vietnam	18—19
224. भारत नेपाल सम्बन्धों को बिगाड़ने के उद्देश्य से नेपाल के लिपे चीन पाकिस्तान के प्रसारण	Sino-Pak Broadcasts Beamed to Nepal Aimed at Damaging Indo-Nepal Relation	19
225. रूस द्वारा ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Tractors by USSR	19—20
226. हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं	Power Projects under construction in Himachal Pradesh	20—22
227. यूरोप के देशों में भारतीय कागज तथा कागज की बनी वस्तुओं की मांग	Demand for Indian Paper and Paper Goods in European Countries	22
228. पास पोर्ट जारी करने में विलम्ब	Delay in Issue of Passports	23
229. उड़ीसा के लिये योजना परिव्यय को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Plan Outlay for Orissa	23—24
230. भारतीयों को कांगो छोड़ने का आदेश	Indians Orderd to Leave Congo	24

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
231. स्टेनलैस स्टील के लिये अग्रिम आयात लाइसेंस सम्बन्धी नीति	Policy re. Advance Import Licences for Stainless Steel	24—25
232 देश में सुपर ग्रिडो का निर्माण	Construction of Super Grids in the Country	25
233. सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये नई तकनीक का विकास	Development of New Technology to Combat Drought	25
234. पाकिस्तान को अमरीका से पुनः सैनिक सहायता का मिलना	Resumption of US Military Aid to Pakistan	26
235. त्रिवेन्द्रम में सांस्कृतिक केन्द्र को पूरा करने के लिये रूसी दूतावास द्वारा अनुमति मांगना	Soviet Embassy Seeking Permission to Complete Cultural Centre at Trivandrum	26
236. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्राम्बे पर बमबारी करने के बारे में पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री की कथित योजना	Reported Plan of former Foreign Minister of Pakistan re. Bombing of Trombay during 1965 Indo Pak War	26—27
237. केलों का निर्यात	Export of Bananas	27
238. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयात को अपने हाथ में लेना	Taking over of Import by Minerals and Metals Trading Corporation	28
239. पाकिस्तान को रूसी टैंकों की सप्लाई	Supply of Soviet Tanks to Pakistan	28
240. भाखड़ा समूह का प्रबन्ध	Management of Bhakra Complex	28—29

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.		
1401. रंगीन फिल्म के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त करने में देरी	Delays in Obtaining Import Licences for Colour Films	29—30

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1402. चाय का निर्यात	Export of Tea	30—31
1403. भारतीय दूतावासों पर व्यय	Expenditure on Indian Embassies	31
1404. कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट (इण्डिया) के नियंत्रण बोर्ड की बैठक	Meeting of Board of Control of Canteen Stores Department (India)	31—32
1405. विदेशों में बसे सम्बन्धियों से टेलीविजन सेटों के लिये आयात परमिट के उपहार	Issue of Import Permit for Gift of T. V. Sets from Relatives Abroad	32
1406. विदेशों में स्थापित औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Projects Set up in Foreign Countries	32—33
1407. कपड़े का निर्यात	Export of Textiles	33—34
1408. चाय बोर्ड का गठन	Constitution of Tea Board	34
1409. सियूल और सलाल परियोजनाओं के लिए पृथक चीफ इन्जीनियरों की नियुक्ति	Appointment of Separate Chief Engineers for Seul and Salal Projects	34—35
1410. भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता स्थापित करने के लिये काश्मीर और फरक्का विवादों को हल करना जरूरी	Indo Pak. Amity Tied with Settlement of Kashmir and Farakka Issues	35
1411. कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) के महाप्रबन्धक का सेवाकाल बढ़ाया जाना	Extension of Service given to General Manager Canteen Stores Department (India)	35—36
1412. विदेशों के सरकारी, गैर-सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा प्रतिनिधि मंडलों की भारत यात्रा	Visit of Foreign Official/Unofficial Dignataries Delegations to India	36
1413. मैंगनीज के निर्यात व्यापार का ठप्प होना	Loss of Export Market in Manganese	36
1414. केन्द्रीय विधि मंत्री, श्री पी० गोविन्द मेनन, की अस्तियों की जांच	Enquiry into Assets of Shri P. Govinda Menon, Union Law Minister	36—37

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1415. लघु-उद्योगों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Small Scale Industries	37—38
1416. विदेशों को रेलवे उपकरणों की सप्लाई	Supply of Railway Equipment to Foreign Countries	38
1417. भारतीय विदेश सेवा के पुनर्गठन के बारे में पिल्ले समिति की रिपोर्ट	Pillai Committee Report on Reorganisation of Indian Foreign Service	39
1418. नागा और मिजो पहाड़ियों में मृत/आहत हुए व्यक्तियों की संख्या	Death/injury Caused in Naga and Mizo Hills	39
1419. भारतीय जल सीमा में अमरीका द्वारा जासूसी	Espionage by USA in Indian Territorial Waters	39—40
1420. विदेशों से उपहार के रूप में प्राप्त ट्रैक्टर तथा उनका वितरण	Tractors Received as Gift from Foreign Countries and their Distribution	40
1421. भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अपाहिज हुए प्रतिरक्षा कर्मचारियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Defence Personnel Disabled during Indo Pak. Conflict	40—41
1422. संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं को अनुदान	Grants to U. N. Organisation	41
1423. नागालैंड में निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति पर विद्रोही नागाओं की रिहाई	Naga Hostiles Released on Expiry of Preventive Detention Act in Nagaland	41—42
1425. प्रोद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य	Technological Policy Statement	42
1426. काठमांडू घाटी का नेपाल की तराई तथा भारत से मिलाने वाला राष्ट्रीय राजपथ	National Highway Linking Kathmandu Valley with Nepalese Terai and India	42—43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1427.	नगरीय सम्पत्ति अधिकारों के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचार	Views Expressed by Minister of State for Industrial Development regarding Urban Property Rights	43
1428.	त्रिवेन्द्रम में सांस्कृतिक केन्द्र भवन के गिरने से मरे मजदूरों के परिवारों को मुआवजा	Compensation to Labourers Killed as a Result of Collapse of the Cultural Centre Building in Trivandrum	43–44
1429.	संसद् विज्ञों के शिष्टमंडलों को विदेश भेजना	Delegations of Parliamentarians Sent Abroad	44
1431.	मणिपुर के लिये वार्षिक योजना परिव्यय	Annual Plan Outlay for Manipur	45
1432.	चतुर्थ योजना के लिये आन्तरिक संसाधन	Internal Resources for Fourth Plan	45
1433.	भारत में प्रति व्यक्ति आय	India's Per Capita Income	45
1434.	चाय पर एक समान उत्पादन शुल्क लगाना और निर्यात शुल्क हटाना	Levy of Uniform Excise Duty and Abolition of Export Duty on Tea	46
1435.	प्रत्येक राज्य में बाढ़ से हुई क्षति	Damage Caused by Flood in Each State	46
1436.	मैसर्स मलिक इलैक्ट्रिक वर्क्स, बम्बई द्वारा तांबे तथा जस्ते की छड़ों का आयात	Import of Copper Rods and Zinc Rods by M/s. Malik Electric Works, Bombay	46—47
1437.	मणिपुर में एक कताई मिल की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal for Setting up a Spinning Mill in Manipur	47
1438.	टेलीविजन सेटों का निर्माण	Production of T. V. Sets	47—48
1439.	केरल के लिये वार्षिक योजना परिव्यय	Annual Plan Outlay for Kerala	48—49
1440.	भारत ईरान के बीच आर्थिक सहयोग के लिये बातचीत	Indo-Iranian Talks on Economic Collaboration	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1441.	पोलैंड के 1970 के मेले में भारत का भाग लेना	Participation in Polish Fair 1970	49
1442.	बिहार काटन मिल्स लिमिटेड, पटना द्वारा तकुओं में वृद्धि के लिये अनुमति की मांग	Permission for Increase of Spindles by Bihar Cotton Mills Ltd., Patna	50
1443.	ऊन की कमी	Shortage of Wool	50
1444.	बन्द कपड़ा मिलों को अधिकार में लेना	Taking Over of Closed Textile Mills	51
1445.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम का केन्द्रीय क्रय तथा विक्रय संगठन	Central Purchase and Sales Organisation of National Textile Corporation	51—52
1446.	भारतीय व्यापारी दल की जापान यात्रा	Indian Trade Team for Japan	52
1447.	निर्यात के लिये आमों का परिरक्षण और डिब्बा बन्द करना	Preservation and Canning of Mangoes for Export	52—53
1448.	राजकीय व्यापार निगम द्वारा आयात	Import through STC	53
1449.	पाकिस्तान और सऊदी अरब का संयुक्त बैंक	Joint Pakistani Saudi Arabian Bank	53
1450.	मध्य प्रदेश के ग्रामों में बिजली	Rural Electrification of Madhya Pradesh	54
1451.	श्रीलंका में राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों के बारे में श्रीलंका भारत समझौता	Indo Ceylonese Pact Regarding the Stateless in Ceylon	54
1452.	फ्लास्कों का कम उत्पादन	Low Production of Flasks	55
1454.	अमरीका को व्यापार प्रतिनिध मंडल	Trade Delegation to USA	55
1455.	चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रतिरक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि	Amount to be Spent on Defence during Fourth Plan	56

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1456.	कृत्रिम कपड़े का आयात Import of Synthetic Fabrics	56
1457.	ब्रिटेन में अश्वेत आव्रजकों के साथ कठोर व्यवहार Harash Treatment to Coloured Immigrants in U. K.	56—57
1459.	चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये धन का नियतन Allocation for Electrification of Villages during Fourth Five Year Plan	57—58
1460.	देहाती क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई सम्बन्धी समिति Committee on Supply of Electricity to Rural Areas	58—59
1461.	पी० एल०-480 के अन्तर्गत अमरीका से कपास का आयात Import of Cotton from USA under P L 480	59
1462.	भारत-नेपाल वार्ता Indo Nepal Talks	59—60
1463.	चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र परिव्यय में कथित कृत्रिम वृद्धि Alleged Artificial Increase in Public Sector Outlay in Fourth Plan	60
1465.	साझा बाजार विनियमों का पाकिस्तान पर लागू होना Applicability of Common Market Regulations to Pakistan	60—61
1466.	नीदरलैंड के सहयोग से एफ० 28 फैलोशिप परिवहन विमान का उत्पादन Production of F-28 Fellowship Transport Aircraft with Netherlands Collaboration	61
1467.	रूस के उड्डयन मंत्रियों द्वारा दौरा Soviet Aviation Ministers Visit	61—62
1468.	कागज का आयात Import of Paper	62
1469.	अवमूल्यन के बाद रद्द किये गये आयात लाइसेंसों का नवीकरण Renewal of Import Licences Suspended After Devaluation	62
1470.	विदर्भ के विकास के लिये विशेष अनुदान Special Grant for Development of Vidarbha	63
1471.	कपास के मूल्य Prices of Cotton	63
1472.	कपास के मूल्यों में अस्थिरता Instability of Prices of Cotton	63—64
1473.	सेना में कम्प्यूटर लगाना Installation of Computers in Army	64

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1474. चीन और पाकिस्तान के प्रति अमरीका की नीति में परिवर्तन	Shift in US Policy towards Pakistan	64
1475. सैनिक सम्मान के रूप में नेताजी महावीर चक्र देना और भारतीय सेना की दो डिवीजनों के नाम नेताजी के नाम पर रखना	Introduction of Netaji Mahavir Chakra as a Initary Honour and Renaming of two Divisions of Indian Army After Netaji	64—65
1476. आजाद हिन्द फौज के सैनिक सामान को इकट्ठा करना तथा सुरक्षित रखना	Collection and Preservation of Military Material of Azad Hind Fauj	65—66
1477. आजाद हिन्द फौज के इतिहास को सैनिक अकादमियों के अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल करना	History of Azad Hind Fauj to be Included in the Syllabus of Studies in Military Academies	66
1478. वियतनाम में शान्ति स्थापित करने के लिये भारत का प्रस्ताव	Indian Move for Peace in Vietnam	66
1479. सेना में कार्य कर रहे लोअर डिवीजन क्लर्कों की अपर डिवीजन क्लर्कों के रूप में पदोन्नति	Promotion of LDCs. Serving in Army as UDCs.	66—67
1480 फरक्का बांध सम्बन्धी विवाद में मध्यस्थता के लिये पाकिस्तान की रूस से प्रार्थना	Pak. Request to USSR to Intercede in Farrakka Dispute	67
1481. यूगोस्लाविया को माल डिब्बों की सप्लाई	Supply to Wagons to Yugoslavia	67—68
1482. फरक्का बांध के कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-employment of Farrakka Barrage Employees	68
1483. तैवान के शिष्टमंडल की भारत यात्रा	Taiwan Delegation's Visit to India	68—69
1484. रेशम का आयात	Import of Silk	69

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1485. हिमाचल प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं तथा सिंचाई के अधीन भूमि की प्रतिशतता	Irrigation Schemes and Percentage of Land Under Irrigation of Himachal Pradesh	69—70
1486. सिंचाई परियोजनाओं के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में दी गई धनराशि	Funds Provided in Fourth Five Year Plan for Irrigation Scheme	70—71
1487. चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण तथा विद्युत-जनन की नई परियोजनाओं के लिये निश्चित की गई धनराशि	Amount Earmarked for Electrification and New Schemes for Power Generation in Fourth Five Year Plan	71—72
1488. यूरोपीय साझा बाजार के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade Relation with European Common Market	72—73
1489. राजदूत पद के लिये समाज सेवी व्यक्तियों की नियुक्ति	Public Men for Ambassadorial Posts	73—74
1490. सिगरेटों के निर्यात में कमी	Decline in Export of Cigarettes	74
1491. मैसूर में गाँवों में विद्युतीकरण तथा नलकूप लगाने की योजना	Schemes for Rural Electrification and Sinking of Tube Wells in Mysore	74—75
1492. नेफ्था रंगों की सप्लाई में कमी	Short Supply of Naphthal Dyes	75
1493. लंका के साथ व्यापार सम्बन्धी करार	Trade Agreement with Ceylon	76
1494. फलों तथा सब्जियों के निर्यात के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Export of Fruits and Vegetables	76
1495. पूर्वी तट पर राकेट छोड़ने के केन्द्र की स्थापना	Setting up of Rocket Launching Station on the Eastern Coast	76—77
1496. उखरुल सब डिवीजन में गैर लाइसेंस शुदा अग्न्यास्त्रों को बरामद करने के लिये सैनिक कार्यवाही स्थगित किया जाना	Suspension of Army Operations for Recovery of Unlicenced Firearms in the Ukhrul Sub Division	77

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1497.	भारत-श्री-लंका विद्युत ग्रिड के बारे में प्रस्ताव / Proposal for Indo Ceylonese Power Grid	77
1498.	शराब का निर्यात / Export of Liquor	77—78
1499.	विदेशी मिशनों के लिये सहायक कार्यालय / Ancillary Offices to Foreign Missions	78
1500.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिये धन की व्यवस्था / Funds for Rural Electrification Corporation	78
1501.	एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पुनः नौकरियों पर लेना / Rehabilitation of Emergency Commissioned Officers	79
1502.	वर्ष 1975 तक दिल्ली में बिजली की आवश्यकता / Power Need of Delhi by 1975	80
1503.	निके अपाचे नामक राकेट का छोड़ा जाना / Launching of Nike Apache Rocket	80—81
1504.	भारतीय सीमा सुरक्षा दल द्वारा कथित गोली चलाये जाने के विरुद्ध पाकिस्तान का विरोध / Pakistan's Protest Against Alleged Firing by Indian Border Security Force	81
1505.	राज्य व्यापार निगम के शिष्टमंडल की नेपाल यात्रा / STC Delegation to Nepal	81
1506.	पाकिस्तान द्वारा रूस के सहयोग से विमान कारखाने की स्थापना / Building up of an Aircraft Factory by Pakistan in Collaboration with USSR	81—82
1507.	पाकिस्तानी सेना को रूसी किस्म के ए० के० राइफलों से सज्जित करना / Pakistan Army being Equipped with Soviet Type A-K Rifles	82
1508.	इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, नई दिल्ली का जेनेरेटर एकक 205 / Generator Unit 206 Indraprashtha Power House, New Delhi	82
1509.	अफ्रीकी देशों में संयुक्त उद्योग स्थापित करने के अवसर / Opportunities for Setting up Joint Ventures in African Countries	82— 3

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1511. मंत्रालय में तीन वर्ष से अधिक समय अतिरिक्त लाभ के पदों पर काम करने वाले अधिकारी	Officers Working in Ministry on Posts Carrying Extra Benefits for More than Three Years	83
1512. प्रधान मंत्री के अधीन विभागों में अतिरिक्त लाभ के कुछ पदों पर तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे अधिकारी	Officers Working for Three Years on the same Posts Carrying Extra Gains in Departments under P. M.	83
1513. विभिन्न विभागों में अतिरिक्त लाभ के पदों पर तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे अधिकारी	Officers' Working in Various Departments on Posts Carrying Extra Gains for more than Three Years	83
1514. अतिरिक्त लाभ वाले पदों पर तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे अधिकारी	Officiating on Posts Carrying Extra Gains for more than Three Years	84
1515. आरक्षित पदों को अनारक्षित पदों में बदलना	Conversion of Reserved Posts into Unreserved Posts	84
1516. हिमाचल प्रदेश में सीमा वर्ती चौकियों का पीछे हटाया जाना	Withdrawal of Boundry Posts in Himacal Pradesh	84—85
1517. चीन की परमाणु क्षमता	Chinese Nuclear Capabilities	85
1518. राष्ट्रीय, राजनैतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में समन्वय	Co-ordination of National Political and Security Problems	85—86
1519. दिल्ली छावनी में फौजी बैरकों में देशी शराब का सप्लाई किया जाना	Country Liquor Supplied in Military Barracks in Delhi Cantonment	86
1520. रूस द्वारा पाकिस्तान को प्रक्षेपणास्त्रों की कथित सप्लाई	Reported Supply of Missiles by USSR to Pakistan	86

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1522. आल केरल कैशुनट (काजू) फैक्टरी वर्कर्स फैडरेशन, क्विलोन, केरल से ज्ञापन	Memorandum from the All Kerala Cashewnut Factory Workers Federation, Quilion, Kerala	87
1523. प्रतिरक्षा मंत्रालय के कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों का अनुपात निर्धारित करना	Fixation of Ratio of LDCs. and UDCs. in Offices under the Ministry of Defence	87
1524. मैसर्स साहू जैन्स द्वारा एम० डी० जूट मिल्स, कानपुर की खरीद	Purchase of M. D. Jute Mills, Kanpur by Messrs Sahu Jains	87—88
1525. हनोई स्थित भारतीय मिशन का दर्जा बढ़ाने में अमरीका के राजदूत का वक्तव्य	U. S. Ambassador's Statement on Raising States of the Indian Mission in Hanoi	88
1526. गुजरात के मुख्य मन्त्री द्वारा प्रधान मन्त्री को शिकायतों तथा माँगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना	Memorandum Outlining the Grievences and Demands of Gujarat Presented by the Chief Minister of Gujarat to the Prime Minister	88—89
1527. छावनियों में राज्य किराया नियंत्रण अधिनियमों को लागू करना	Application of State Rent Control Acts to Cantonments	89
1528. कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट	Fall in the Prices of Raw Jute	90
1529. प्राकृतिक रबड़ तथा संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन	Production of Natural Rubber and Synthetic Rubber	90—91
1530. मनोपुर में तुलीहल हवाई अड्डा	Tulikal Aerodrome in Manipur	91
1531. नई कछार सड़क	New Cachar Road	91—92
1532. वर्ष 1970-71 में निर्यात व्यापार	Export Trade during 1970-71	92
1533. ब्रिटेन द्वारा पनडुब्बी भेदी हैलीकोप्टरों की बिक्री	Sale of Anti Submarine Helicopters by U. K.	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1534.	सौराष्ट्र-गुजरात में आणविक बिजली-घर	Atomic Power Plant in Saurashtra-Gujarat	93
1535.	माल डिब्बों का निर्यात	Export of Wagons	93—94
1536.	लौंग दालचीनी तथा इलायची पर आयात शुल्क	Import Duty on Cloves, Cinnamon and Caradamom	94—95
1537.	संसद सदस्यों के लिये गणतंत्र दिवस परेड तथा बीटिंग आफ रिट्रीट, 1970 में बैठने की व्यवस्था	Seating Arrangement for MPs. on Republic Day Parade and Beating of Retreat, 1970	96
1538.	मलयेशिया में भारत मूलक व्यक्तियों के लिये नागरिकता	Citizenship for Malaysia Indians	96
1539.	तारापुर आण्विक शक्ति केन्द्र का राष्ट्र को समर्पण	Dedication of Tarapore Atomic Power Station to Nation	96—97
1540.	उत्तर प्रदेश में रुड़की के निकट गंगा नदी पर तट-बन्ध	Embankment on Ganga Near Roorkee in U. P.	97
1541.	श्रीलंका में भारतीयों की कठिनाइयां	Difficulties of Indians in Ceylon	97
1542.	जाली आयात लाइसेंसों का इस्तेमाल	Use of Forged Import Licences	97—98
1543.	अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संध्या में लोकतन्त्रात्मक गणराज्य जर्मनी के प्रतिनिधियों को न बुलाया जाना	Exclusion of GDR Delegation from International Cultural Evening	98
1544.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसधान केन्द्र, प्रयोगशाला एकक, पुना के कर्मचारियों के लिये काम के सामान्य घंटों का पुनः लागू किया जाना	Restoration of the Normal Working Hours to the Employees of the Central Water and Power Research Station, Laboratory Units, Poona	99
1545.	विदेशों से खरीदे गये जहाज	Ships Purchased from Foreign Countries	99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1546.	गणतन्त्र दिवस परेड, 1970 के लिये जारी किये गये पास	Passes Issued for Republic Day Parade, 1970	99—100
1547.	अल फतह प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपने भारत के दौरे में इकट्ठी की गई राशि	Collections made by Al Fateh Delegation During their Visit to India	100—101
1548.	मानव केशों का निर्यात	Export of Human Hair	101
1549.	विदेशी सरकारों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले वाणिज्य दूतों की नियुक्ति की स्वीकृति देने की कसौटी	Criteria in Appointing Consular Agents Appointed by Foreign Governments	102
1550.	भारतीय मामलों में रूस द्वारा कथित हस्तक्षेप	Alleged Soviet Interference in Indian Affairs	102
1551.	भारतीय नौसेना के लिये विमान वाहक जहाज	Aircraft Carrier for Indian Navy	102—103
1552.	काश्मीर के बारे में उत्तरी वियतनाम का दृष्टिकोण	North Vietnam's Stand on Kashmir	103
1553.	अमरीका के साथ निर्यात व्यापार	Export Trade with USA	103—104
1554.	मध्य प्रदेश में शक्तिचालित करघा उद्योग का विकास	Development of Powerloom Industry in Madhya Pradesh	104
1555.	मध्य प्रदेश के विद्युत करघा उद्योग में संकट	Crisis in Powerloom Industry in Madhya Pradesh	104—105
1556.	मध्य प्रदेश से माल का निर्यात	Export of Goods from Madhya Pradesh	105
1557.	मध्य प्रदेश में योजना परि-योजनाओं में अधिशेष राजस्व का उपयोग	Utilisation of Surplus Revenue in Plan Projects in Madhya Pradesh	105
1558.	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal	105—106
1559.	देश की सुरक्षा के बारे में सेना के सेवानिवृत्ति जनरलों से परामर्श	Consultation with Retired Army Generals Regarding Defence of the Country	106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1560. पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का आयात	Import of Books and Journals	106—107
1561. कलकत्ता बन्दरगाह पर नेपाल के व्यापारियों की कथित परेशानी	Alleged Harassment of Nepalese Traders at Calcutta Port	107
1562. पाकिस्तान द्वारा फ्रांस से पनडुब्बियों की प्राप्ति	Acquisition of French Sub-Marines by Pakistan	108
1563. पाकिस्तान की वायुसेना की संख्या में वृद्धि	Increase in the Strength of Pakistan's Airforce	108
1564. सेना में ट्रकों और अन्य गाड़ियों की कमी	Shortage of Trucks and other Vehicles in Army	108
1565. विदेशों में काम कर रहे भारतीय इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरों का वापस बुलाना	Bringing Back in Indian Electronic Engineers Working Abroad	109
1566. पंजाब किराया प्रतिबन्ध अधिनियम को हिमाचल प्रदेश को लागू करना	Extension of Punjab Rent Restriction Act to Himachal Pradesh	109
1567. उत्तर क्षेत्र ग्रिड की पूर्णता	Completion of Northern Zone Grid	109—110
1568. छावनी क्षेत्र में करों की बड़ी हुई दरों को लागू करने के विरुद्ध योल शिविर के निवासियों द्वारा अभ्यावेदन	Representation by Inhabitants of Yol Camp Against Imposition of Enhanced Rates of Taxation in Cantonment Area	110
1569. पोंग बांध से बेदखल किये गये व्यक्तियों को भूमि के आवंटन की व्यवस्था	Proposal for Land Allotment to Oustees of Pong Dam	110—111
1570. प्रीटोरिया से बड़ी संख्या में भारतीयों का निष्कासन	Mass Removal of Indians from Pretoria	111—112
1571. चीन के साथ बातचीत	Dialogue with China	112
1572. पश्चिम एशिया के मामले पर विचार हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन	U. N. Session to Consider West Asia Issue	112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1573.	चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations with China	113
1574	संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के मामले में समर्थन प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान के प्रयत्नों के बारे में आरोप	Allegations Regarding Pakistan's Efforts to Win Support on Kashmir in U. N.	113
1575.	बिहार में निर्माणाधीन परियोजनाएं	Projects under Construction in Bihar	113—114
1576.	बिहार राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप अन्तिम रूप देना	Finalisation of Draft Fourth Plan for Bihar State	114
1577.	मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल	Sainik Schools in Madhya Pradesh	114
1578.	विदेशी प्रचार विभाग के कर्मचारियों का विदेशी भाषाओं का ज्ञान	Foreign Languages Known by Foreign Publicity Department Officials	114
1579.	चम्बल पन-बिजली परियोजना के सम्बन्धित बांधों का पूरा किया जाना	Completion of Dams Concerning Chambal Hydro Electricity Project	115
1580.	मध्य प्रदेश में सिन्द नदी पर मगरोनी के समीप एक बांध का निर्माण	Construction of Dam Near Magrauni on River Sind in Madhya Pradesh	115
1581.	ब्रिटेन का आप्रवास संबंधी निर्णय	British Decision on Immigration	116
1582.	पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंपे गये जम्मू तथा काश्मीर राज्य क्षेत्र के बारे में 'आजाद काश्मीर' के आरोप	Allegations in "Azad Kashmir" Regarding J. K. Territory Handed Over by Pakistan to China	116
1583.	थाईलैंड के लिये प्रतिनिधि मंडल	Indian Delegation to Thailand	116—117
1584.	वैदेशिक व्यापार मंत्री की यूगोस्लाविया की यात्रा	Visit by the Minister of Foreign Trade to Yugoslavia	117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1585. विद्युत चालित करघों द्वारा रंगदार साड़ियां बनाये जाने पर लगे प्रतिबन्ध का उल्लंघन	Violation of the Ban on the Production of Coloured Sarees by Powerlooms	117—119
1586. दिल्ली में रूसी दूतावास के कर्मचारी का गायब हो जाना	Disapperance of Soviet Embassy Official in New Delhi	119
1587. अपर तुंगभद्रा परितोजना के निर्माण के लिये प्रस्ताव	Proposals for Construction of Upper Tungabhandra Project	119—120
1589. रोजगार प्रधान योजनाएं	Employment Oriented Plans	120—121
1590. पुनर्रीक्षित चौथी योजना में रोजगार क्षमता	Employment Potential of Revised Fourth Plan	121
1591. गत तीन योजनाओं में हलादी सिंचाई योजना की उपेक्षा	Haladi Irrigation Scheme Ignored during the Last Three Plans	121—122
1592. विद्रोही नागाओं की गिरफ्तारी	Naga Hostiles Captured	122
1593. सात वर्ष से अधिक समय से एक ही अनुभाग में काम कर रहे अधिकारी	Officers Working in the same Section for more than Seven Years	122
1594. ब्रिटेन में रोके गये केनिया के भारतीय	Kenya-Indian detained in U. K.	122—123
1595. भारत और पाकिस्तान के बीच शेष सभी समस्याओं को हल करने के लिये गांधी शान्ति मिशन	Gandhi Peace Mission for Solution of Outstanding Indo Pak Problems	123
1596. मलयेशिया के साथ वार्ता	Talks with Malaysia	123
1597. ब्रिटेन के कपड़ा बाजार का स्विटजरलैंड के हाथ में चले जाना	Loss of Lead in U. K. Textile Market to Switzerland	123—124
1598. भारत की प्रतिरक्षा तैयारियों के बारे में दिल्ली में आयोजित एक गोष्ठी में विचार विमर्श	Discussion on India's Defence Preparedness at Seminar Held in Delhi	124—125

अता० प्र० संख्या विषय	Subject	पृष्ठ Pages
U. S. Q. Nos.		
1600. अमरीका को कपड़े का निर्यात	Export of Cloth to USA	125
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention to Matter of Urgent Public Importancc (Query)	125—126
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	126—127
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	127
अट्ठावनवां प्रतिवेदन	Fifty-eight Report	127
प्राक्कलन समिति	Estimates Committed	127
एक सौ तीनवां प्रतिवेदन	Hundred and Third Report	127
लोक सेवा समिति	Public Accounts Committee	127
छियासीवां तथा इक्यानवेवां प्रतिवेदन	Eighty sixth and Ninetyfirst Reports	127
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	127
(श्री मधु लिमये)	(Shri Madhu Limaye)	127—128
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	129—139
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	129
रेलवे बजट, 1970-71—सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1970-71—General Discussion	140—142
श्री नन्दा	Shri Nanda	140
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	141
हरियाणा विधान-सभा के सत्रावसान के बारे में प्रस्ताव— अस्वीकृत	Motion re. prorogation of the Haryana Legislative Assembly—Negatived	142—165
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	148
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao	149
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	150
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	150
श्री शान्तिलाल शाह	Shri Shantilal Shah	151
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	153

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री रंगा	Shri Ranga	153
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	155
श्री प० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	156
श्री बेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	157
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	158
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	160
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	
श्री जे० एच० पटेल	Shri J. H. Patel	160
श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	161
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	162
श्री राम किशन गुप्त	Shri Ram Kishan Gupta	162
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	162—164

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 4 मार्च, 1970/13 फाल्गुन, 1891 (शक)
Wednesday, March 4, 1970/Phalguna 13, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय उद्योगपति द्वारा नेपाल में कपड़ा मिलों की स्थापना

+

*211. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने एक भारतीय उद्योगपति से नेपाल में दो कपड़ा मिलें स्थापित करने की पेशकश की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह उद्योगपति पहले तो मान गया था परन्तु बाद में उस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) . महामहिम की नेपाल सरकार द्वारा नेपाल में वस्त्रमिलों की स्थापना करने के लिये किसी भारतीय उद्योगपति को हाल ही में की गयी किसी पेशकश की विदेशी व्यापार मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है । परन्तु वर्ष 1967 में दो भारतीय पक्षों ने नेपाल में वस्त्र-मिलों की स्थापना की सम्भाव्यता का पता लगाया था । वे परियोजनाएं फलीभूत नहीं हुई । इन परियोजनाओं के प्रतित्याग के कारणों से सम्बन्धित ठीक ठीक प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : 7 जनवरी के पैट्रियट में प्रकाशित भारत में नेपाल के राजदूत का वक्तव्य इस प्रकार है :

"नेपाल के राजदूत ने इस बात से इन्कार किया कि दो कपड़ा मिलों के स्थापित किये जाने में पाकिस्तान को प्राथमिकता दी गयी थी। इन मिलों की पहली पेशकश के एक गैर-सरकारी उद्योगपति से दी गई थी। भारत ने पर्याप्त बिजली की मांग की थी और नेपाल ने विद्युत यंत्र (जेनरेटर) के आयात पर लगभग 4 लाख पाऊंड खर्च किया। बाद में वह उद्योगपति अपनी बात से पीछे हट गया और नेपाल को पाकिस्तान के पास जाना पड़ा।"

इसका अर्थ है कि किसी हद तक बातचीत बढ़ी थी और बाद में उसे रद्द कर दिया गया। मैं जानना चाहती हूं कि क्या अन्य देशों के साथ गैर-सरकारी उद्योगपतियों द्वारा इस बातचीत के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और क्या सरकार को ऐसी बातचीत की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी रहती है।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : देश के बाहर उपक्रमों विनियोजन के सम्बन्ध में निश्चित प्रक्रिया निर्धारित है। इस मामले में भी दोनों पक्ष, जो नेपाल सरकार से बातचीत कर रहे थे। हमारे पास कुछ सुविधाओं के लिये आये। इस पर विचार किया गया था और हम कुछ सुविधाएं देने के लिये राजी हो गये थे। किन्तु जैसा कि मेरे साथी ने बताया नेपाल के साथ उनकी बातचीत सफल नहीं हुई।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यदि इस बातचीत की विभिन्न अवस्थाओं पर सरकार भाग नहीं लेती है तो विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा कम होती है। विभिन्न अफ्रीकी देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और यदि किसी देश के साथ बातचीत इस तरह रद्द हो गई तो अफ्रीकी देश भी यह सोचेंगे कि हम इन चीजों में बहुत रूचि नहीं रखते और इसका उन देशों के साथ हमारी बातचीत पर बुरा असर पड़ेगा। अतः कम से कम भविष्य के लिये क्या सरकार बातचीत की विभिन्न अवस्थाओं पर साथ देना सुनिश्चित करेगी ताकि बिल्कुल अन्तिम समय पर बातचीत रद्द न हो जाये ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है क्यों कि विनियोजन गैर-सरकारी पक्षों द्वारा होता है। किन्तु जैसा कि मैंने बताया निश्चित प्रक्रिया निर्धारित है। विशेष रूप से नेपाल के साथ हमारा आर्थिक सहयोग और सम्बन्ध अच्छे हैं और इस लिये हम इन चीजों को प्रोत्साहन देते हैं। किन्तु इस मामले में वे जब भी हमारे पास कुछ सुविधाओं के लिये आये, हमने उनके अनुरोध पर विचार किया और हमारी नीति के अन्तर्गत जो भी सुविधाएं दी जा सकती थीं हमने दीं। किन्तु शायद नेपाल सरकार के साथ उनकी बातचीत में वे कोई करार नहीं कर पाये और इसी कारण बातचीत का कोई फल नहीं निकला। उस समय इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते थे।

श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या नेपाल में कारखाने स्थापित न किये जा सकने का कारण यह था कि भारत सरकार ने उनको आश्वासन दिया था यह पर्याप्त मात्रा में रूई देगी और अन्त

में भारत सरकार ने रुई देने से इन्कार कर दिया ? गुजरात के वर्तमान राज्यपाल जब वह नेपाल में हमारे राजदूत थे तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी ।

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं । सभा जानती है कि रुई की कमी है और हम देश में अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता के लिये स्वीकृति नहीं दे रहे हैं और यह चर्चित है । किन्तु इस मामले में, नेपाल के साथ हमारे सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए हम रुई की आवश्यकता का बड़ा भाग देने के लिये सहमत हो गये और हम प्रतिवर्ष रुई की 12,000 गांठे देने के लिये राजी हो गये बशर्ते के अन्य आवश्यकताओं का शक भाग अन्य साधनों से पूरा किया जाये ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : यूथोपिया में हमारे उद्योगपतियों द्वारा कपड़ा मिलें स्थापित की गई हैं । अन्य देशों के साथ भी बातचीत चल रही हैं । नेपाल के साथ हमारे निकट के सम्बन्ध होने के बावजूद भी क्या कारण है कि नेपाल में कपड़ा मिलें या अन्य व्यापार के लिये भारतीय उद्योगपति नहीं जाते ।

श्री ब० रा० भगत : यह कहना सही नहीं है कि हमारे उद्योगपति व्यवसाय के लिये नहीं जाते । वे व्यापार कर रहे हैं । यह परियोजना सफल नहीं हो सकी ।

राष्ट्र-मंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन (1970)

*212 **श्री मयावन :**
श्री सामिनाथन :
श्री नारायणन :
श्री दण्डपाणि :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष 'राष्ट्र-मंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने का कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या भारत से इस सम्मेलन को भारत में आयोजित करने का अनुरोध किया गया था ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसे अस्वीकार करने के क्या कारण हैं और सम्मेलन के कब तक होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वर्तमान संकेतों से ऐसा नहीं लगता कि इस वर्ष राष्ट्रमंडल प्रधान मन्त्री का सम्मेलन होगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री मयावन : क्या राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन कभी ब्रिटेन के बाहर भी हुआ है और यदि नहीं, तो केवल ब्रिटेन में इस सम्मेलन को करने की क्या मुख्य कसौटी है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता । किन्तु मेरा ख्याल है एक बार यह सम्मेलन नाईजेरिया में लागोस में हुआ था । यह सच है कि अब तक सम्मेलन लन्दन में होते रहे हैं, किन्तु इसका मुख्य कारण यह है कि सम्बन्धित देशों को इसमें सुविधा है ।

श्री मयाबन : भारत द्वारा भारत में सम्मेलन कराने के लिये पहल न करने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इसमें पहल करने की बात नहीं है । इसका निर्णय बहुसंख्यक राय के आधार पर होता है । सम्मेलन में कई एक स्थानों का सुझाव दिया जाता है और बहुसंख्यक राय के आधार पर निर्णय कर लिया जाता है ।

श्री मयाबन : क्या भारत में सम्मेलन कराने के लिये कोई प्रार्थना की गई थी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई है । किन्तु यदि राष्ट्रमण्डल के अन्य सभी सदस्य भारत में सम्मेलन रखना चाहें तो हम उस पर उचित रूप से विचार करेंगे ।

श्री दण्डपाणि : क्या भारत द्वारा राष्ट्रमण्डल की सदस्यता छोड़ने के लिये विभिन्न कारणों से मांग की गई है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस प्रश्न पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है और राष्ट्रमण्डल को छोड़ने का विचार नहीं रखती ।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : ब्रिटेन द्वारा योरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने की एकतरफा कार्यवाही करने तथा राष्ट्रमण्डलीय देशों से आयातित वस्त्रों पर 15 प्रतिशत का प्रशुल्क लगाने के पश्चात क्या सरकार गम्भीरता पूर्वक इन सम्मेलनों की उपयोगिता पर विचार कर रही है ? क्या इन कार्यवाहियों से राष्ट्रमण्डलीय परम्परायें भिन्न-भिन्न नहीं हो रही हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : राष्ट्रमण्डल में अकेला ब्रिटेन ही नहीं है । अभी तक राष्ट्रमण्डल को एक आंग्लध्रुवीय (पोलार) संघ (ब्रिटेन शीर्ष संघ) समझने की प्रवृत्ति रही है । अनेक मामलों में इसने ऐतिहासिक तरीके से कार्य किया है किन्तु ऐसा समझने से राष्ट्रमण्डल का विकास नहीं हो सकता । यदि राष्ट्रमण्डल से सभी सदस्य देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को लाभ पहुंचता है तो इस संगठन में बने रहना लाभदायक होगा । किन्तु यदि इसे केवल आंग्ल-ध्रुवीय (पोलार) संगठन ही माना जायेगा तो राष्ट्रमण्डल का महत्व ही समाप्त हो जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रोडेशिया जिसने हाल ही में गणतंत्र बनने की एकतरफा घोषणा की है, जो एक श्वेत गणतन्त्र होगा जहां काले लोगों के अधिकारों को दबाया गया है । क्या हमारी सरकार उसी रोडेशिया की सरकार के साथ-साथ इस संगठन की सदस्य बनी रहेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस भावना का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि रोडेशिया में अवैध शासन हैं और वहां अवैध रूप से गणतन्त्र घोषित किया गया है। इस देश को राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित नहीं किया गया है और जब तक वहां लोकमत पर आधारित बहुमत का शासन नहीं हो जाता हम उसे सम्मिलित करने पर सहमति नहीं देंगे ।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : यह सच है कि राष्ट्रमण्डल में और भी सदस्य हैं लेकिन यह भी सच है कि राष्ट्रमण्डल की बैठकों की ब्रिटेन ही अध्यक्षता करता है और वही उच्चतम निकाय है। यह भी सच है कि पाक-आक्रमण के समय ब्रिटिश सरकार ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। उन्होंने निष्पक्ष रवैया नहीं अपनाया। मैं जानना चाहता हूं कि फिर क्यों मन्त्री महोदय इस राष्ट्रमण्डल से चिपके रहना चाहते हैं ? राष्ट्रमण्डल तो एक अनुपयोगी बूढ़ी पत्नी की तरह है जिसे तलाक दे देना चाहिये।

श्री दिनेश सिंह : मेरा विचार है कि आप माननीय सदस्य के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि बुढ़ापे में तो पत्नी को अधिक प्यार तथा देख-भाल की आवश्यकता होती है।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Sir, British Government by making the immigration law has restricted the entry of thousands of Indians having British Passports. Does this Government propose to raise this issue in the next Commonwealth Conference ?

Shri Dinesh Singh : I think this issue must be discussed.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : It is a fact that the next Commonwealth Conference will be held at the time when there will be General Elections in England and issue like Rhodeshia, immigration and Common Market can Produce bitterness ? Is that not the cause for holding the Conference at Singapore ?

अध्यक्ष महोदय : यह आपका अनुमान है। यह प्रश्न कैसे हो सकता है ?

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : सभा को ज्ञात है कि पिछले राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में हमारे प्रधान मन्त्री को तीसरी पंक्ति में स्थान दिया गया था। यदि इस बार भी ऐसा ही किया जाता है तो क्या सरकार भविष्य में राष्ट्रमण्डल सम्मेलनों में भाग लेने पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक मुझे स्मरण है, इस प्रश्न का उत्तर यहां दिया जा चुका है और प्रधान मन्त्री का अपमान करने के लिए उन्हें पिछली जगह नहीं दी गयी थी। वहां तो बैठने की व्यवस्था ही ऐसी थी। हमें ऐसे मामलों में अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की प्रतिष्ठा सुरक्षित है और बैठने की व्यवस्था से हमारा सम्मान कम नहीं होता। किन्तु जहाँ तक इस सम्मेलन में भाग लेने का प्रश्न है निश्चिय ही हम देखेंगे कि उचित प्रबन्ध किया जाये।

भारत के रास्ते नेपाली माल का निर्यात

*213. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में होने वाला पटसन का निर्यात हाल ही में रोक दिया गया था और उसे बिहार में जगबौर स्टेशन से ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो नेपाल से कुल कितना निर्यात किया जाता है और प्रतिवर्ष भारतीय बन्दरगाहों से क्या माल बाहर जाता है और किस पारस्परिक व्यापार करारों के अन्तर्गत ऐसा किया जाता है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). नेपाल में होने वाले कच्चे पटसन के किसी अन्य देश को भेजने पर भारत में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी खेप को भारतीय चुंगी अधिकारियों द्वारा इस आधार पर रोका जा सकता है कि उन्हें यह विश्वास हो कि निर्यात किये जाने वाले पटसन का उत्पादन नेपाल में नहीं हुआ है। इसी कारण से पटसन की कुछ खेपों को 16 फरवरी, 1970 के बाद भारतीय चुंगी अधिकारियों ने गुजरने की अनुमति नहीं दी थी।

नेपाल द्वारा वर्ष 1969 के दौरान अन्य देशों को कलकत्ता पत्तन से होकर जो निर्यात किया गया है इसका विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 1960 के व्यापार और माल भेजने की सन्धि के अन्तर्गत व्यापार और माल भेजने के मामले में भारत और नेपाल के सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, in the first instance I would like to point out that the word which I had written was 'Jogbani' and not 'Jagbani' as has been printed. Secondly, the hon. Minister has stated that the detainment of consignments was right to a considerable extent. May I know the number and names of the places where Nepalese goods have been detained in transit in India and why were they allowed to pass through afterwards ?

Shri B. R. Bhagat : Do you want information about all the commodities or only about jute ?

Shri Shiva Chandra Jha : About all the commodities.

Shri B. R. Bhagat : Then I require notice. There are dozens of Nepalese land customs posts from Jogbani to Uttar Pradesh. I shall have to give the details.

Shri Shiva Chandra Jha : Nepalese goods are not allowed to be cleaned through in Indian check posts and differences between India and Nepal has increased. King Nepal's statement has been reported in all the newspapers in India. I shall quote that.

Mr. Speaker : You can only ask a question. You are not concerned with the Maharaja's statement.

Shri Shiva Chandra Jha : In his statement the Maharaja of Nepal has said "As a land locked country Nepal seeks nothing more than transit facilities in accordance with customary international practices in a spirit of good neighbourliness." I want to know whether he is taking any step to improve our relations with Nepal. A representative of Nepal stays in India. Will you invite him to discuss the matter so that relations between India and Nepal be improved.

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

Shri Gunanand Thakur : My constituency borders with Nepal and we are directly connected with this question, which is of much importance. This matter should not be postponed. If things are allowed in this manner, I think it will not be justified for us.

Mr. Speaker : Some rules have been formulated for putting questions, and according to the rules you can put questions directly without any prelude.

Shri Shiva Chandra Jha : It is necessary to put a question with prelude.....

Mr. Speaker : You cannot make speech ; rather you cannot make a question suggestive and informative. You can directly ask for information I have repeatedly said this thing in the House. If you are very particular, you may deliver a speech on some other occasion.

Shri Rabi Ray : Sir, I request you that Shri Shiva Chandra Jha may be allowed to ask question. He will ask the question directly.

Shri Shiva Chandra Jha : The difficulty is that this being a land locked country neither the trade is increasing nor can any facility be made available to it from any neighbouring country. The King of Nepal has appealed recently in this matter. I want to know whether our representatives who had gone there on the occasion of the marriage ceremony had discussed this matter with them ; and is there any proposal for calling a meeting in the near future of the representatives of India and Nepal for detailed discussions over this matter in order to remove the differences and difficulties so that better relations could be established between both the countries ?

Shri B. R. Bhagat : So for as the question of Nepal being a land locked country is concerned that that country has a right to do trade and we give them facilities for that purpose. We are giving them more facilities in comparison to those being given to any other country. But the question is that according to the Trade Treaty there was an agreement between India and Nepal that there would be no deflection of trade; or there would be no smuggling in India through Nepal or *vice-versa*. Customs authorities cheek goods of a third country being smuggled here through Nepal. They also cheek deflection of trade and all such steps are taken under the provisions of the treaty. We do not create any obstacles in the facilities given to the land locked country. The talks are still going on and the Inter-Governmental Committee would continue these discussions further.

Shri Ramavtar Shastri : The hon. Minister has just now made clear the position of goods being exported from Nepal, but this is a matter of legal concessions. In view of what the hon. Minister has stated I want to know the steps taken by Government to check illegal export of various types of goods from Nepal and with what results ? Is this also correct that the higher Officers of the Customs and Excise Departments of Central Government in Patna are involved in the bungling of this illegal export of goods from Nepal ? Is the hon. Minister prepared to conduct inquiry into this matter in case he has received such information ?

Shri B. R. Bhagat : We have no such information that Customs Officers were involved in the matter. If the hon. Member has this information. We shall definitely investigate the matter. So far as the matter of land Custom's Posts is concerned, we have three hundred and fifty mile or four hundred mile long area bordering with Nepal and there are land Custom's Posts at short distances. Every action is taken to check smuggling there. All the powers have been given to the land customs posts to ensure that there could be no smuggling in India from foreign countries through Nepal.

Shri Chandrika Prasad : Gorakhpur and Basti, the Western district of Uttar Pradesh, are border areas and are connected with Nepal border. The peasants cross into Nepal and cultivate lend in Nepal. Will you provide any facility of carrying wheat and rice into Gorakhpur and Basti as has been provided in the matter of Jute ?

Shri B. R. Bhagat : The hon. Member has himself admitted the fact that facility of going to Nepal and for cultivating land there have been given to the people.

Shri Chandrika Prasad : They do cultivate the land, but they cannot bring their produce back. Could such a facility be provided to them ?

Shri B. R. Bhagat : According to our agreement, goods produced in Nepal could be brought in India and *vice-versa*. and for that purpose there is no ban. If there is any problem other than this that may be brought to our notice, so that I may be able to say something.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : नेपाल हमारा पड़ौसी और मित्र देश है और उसे अपने उत्पादन का आयात निर्यात हमारे देश के माध्यम से करना होता है हमने उसके साथ व्यापार करार किया हुआ है । नेपाल के महाराजा के इस आशय के वक्तव्य अथवा भाषण को दृष्टि में रखते हुए कि हमारे साथ हुआ व्यापार समझौते से वह देश सन्तुष्ट नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नेपाल के साथ विचार निनिमय के हेतु कोई पुनर्विलोकन किया गया है अथवा किया जायेगा ?

श्री बा० रा० भगत : एक व्यापार शिष्टमण्डल नेपाल से आया था । हमने उस शिष्टमण्डल से चर्चा की थी जो अधूरी रही । । इस विषय का अन्तिम रूप से निपटारा करने के लिए हमारे शिष्टमण्डल के वहाँ जाने की सम्भावना है । प्रकाश में लाई गई समस्त कठिनाइयां विचाराधीन हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : Is Government of India aware of the fact that the goods being exported to Nepal from China and Pakistan are routed through India, but these goods include such items as must not have been rented through India ? How far is it correct that in view of this fact Government of India has become vigilent ?

Shri B. R. Bhagat : All such matters have been mentioned in the trade treaty as to which of the goods could be sent there through normal trade. Apart from that precautionary measure is taken to check movement of unauthorised goods and other such matters ?

Shri Prakash Vir Shastri : I have, perhaps, not been able to make myself clear. I wanted to know whether Government have received complaints that China and Pakistan have misused the advantage of the facility of exporting their goods to Nepal through India because those goods must have not been routed through our country ? How far is it true that Government have become vigilant only after they had received such complaints ?

Shri B. R. Bhagat : We have no such information.

Shri Valmiki Choudhary : Home Government taken some effective steps to check smuggling which is going on a large scale on the borders of India and Nepal ?

Mr. Speaker : This question is regarding Jute and it does not include general smugglings.

Shri Gunanand Thakur : The relations between India and Nepal have been very cordial and friendly. There was no need of taking prior permission for doing trade with Nepal previously. Taking advantage of the behaviour and negligence of Government Officers on the border check posts goods exported to Nepal are sent to other countries on higher rates. I want to know whether Government is taking any concrete steps to ensure that our Jute and paddy being exported to Nepal should not find their way to other countries and that our farmers are not faced with the problem of black-marketing ?

Shri B. R. Bhagat : I have already said in my reply in the matter of Jute that customs authorities give them concession for exporting Nepalese Jute to other countries but they take precautionary steps so that Indian Jute is not exported to other countries by Nepal. They have checked some of the consignments.

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र ने सदन को यह बताने की जो कृपा की है कि बातचीत अभी तक जारी है यह अपर्याप्त सूचना है क्योंकि नेपाल के नरेश ने स्वागत समारोह के अवसर पर इस विषय का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए बताया है कि इस में विलम्ब भारत सरकार ने किया है। क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि बातचीत शीघ्र की जायेगी और नेपाल से इस सम्बन्ध में कोई ऐसी सहमति हो जायेगी जो दोनों देशों को मान्य एवं लाभप्रद हो सके ?

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हमारी ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

श्री रंगा : जब नेपाल के नरेश ने स्वयं यह वक्तव्य दिया है तो आप यह कैसे कहते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मैं वस्तुस्थिति को स्पष्ट किये देता हूं। यह बातचीत नेपाल से कुछ वस्तुओं, विशेषकर संश्लिष्ट पदार्थों तथा अविकारी इस्पात के आयात के बारे में आने वाली कठिनाइयों के विषय में है जिनके आयात पर इस देश में प्रतिबन्ध है। नवम्बर, 1968 में इस बारे में एक करार हुआ था। परन्तु अब उस करार को कार्यान्विति के बारे में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। इसलिये नेपाल का एक शिष्टमण्डल यहां आया था और हमने बातचीत की थी परन्तु कोई निश्चय नहीं हो पाया। अब हम किसी समय भी वहां जाकर बातचीत को अन्तिम रूप देने के लिये तैयार हैं। सम्भवत: इस महीने में अथवा आगामी महीने के आरम्भ में ही इस मामले का निश्चय करने के लिए एक शिष्टमण्डल वहां जायेगा। अत: इस मामले में हमारी ओर से देरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम आज भी वहां जाने को तैयार हैं परन्तु इस आशय का निमंत्रण आना चाहिए कि वे भी चर्चा आरम्भ करने और निर्णय करने को तैयार हैं।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय का पटसन का निर्यात

*214. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय साझा बाजार ने पटसन का आयात करके उसे आगे यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यात करने के लिये एक करार सरकार के साथ किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस करार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये भारत और यूरोपीय साझा बाजार एक संयुक्त आयोग स्थापित करने को सहमत हो गये हैं।

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). यूरोपीय आर्थिक समुदाय को पटसन के माल के निर्यात हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत के बीच हुए करार की एक प्रति [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या 2651/70**]

(ग) जी हां। करार के पैरा 'सी' की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

Shri Sita Ram Kesri : You have entered into agreement with European Common Market. The 'UNCTAD' had also given an undertaking that developing countries would extend their help out of their one per cent revenue. I want to know whether you have approached the 'UNCTAD' for exemption in customs Duty and export Duty ?

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : So far as the question of help of one per cent National income is concerned this is a separate matter. Talks are still going on with them. This is a question of duty. We have not been able to reduce duty.

But talks were held during the Kennedy Round 'UNCTAD' has also submitted its proposal. Quota is also there. 22 per cent duty has been imposed on our Jute products. But agreement has not so far been reached in this matter.

Shri Sita Ram Kesri : You have stated that a Committee would be formed and it will have a meeting once in a year In order to continue exports, have you tried that the meeting of the Committee be held twice a year so that everything could be thoroughly investigated and the Committee could extend the maximum possible help in the matter of export ?

Shri B. R. Bhagat : We shall try that meeting of the Committee take place as early as possible. This agreement was arrived at a few months back. Efforts shall be made for exemption in the duty on the export of Jute and also for increasing the export of our carpet backing.

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : विवरण के रूप में सभापटल पर रखे समझौते में यह बात महत्व की है :—

"भारत के लिए साझा बाजार में पहुंच की उत्तरोतर अभिवृद्धि ।"

भारत सरकार केवल पटसन की वस्तुओं का अधिक निर्यात ही नहीं बल्कि भविष्य में साझा बाजार में अपने उत्पादों का विविधीकरण करने को कहां तक तैयार है ?

श्री ब० रा० भगत : दिसम्बर, 1968 का समझौता पटसन के बारे में है । जहां तक विविधीकरण का सम्बन्ध है, प्राथमिकताओं की सामान्य योजना के लिए बात हो रही है । अगामी बैठक 31 मार्च को होगी, जो 'अंकटाड' के अन्तर्गत होगी । यदि इस मामले पर सहमति हो गई तो विकसित बाजारों को, जिनमें यूरोपीय साझा बाजार भी सम्मिलित है, भारत जैसे विकासशील देशों से कम अथवा अधिमान्य शुल्क पर निर्मित सामान के निर्यात में सुविधा मिलेगी ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : चाय के विपणन के उदाहरण को दृष्टि में रखते हुए जहाँ भारत तथा श्री लंका एक विशिष्ट समझौते पर पहुँच गए हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कुछ विशिष्ट कारणों से पाकिस्तान को अलग करते हुए अन्य समस्त पटसन का उत्पादन करने वाले देशों के साथ वैसा ही समझौता करने के बारे में विचार कर रही है जिससे हम यूरोप में ही नहीं बल्कि अन्यत्र भी श्रेष्ठतर विपणन कौशल एवं पटसन के बाजार का श्रेष्ठतर अंश प्राप्त कर सकें ?

श्री ब० रा० भगत : इस बारे में हमने इस समय ऐसा कोई समझौता नहीं किया है,

परन्तु यदि चाय की समस्याओं के समान ही समस्याएं उत्पन्न हुई तो हम अवश्य ही इसका ध्यान रखेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : समझौते की शर्तों वाले सभा-पटल पर रख गये विवरण में भिन्न भार और विशिष्ट विवरण वाले पटसन के कपड़े के पांच या छः वर्गों का उल्लेख है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह कपड़ा हेसियन की किस्म का है अथवा बोरे की किस्म का अथवा दोनों प्रकार का है । और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह विशेषतया बोरे में ही बना जिससे भारत के निर्यात में बहुत कमी हो रही, क्या उन्होंने बातचीत के दौरान यह प्रयास किया है कि यूरोपीय समुदाय जो कपड़ा लेना पसन्द करे उनमें भारत के बोरे का अधिक भाग हो ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि इस समय यूरोपीय बाजार में जो प्रवेश मिला हुआ है वह हेसियन, कारपैट बैकिंग, बोरा तथा अन्य विविधीकृत उत्पादनों से सम्बद्ध है । केवल कारपैट बैकिंग के निर्यात में वृद्धि हो रही है और अन्य वस्तुओं विशेषकर बोरे से सम्बद्ध वस्तुओं के निर्यात में कम कमी हो रही है इसके मुख्य कारण विशेष प्रोत्साहन हैं जिन्हें पाकिस्तान ने युक्ति से प्राप्त किए हैं और हम पाकिस्तान, विशेषकर उसके बोनस वाउचरों तथा उसके कच्चे पटसन के मूल्यों से स्पर्धा नहीं कर सकते । जब तक वहां यह स्थिति रहेगी मुझे बोरे के बारे में अधिक सम्भावना दिखाई नहीं देती । हम कारपैट बैकिंग तथा अन्य विशिष्ट उत्पादनों का विविधीकरण तथा विकास करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी स्थिति को बनाये रख सकें ।

Shri K. N. Tiwary : Who will be the members of the proposed Joint Commission ? Is it a fact that after entering into the agreement with the European Common Market, the rates of Indian Jute would be more competitive as compared to those prevailing at present, and how far it would be profitable for the country in regard to the export of Indian Jute ?

Shri B. R. Bhagat : Joint Commission will consist of officials belonging to our country and theirs. We shall nominate our members for the meeting of the Commission as and when it is called. There is no permanent member in the Commission. The Officials of the Ministry of Foreign Trade and External Affairs will represent our country. The Quota and the duty has been fixed in this trade, but not the prices. The prices would be fixed on the basis of negotiations and contract.

Shri Maharaj Singh Bharati : It is a fact that the terms and conditions would be as favourable in regard to the export of Jute products to European Common Market as in the case of Britain ; if not ; whether it is also a fact that Common Wealth has become an obstacle in carrying trade with European Common Market ?

Shri B. R. Bhagat : No, Sir. There is no such obstacle. There is no quota or duty in regard to export trade with Britain, whereas both the quota and duty are there for carrying export trade in European Common Market. We are making efforts to see that our quota should be increased and duty should be decreased : not only in regard to Jute but also in regard to other products in European Common Market and that our trade with European Common Market is independently developed.

Shri Beni Shankar Sharma : The hon. Minister is well aware of the fact that Pakistan is our greatest competetor in export trade of Jute. Will the hon. Minister be

pleased to state whether there has been any trade agreement between European Common Market and Pakistan, as has been with India, if so, whether India would be able to stand in competition with Pakistan in export trade of Jute ; which can carry on its trade on low rates because of reduction in the export duty ?

Shri B. R. Bhagat : I have no information that Pakistan has entered into such an agreement.

Shri Beni Shankar Sharma : Even if there has been an agreement Pakistan can export its products.

Shri B. R. Bhagat : No agreement has been reached.

Closure of Foreign Cultural Centres in India Question

*215. **Shri Bansh Narain Singh** : **Shri Kanwar Lal Gupta** :
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Ram Singh Ayarwal** :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to have the Cultural Centres and Libraries opened by foreign countries in India closed down ;

(b) the names of the countrics which have opened such Centres in India without the permission of the Government of India as also the localities thereof ; and

(c) the Government's policy in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (c). A detailed statement on the subject was made in Lok Sabha on 26-2-1970 in response to a Calling Attention Notice.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है कि जानकारी एकत्र की जा रही है । परन्तु राज्य सभा में इन के सहायक मन्त्री ने बन्द किये गये केन्द्रों के नाम दिये हैं । यह एक अजीब बात है **(व्यवधान)**...

श्री दिनेश सिंह : हमने सभी विदेशी दूतावासों से कहा है कि वे 10 मार्च तक जानकारी दें । कुछ केन्द्रों की हमें जानकारी है । हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते । **(व्यवधान)** यह ठीक नहीं कि यहाँ अधूरे उत्तर दिये जायें ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या कोई भूमिगत केन्द्र भी है ।

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं । फिर भी हमने दूतावासों से कहा है कि सभी केन्द्रों के बारे में सूचना दें । हो सकता है हमें कुछ केन्द्रों के बारे में जानकारी न हो ।

Shri Brij Bhushan Lal : The American Government has threatened to close our Cultural Centres, as a retaliatory measures against out Government's decision to close Cultural Centres. I want to know whether Government has received any protest note from U. S. Government in this regard ; if so, the nature thereof and whether it is due to that that Government wants to close these Centres ?

Shri Dinesh Singh : We have not received any protest etc. Hon. Member should know that this Government is not cowed down by threats..... *(Interruption)*

Shri Brij Bhushan Lal : I want to know whether his attention has been drawn to the newspaper reports in this respect.

Shri Dinesh Singh : The American Ambassador had met our people in this connection. I also received a letter from the U. S. Foreign Secretary. There was no threat in that. He had said that with these Centres our cultural relations will further be strengthened. We told their Ambassador that we too wanted that. We are making arrangements for that.

Shri Kanwar Lal Gupta : The other day hon. Minister had said that activities of some Cultural Centres were undesirable. The American Ambassador has said that they are prepared for an enquiry being conducted in this matter and their activities are not undesirable. What is Government's reaction in this regard ? Secondly, there is an impression that it is to appease Russia that other Centres are also being closed. It was Russia which was building a Cultural Centre without prior permission. This matter should be clarified.

Shri Dinesh Singh : Our action is not appease or displease anybody. We take action keeping in view the interest of our country. So far American Ambassador's offer is concerned, if he wants he can conduct an enquiry of his own enquiry and do not depend on anyone for that.

Shri Ram Singh Ayarwal : I want to know the action Government is taking against the anti-national Cultural Centres in West Bengal. It has been reported today that cinema houses are being put on fire there.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सरकार मैक्समुलर भवन, ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी जैसे सांस्कृतिक केन्द्रों को भी बन्द कराने जा रही है ? क्या उनका भारतीयकरण किया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : हम इस पर विचार कर रहे हैं।

Shri Rabi Ray : I want to know the number of branches of Max-Muellar Bhawan in India and whether Government has made any assessment of its activities in India ?

Shri Dinesh Singh : Max-Muellar Bhawan has eight Centres in the country. They have it in Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Poona, Hyderabad, Rourkela and Bombay. We are considering about its future working.

श्री सु० कु० तापड़िया : जो केन्द्र बन्द किये जा रहे हैं उनका क्या होगा ? उनके भवनों के बारे में क्या निर्णय होगा ? क्या वे भारत सरकार द्वारा ले लिये जायेंगे। उनमें पुस्तकालयों की पुस्तकें क्या सरकार अपने अधीन ले लेगी अथवा वे दूतावास अपने देशों को वापिस ले जायेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : यह प्रश्न दूतावासों से जानकारी प्राप्त होने के बाद उठेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इन सांस्कृतिक केन्द्रों से हमारे देश को क्या लाभ हुआ है अथवा उन्होंने क्या गड़बड़ की है ? क्या इन पर सरकार ने विचार किया है।

श्री दिनेश सिंह : हमने इन सभी बातों पर विचार करने के बाद निर्णय किया है कि इन्हें जारी रखना ठीक नहीं होगा।

चाय का निर्यात

*216. श्री अजमल खां :
श्री गु० च० नायक :
श्री रा० की अमीन :
श्री के० मुहम्मद इमाम :

क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में चाय के कुल निर्यात का वर्ष वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि चाय के निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में काफी कमी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा अपनी मंडियों को बनाये रखने के लिये यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है :

विवरण

(क) वर्ष 1968 तथा 1969 में चाय का वास्तविक निर्यात क्रमशः 208.44 मिलयन किलोग्राम और 176.73 मिलयन किलोग्राम हुआ ।

(ख) वर्ष 1969 में गत वर्ष की अपेक्षा चाय का कम निर्यात हुआ ।

(ग) वर्ष 1968 तथा 1969 में 166.48 करोड़ रुपये और 130.27 करोड़ रुपये के मूल्य की चाय का निर्यात हुआ ।

चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिये कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :—

(1) 1970-71 के केन्द्रीय बजट में प्रावधान । (क) चाय पर निर्यात शुल्क हटाना (ख) निर्यातित चाय के मूल्य पर उत्पादन शुल्क पर तदर्थ छूट ।

(2) पुनः बोने के लिये मैदानी क्षेत्रों में 3500 रुपये प्रति हैक्टर और पहाड़ी क्षेत्रों 4500 रुपये प्रति हैक्टर राजसहायता देकर उद्योग की सहायता देना ताकि पुराने चाय क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाया जा सके, लागत कम की जा सके और किस्म में सुधार हो सके ।

(3) चाय बोर्ड के लन्दन, ब्रसल्ज, न्यूयार्क, काहिरा तथा सिडनी स्थित कार्यालयों के माध्यम से भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के उपाय करना ।

(4) भारतीय चाय के विशेष पैक्टों को विदेशों में वहां के स्थानीय विज्ञापन केन्द्रों पैक करने वालों के सहयोग से चुने बाजारों में लोकप्रिय बनाना ।

(5) विदेशों में इसका प्रचार करना ।

(6) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(7) विदेशों को प्रतिनिधिमंडल भेजना तथा वहां से प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित करना ।

(8) विदेशी मंडियों में चाय को बढ़ावा देना ताकि इसकी वहां खपत बढ़े । इसे चाय उत्पादक देशों के सहयोग से अन्य देशों में चाय परिषदों तथा स्थानीय चाय व्यापारियों की सदस्यता द्वारा किया जाता है ।

खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ चाय मूल्य को स्थिर करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय उपाय करने पर विचार किया जा रहा है मोरिशस में हुए चाय निर्यातक देशों के सम्मेलन में समझौता हो गया कि 1970 के निर्यात अनुमान में से 90 मिलियन पाउंड चाय कम कर ली जायेगी । इस निर्णय के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार समिति गठित कर दी गई है । वह मूल्यों को स्थिर करने में अग्रेतर उपाय भी करेगी ।

श्री मुहम्मद इमाम : किसी समय भारत सबसे बड़ा चाय निर्यात देश था और इससे बहुत विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती थी । अब इसमें कमी हो गई है । क्या यह निर्यात शुल्क के कारण है ? चाय की किस्म भी बहुत घटिया हो गई है । सरकार इस दशा में क्या कार्यवाही करने जा रही है । चाय के पौदे 100 वर्ष पुराने हैं और उनसे उपज बहुत कम है । श्री लंका द्वारा दी जाने वाली राज सहायता को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या राज सहायता देगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : यह सच है कि निर्यात होने वाले चाय की कीमत में बहुत कमी हुई है । इसमें शुद्ध 36 करोड़ रुपये की कमी हुई है । अन्य सभी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है । चाय में कमी होने के कारण हम निर्यात का इस वर्ष का अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पायेंगे । इसी लिये इस वर्ष के बजट में हमने चाय के बारे में कदम उठाये हैं । राजसहायता देकर अच्छी किस्म की चाय को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । उत्पादन शुल्क में भी परिवर्तन किया गया है । हमें आशा है कि इन उपायों के फलस्वरूप अगले वर्ष चाय के निर्यात में वृद्धि हो जायेगी ।

श्री मुहम्मद इमाम : पुराने पौदों के स्थान पर नये पौदे लगाने के लिये भारत में प्रति एकड़ 3,500 रुपये राजसहायता दी जाती है जबकि श्री लंका में यह 8,000 से 10,000 रुपये तक है । इसी कारण से श्री लंका की चाय में सुधार हुआ है । वह देश आज चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है । परन्तु हमारे देश में चाय उत्पादकों को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता ताकि वे नये पौदे लगा सकें । क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : चाय बोर्ड निरन्तर इस पर ध्यान देता है । राजसहायता के देने के एक वर्ष बाद चाय बोर्ड इस पर विचार करेगा । माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रूसी मानचित्र में 'नेफा' को चीन का क्षेत्र दिखाया जाना

217. **श्री हिम्मत सिंहका :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल : **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री हुकम चन्द्र कछवाय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रूस द्वारा प्रकाशित नवीनतम मानचित्र की ओर दिलाया गया है जिसमें 'नेफा' को अभी भी चीनी राज्य क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है ;

(ख) क्या 1969 में प्रकाशित पहले रूसी मानचित्र में भी 'नेफा' को चीनी सीमाओं के भीतर दिखाया गया था जिसके विरूद्ध सरकार ने विरोध पत्र भेजा था ; और

(ग) यदि हां, तो रूसियों की ऐसी उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों पर रूस को भारत का क्षोभ जताने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार ने कुछ सोवियत नक्शे देखे हैं जो उसने 1969 में जारी किये थे और जिसमें नेफा को चीनी प्रदेश का अंग दिखाया गया है। लेकिन इन नक्शों पर यह लिखा है कि ये पहले के संस्करण से पुनर्मुद्रित हैं।

(ग) इन गलत नक्शों के बारे में भारत सरकार के विचारों से सोवियत समाजवादी गणतंत्र की सरकार को कई बार सूचित किया जा चुका है। सोवियत सरकार ने हमारे विचारों को ध्यान में रखने का वायदा किया है।

पेकिंग रेडियो द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को भड़काया जाना

218. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1970 को "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पेकिंग रेडियो ने भारतीय क्रांतिकारियों को विजय प्राप्त करने के लिए बन्दूकें उठाने और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा सशस्त्र संघर्ष कराने और कृषि क्रांति लाने के लिए ग्रामों में उग्रवादी तत्वों को भेजने का आह्वान किया है और यह भी प्रचार किया गया है कि यह क्रांति भारत में आठ राज्यों में फैल चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे प्रसारण हमारे आंतरिक मामलों में स्पष्ट हस्तक्षेप के उदाहरण हैं और इनसे चीन सरकार के इस दावे के खोखलेपन का पता चलता है कि चीन सरकार की नीति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धान्तों पर आधारित है। भारत सरकार ने इस प्रकार के प्रचार के खिलाफ समय-समय पर विरोध प्रकट किया है। दुर्भाग्य से, चीन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

कपास का रक्षित भंडार

*219. **श्री देव राज पाटिल** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास का, जो एक महत्वपूर्ण/औद्योगिक कच्चा माल है, रक्षित भंडार स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो देशी कपास का रक्षित भंडार स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) नवम्बर, 1969 से 31 जनवरी, 1970 तक की अवधि में देशी कपास का कितना रक्षित भंडार स्थापित किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री बलि राम भगत) : (क) से (ग). रुई के रक्षित भंडार की स्थापना का प्रश्न काफी समय से सरकार के ध्यान में है । देश में खपत के लिए रुई की मांग स्वदेशी उत्पादन से अधिक है और वास्तव में, स्वदेशी रुई की कमी को रुई के आयात से पूरा करना पड़ता है । अत: स्वदेशी रुई की कोई फालतू मात्रा नहीं होती जिसे जमा करके रक्षित भंडार बनाया जा सके ; रुई के चालू मौसम में रुई की पूर्ति की स्थिति ऐसी है कि रुई का अतिरिक्त आयात करना अनिवार्य हो गया है और रुई का रक्षित भंडार बनाने से रुई की पूर्ति की स्थिति, जो पहिले से ही बिगड़ रही है, और भी खराब हो जायेगी ।

रूस द्वारा डी० टी०-14 ट्रैक्टरों की बिक्री तथा मरम्मत

*220. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस भारत में विभिन्न कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से अपने प्रसिद्ध डी० टी०-14 ट्रैक्टर बेचने और उनकी मरम्मत आदि से सम्बन्धित भारतीय प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है और उसने यह कार्य गैर-सरकारी एजेन्टों तथा वितरकों के माध्यम से करने को तरजीह दी है जिसके परिणामस्वरूप चोरबाजारी आदि होती है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण बताये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). भारत सरकार तथा सोवियत संघ के बीच यह समझौता हुआ है कि सोवियत संघ द्वारा संभरित ट्रैक्टरों का वितरण और मरम्मत राज्य कृषि उद्योग निगम के माध्यम से की जायेगी और उनके पास आवश्यक सुविधाएं होने पर मरम्मत भी उन्हीं द्वारा की जायेगी । उनके पास ऐसी सुविधायें न होने की अवस्था में वे सोवियत संघ के भूतपूर्व अभिकर्त्ताओं के पास उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करेंगे ।

Export to East European Countries

*221. **Shri Atam Das :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian export to Russia and East European countries is increasing considerably ; and

(b) if so, the progressive proportional rate thereof and the extent to which it is likely to increase during 1970-71 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). There has been a steady increase in India's exports to Soviet Union and East European countries. Exports have increased from Rs. 49.55 crores in 1960-61 to Rs. 266.51 crores in 1968-69. The average annual rate of growth of India's exports to these countries in the past 5 years has been around 12% and the same growth is expected to continue during the year 1970-71.

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लिए सम्मान का स्थान

222. **श्री समर गुह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को मान्यता देती है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भारत का एक ही ऐसा नेता था जिससे स्वाधीनता संग्राम इतिहास में आजाद हिन्द फौज कहा जाता था तथा सेनाध्यक्ष के रूप में जिसने उसका नेतृत्व किया था ;

(ख) क्या ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के विरुद्ध सैनिक आन्दोलन की गाथायें बनाकर भारत की जनता ने नेताजी को एक महान सैनिक प्रतिमा कहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या नेताजी को स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सेना में सम्मान का स्थान दिया जाना चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री श्री (स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ग). नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने 25 अगस्त, 1943 को आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व संभाला था। रास बिहारी बोस, ज्ञानी प्रीतम सिंह और जनरल मोहन सिंह जैसे नेताओं ने, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा नेतृत्व संभालने से पहले आजाद हिन्द फौज की कमान की थी। भारत के स्वतंत्र लाभ के लिए राजनीतिक नेता के तौर पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कृत्य और आजाद हिन्द फौज को संगठित करने तथा उसे प्रिय बनाने में उनकी निष्पति की व्यापक मान्यता प्राप्त है।

(ग) तथा (घ). इस संबंध में ध्यान 20 अगस्त 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 658 के भाग (ग) और (घ) 25 फरवरी 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 429 और अतारांकित प्रश्न संख्या 1475 के उत्तरों की ओर दिया जाता है कि जिस का उत्तर आज दिया जा रहा है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विचार, और स्वतंत्रता संग्राम में उनका अंशदान शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशनों में दर्शाया गया है।

दक्षिण वियतनाम में अस्थाई क्रांतिकारी सरकार को मान्यता

*223. **श्री अ० कु० गोपालन** : **श्री उमानाथ** :
श्री विजय मोडक : **श्री सी० के० चक्रपाणि** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण वियतनाम में अस्थाई क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक मान्यता दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). अन्य बातों के अतिरिक्त दक्षिण वियतनाम की अस्थिर स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है ।

भारत नेपाल सम्बन्धों को बिगाड़ने के उद्देश्य से नेपाल के लिए चीन-पाकिस्तान के प्रसारण

224. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल के समाचार पत्रों में हाल ही में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि नेपाल के लिये प्रसारित किये जाने वाले पाकिस्तानी तथा चीनी रेडियो प्रसारणों का एकमात्र उद्देश्य साम्प्रदायिक प्रचार करना, भारत की निन्दा करना और भारत नेपाल संबंधों को बिगाड़ना है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाया गया है कि नेपाल के लिए पाकिस्तानी रेडियो प्रसारण भारत के विरुद्ध झूठे तथा अत्यन्त असभ्य प्रकार के पूर्णतया मिथ्या आरोपों से भरपूर होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) इन प्रसारणों में किये गये झूठे प्रचार का निराकरण करने के लिए काठमांडू स्थित हमारे राजदूतावास ने तुरन्त कार्रवाई की थी । नेपाल के अखबारों में भी पाकिस्तान रेडियो और पीकिंग रेडियो के इन प्रसारणों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया छपी थी ।

रूस द्वारा ट्रैक्टरों की सप्लाई

225. **डा० सुशीला नैयर** :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री पीलु मोदी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर सप्लाई करने के लिए रूस सरकार के साथ फरवरी, 1970 के प्रथम सप्ताह में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) उस करार में भुगतान की प्रक्रिया की क्या व्यवस्था है ; और

(ग) क्या ट्रैक्टरों के वितरण के सम्बन्ध में भी कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने, सोवियत संघ से 1500 बाईलारस ट्रैक्टरों के आयात के लिए 7 फरवरी 1970 को ट्रैक्टर एक्सपोर्ट, मास्को के साथ एक संविदा की है ।

(ख) तथा (ग). संविदा की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार ट्रैक्टरों का पोत-लदान पंचाग वर्ष 1970 के भीतर पूरा हो जायेगा ।

(2) ट्रैक्टरों का आयात आस्थगित भुगतान की शर्तों पर किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत भुगतान भारत तथा सोवियत संघ की सरकारों के बीच 7 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर हुए संलेख के अनुसार भारतीय रुपये में किया जायेगा । किस्तों के भुगतान की अवधि आठ वर्ष है ।

(घ) ट्रैक्टरों का वितरण तथा बिक्री एग्रो-इंडस्ट्राज कारपोरेशन के माध्यम से की जायेगी और यदि उनके पास आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों तो मरम्मत भी उनके द्वारा की जायेगी । यदि उनके पास इस प्रकार की सुविधाएं न हों तो वे सोवियत संघ के भूतपूर्व अभिकर्त्ताओं के पास उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करेंगे ।

हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

*226. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र की सहायता से इस समय हिमाचल प्रदेश में कितनी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है ;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा वे कहाँ पर हैं, उन परियोजनाओं की अलग-अलग अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) उन विद्युत परियोजनाओं के कब तक चालू हो जाने की संभावना है और वे प्रति वर्ष कितनी बिजली पैदा करेंगी ;

(घ) क्या उन परियोजनाओं का निर्माण कार्य निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं ; यदि काम पीछे चल रहा है तो इसके क्या कारण हैं तथा विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किन परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव और उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा बिद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश में किसी भी विद्युत परियोजना को पृथक रक्षित केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है । उन विद्युत परियोजनाओं पर जिनका निर्माण स्थानीय प्रशासन कर रहा है, संघीय प्रदेश के योजना सम्बन्धी स्रोतों से धन लगाया जा रहा है जिसमें केन्द्रीय सहायता और प्रदेश के अपने स्रोत शामिल हैं ।

निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थान, प्रतिष्ठापित क्षमता, अनुमानित लागत पूर्ण होने की प्रत्याशित तारीख और प्रतिवर्ष ऊर्जा शक्यता, से सम्बन्धित ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम तथा स्थान	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रु०)	चालू करने की प्रत्यक्षित तारीख	ऊर्जा शक्यता लाख यूनिट
उहुल पन-बिजली परियोजना (चरण 2), वस्ती।	45	1205.00	1970-71 के आरम्भ में	1400
नोगली पन-बिजली परियोजना (चरण 2), नोगली।	2	75.15	1970-71 के आरम्भ में	258
गिरि पन-बिजली परियोजना रिचरण 1) डोगोनवाला।	60	891.45	1971-72 के अन्त में	2895

(घ) गिरि पन-बिजली परियोजना निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रही है। उहुल पन-बिजली परियोजना और नोगली पन-बिजली परियोजना के पूर्ण होने में देरी हो गई है। देरी के कारण निम्नलिखित हैं :--

उहुल पन-बिजली परियोजना : कुछ देरी पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से हिमाचल प्रदेश प्रशासन को स्टाफ और परिसम्पत्ति समेत परियोजना के हस्तांतरण के कारण हुई है। संयंत्र और साज सामान की सप्लाई में देरी के कारण हुई है।

नोगली पन-बिजली परियोजना : कुछ देरी परियोजना के अभिकल्प में संशोधन करने की आवश्यकता के कारण और कुछ देरी संयंत्र और साज-सामान की सप्लाई में देरी के कारण हुई है।

बाधाओं को दूर करने और संयंत्र तथा साज सामान की शीघ्र सप्लाई के लिए पग उठाये गये थे। उहुल परियोजना के अन्तर्गत 15-15 मेगावाट की तीनों बिजली उत्पादन यूनिटों को लगा दिया गया है और इनके 1970-71 में शुरू में चालू हो जाने की सम्भावना है। नोगली पन-बिजली परियोजना के अन्तर्गत 500-500 किलोवाट के दो बिजली उत्पादन यूनिटों को चालू कर दिया गया है और शेष यूनिटों के शीघ्र चालू होने की सम्भावना है।

(ङ) चौथी योजना के अन्तर्गत बैरा-सियुल पन-बिजली परियोजना का केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वियन करने का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने चौथी योजना के दौरान तीन लघु पन-बिजली स्कीमों नामशः रुखी, तियांग और घरोला नाला की कार्यान्विति का प्रस्ताव किया है। इन स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

बेरा सिउल पन-बिजली परियोजना :

इस परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए सियुल (रावी की एक सहायक नदी और

इसकी सहायक नदियों बैरा और भालेघा के संयुक्त अन्तः प्रवाह का समुपयोजन परिकल्पित है। इसमें ये निर्माण कार्य शामिल है बैरा नदी के ऊपर 16 फुट ऊंचा बांध तथा सिउल और भालेघ के ऊपर छोटी व्यपवर्तन संरचना जल संवाहक प्रणाली पुनारी पर 67.5 67.5 मैगावाट के तीन उत्पादन यूनिटों का बिजली घर और उत्तरी ग्रिड से बिजली घर को मिलाने के लिए 220 के० वी० को डबल सर्किट पारेषण लाइन का निर्माण परियोजना की अनुमानित लागत 2048.50 रुपये है।

रुकती लघु पन-बिजली स्कीम :

मूलरूप में इस स्कीम में किन्नौर जिले में 4.14 लाख रुपये की अनुमानित लागत से रुकती खुड पर 100 किलोवाट का प्रतिष्ठापन परिकल्पित था। 250 किलोवाट के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था करने के लिए स्कीम के परिणाम का अब संशोधन किया जा रहा है।

तियांग लघु पन-बिजली स्कीम :

इस स्कीम में किन्नौर जिले में तियांग पर 6.68 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 100 किलोवाट का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है।

घरोला पन बिजली स्कीम :

इस स्कीम में 1.42 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर चम्बा जिले में घरोला पर 50 किलोवाट का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है।

यूरोप के देशों में भारतीय कागज तथा कागज की बनी वस्तुओं की मांग

*227. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप के कुछ देशों में भारतीय कागज की बनी वस्तुओं की बहुत मांग है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा कौन से देश भारतीय कागज तथा कागज की बनी वस्तुयें खरीदना चाहते हैं ; और

(ग) ऐसी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, तथा इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) कागज तथा कागज उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए शुल्क वापसी, 5 प्र० श० से 50 प्र० श० तक आयात प्रतिपूर्ति और विपणन सहायता दी जाती है और संवर्धनात्मक उपाय किये जाते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कागज तथा गत्ता उद्योग की वर्तमान क्षमता 7.7 लाख मे० टन से बढ़ कर 11.3 लाख मे० टन हो जाने पर ऐसी आशा है कि 1973-74 तक निर्यातो से 9 से 10 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब

228. श्री न० कु० सोंधी :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश जाने के इच्छुक भारतीय राष्ट्रिकों को पासपोर्ट जारी करने में गत एक वर्ष में असामान्य विलम्ब हुआ ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और देरी समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) दिसम्बर, 1969 को समाप्त हुये तीन महीनों में प्रत्येक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में प्राप्त हुये आवेदन पत्रों तथा जारी किये गये पासपोर्ट की औसत संख्या कितनी है ?

वैदेशिक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में खासतौर से पंजाब और हरियाणा राज्यों के मामले में कुछ अपरिहार्य विलम्ब हुआ है । अक्तूबर, 1969 में चण्डीगढ में एक नया कार्यालय खोले जाने पर फाइले वहां भेजी गई और काम का बंटवारा हुआ जिसकी वजह से देर हो गई थी । सभी बकाया मामलों को जल्दी जल्दी निपटाने के लिए कारगर कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) एक वक्तव्य संलग्न है ।

विवरण

अवधि	आवेदन पत्र	दिल्ली	बम्बई	मद्रास	कलकत्ता	लखनऊ	चंडीगढ़	अहमदाबाद	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अक्तूबर-दिसम्बर 1969	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	6553	11898	10053	3573	1523	3344	3841	40775
अक्तूबर-दिसम्बर 1969	जारी किये गए पासपोर्टों की संख्या	4560	9056	7289	2346	1155	1437	1288	27131

उड़ीसा के लिए योजना परिव्यय को अन्तिम रूप देना

*229. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लिए चौथी योजना में व्यय को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

(ख) क्या योजना व्यय को अन्तिम रूप देते समय राज्य की कम प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य की चौथी योजना की अन्तिम अनुमानित राशि क्या है और आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार का अंश कितना होगा जिसके लिए राज्य सरकार सहमत हो गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीयों को कांगो छोड़ने का आदेश

*230. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 500 भारतीय परिवारों को कांगो छोड़ने का आदेश दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस बारे में कांगो सरकार से विरोध प्रकट किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार गत अगस्त में जो आदेश जारी किया गया था और जिसमें कहा गया था कि ऐसे सभी गैर नागरिक, जो कांगो की अर्थ-व्यवस्था के लिए निरर्थक हैं, कांगो से चले जाएं उसकी शर्तों के अनुसार कांगो (किशाशा) की सरकार ने 43 भारतीय नागरिकों को देश से चले जाने के नोटिस दे दिए थे । राजनयिक सूत्रों के माध्यम से कांगो की सरकार से अभ्यावेदन किया गया था और हमें यह आश्वासन दिलाया गया था कि सभी मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और कोई कठिनाई नहीं होने दी जायेगी ।

स्टेनलैस स्टील के लिये अग्रिम आयात लाइसेंस सम्बंधी नीति

*231. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेनलैस स्टील के सम्बन्ध में निर्यात प्रयोजनों हेतु अग्रिम आयात लाइसेंस देने के बारे में क्या नीति है ;

(ख) 1969 में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ; और

(ग) कितने आवेदनकर्ताओं को अग्रिम लाइसेंस जारी किये गये थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) निर्यात क्रयादेशों को पूरा करने लिए अपेक्षित मंदे आयात करने के लिये पंजीकृत निर्यातकों को अग्रिम लाइसैंस देने की नीति

तथा प्रक्रिया, जोकि अप्रैल, 69 मार्च 70 के लिए इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल पालिसी बुक के ग्रन्थ 2 के खण्ड 1 के पैरा 39 में तथा इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल हैण्डबुक आफ रूल्स एण्ड प्रोसीजर, 1969 के पैरा 117 में दी गई है, स्टेनलैस स्टील के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंसों की मंजूरी के लिए भी उसी प्रकार लागू होती है।

(ख) वर्ष 1969 में, स्टेनलैस स्टील उत्पादों के निर्यात क्रयादेशों के बदले स्टेनलैस स्टील के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंसों की मंजूरी के लिए, 18 आवेदन पत्र प्राप्त हुये।

(ग) स्टेनलैस स्टील के आयात के लिये अग्रिम लाइसेंसों की मंजूरी केवल तीन फर्मों को दी गई है।

Construction of Super Grids in the Country

*232. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have looked into the question of making super grids, which will serve as a heavy duty transmission and operative line keeping in view the increasing power generation, single grid, being under construction in the country and the necessity to transmit substantial load of power from one place to another ; and

(b) if so, the efforts being made in this regard ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b). Interconnections being established between the State Grids and between the Regional Grids are generally at 220 kv. In certain areas, however, inter-State links at 110 kv/132 kv are being established as studies have shown that these links broadly meet the requirements and fit into the grid pattern. In the context of the proposed establishment of large hydel stations, pit-head thermal stations and nuclear power stations and considering the distances involved in transmission of large blocks of power from these power stations to the consuming centres, the introduction of voltage higher than 220 kv has been considered, and 400 kv has been adopted as the most technically suitable. The construction of a 400 kv single-circuit line from Dehar to Panipat under the Beas Project and another 400 kv single-circuit line from Obra to Sultanpur in U. P. has been planned during the Fourth Plan period. It is envisaged that the development of 400 kV net-works would take place in many of the systems in the Fifth and subsequent Plan periods and these would be suitably linked with the all-India Grid.

सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये नई तकनीक का विकास

*233. **श्री वे० कु० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के निदेशक ने देश के वर्षा न होने वाले क्षेत्रों में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए नई तकनीकी का विकास करने पर जोर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) देश में समेकित शुष्क भूमि कृषि विकास सम्बन्धी स्कीम चतुर्थ योजना में कार्यान्वियनार्थ तैयार की जा रही है।

पाकिस्तान को अमरीका से पुनः सैनिक सहायता का मिलना

234. **श्री श्रद्धाकर सुपकर :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने पकिस्तान को सैनिक सहायता देना पुनः आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता दी जा रही है ; और

(ग) पाकिस्तान की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति से देश की सुरक्षा को उत्पन्न होने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान को सैनिक सहायता के सम्बन्ध में यू० एस० ए० सरकार की नीति में किसी हाल के परिवर्तन का सरकार को ज्ञान नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

त्रिवेन्द्रम में सांस्कृतिक केंद्र को पूरा करने के लिये रूसी दूतावास द्वारा अनुमति मांगना

*235. **रवि राय :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने त्रिवेन्द्रम में अपने सांस्कृतिक केन्द्र को पूरा करने के लिये फिर से अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). नई दिल्ली स्थित सोवियत राजदूतावास ने त्रिवेन्द्रम को अपनी इमारत के निर्माण का काम, जिसे वे पहले सांस्कृतिक केन्द्र बनाना चाहते थे, फिर शुरू करने की इजाजत मांगी है और कहा है कि उन्हें जबर्दस्त वित्तीय हानि हो रही है क्योंकि अगर काम बंद भी हो तो ठेकेदारों को पैसा देना ही पड़ता है, उन्होंने यह भी कहा है कि इस इमारत के विषय के बारे में सरकार जो भी अन्तिम निर्णय लेगी उसे वे स्वीकार करेंगे। इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्राम्बे पर बमबारी करने के बारे में पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री की कथित योजना

*236. **श्री बलराज मधोक :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के अणु-शक्ति

संयंत्र को नष्ट करने के लिये ट्राम्बे पर बमबारी करने की पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री जैड० ए० भुट्टो की कथित योजना का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी स्थिति में शत्रु द्वारा ट्राम्बे को नष्ट न किया जा सके, इसके लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

प्रांत रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस विषय पर समाचार पत्रों में रिपोर्ट देखी है।

(ख) महत्वपूर्ण संस्थानों को सकटों समेत देश के सामने आने वाले संकटों के प्रति सरकार सजग है, और उनकी अपनी रक्षा आयोजनाओं में ध्यान रखा गया है।

केलों का निर्यात

237. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 और 1969-70 में विभिन्न देशों को निर्यात किये गये केलों के देश-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) 1970-71 के लिये इस बारे में क्वा लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग). वर्ष 1970-71 के लिये निर्यात लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किये गए हैं। तथापि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिये निम्नांकित कार्यवाही की जा रही है :

(1) चौथी योजना अवधि में 16,000 हेक्टार के अतिरिक्त क्षेत्र पर केले की निर्यात योग्य किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है।

(2) तीन अथवा चार नई किस्में आरम्भ की जा रही हैं, जिन्हें विश्व बाजार में स्वीकार कर लिया गया है।

(3) निर्यातों के लिये संस्थागत वित्तीय प्रबन्धों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

1968-69 तथा 1969-70 में विभिन्न देशों को केले के निर्यात के आंकड़े :

मात्रा मे० टन में

मूल्य लाख रु० में

देश	1968-69		1969-70 (नवम्बर 69 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ईरान	89	1	—	—
बहरीन द्वीप	2454	12	564	3
कुवैत	6449	31	2324	12
कतार, ट्रूशियल तथा ओमान	1150	6	252	1
अन्य	93	1	2	नगण्य
योग	10235	51	3146	16

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयात को अपने हाथ में लेना

*238. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मुख्य आयात संगठन को अपने नियन्त्रण में लेने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विकास करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). सरकार की यह नीति है कि देश के आयात तथा निर्यात व्यापार में राज्य व्यापार अभिकरणों के भाग को उत्तरोतर बढ़ाया जाये और राज्य व्यापार अभिकरणों के, जिनमें खनिज तथा धातु व्यापार निगम शामिल है, माध्यम से अधिकाधिक मदों के आयात को मार्गीकृत करने का विचार है । 1-1-1970 से निम्नलिखित मदों का आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया जा चुका है :

1. राक फास्फेट खनिज फास्फेट ।
2. पोटाश सल्फेक्ट
3. अमोनियम सल्फेट
4. पोटाश म्यूरियेट
   (औद्योगिक ग्रेड से इतर पोटाशियम क्लोराइड)
5. गंधक

पाकिस्तान को रूसी टैंकों की सप्लाई

*239. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान ने पुनः बहुत से रूसी टैंक प्राप्त किये है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने तथा किस किस्म के टैंक उसे मिले हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). हमारी सूचना के अनुसार पाकिस्तान को सोवियत संघ ने टी-54/टी-55 टैंक सप्लाई किये हैं। यद्यपि सप्लाई की गई संख्या के बारे में काफी विश्वनीय सूचना का ज्ञान है, इसे प्रकट करना वांछनीय न होगा ।

भाखड़ा समूह का प्रबंध

*240. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा समूह के प्रबन्ध के बारे में पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश सरकारों की मांगें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने 29 जनवरी, 1970 को घोषणा की थी कि वह भाखड़ा परियोजना के सम्बन्ध परिवर्तनों पर विचार करने को तैयार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश ने इस बात का अपना अपना अधिकार जिताया है कि भाखड़ा-समूह पर पूर्णतया उन का नियन्त्रण होना चाहिए ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार ने 29 जनवरी, 1970 की घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में भाखड़ा के लिए एक प्रबन्ध बोर्ड स्थापित करने की व्यवस्था है जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों तथा संघीय प्रदेश हिमाचल प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया गया है और जो कि केन्द्रीय सरकार के समस्त नियंत्रण में कार्य करता है । इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि वर्तमान प्रबन्धों में जो भाखड़ा तथा व्यास परियोजनाओं पर आधारित समेकित सिंचाई और बिजली प्रणालियों को ध्यान में रख कर और लाभभोगी राज्यों के हित के लिये किये गये थे । उन संशोधनों पर जोकि आवश्यक होंगे, विचार किया जायेगा ।

रंगीन फिल्मों के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त करने में देरी

1401. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात-निर्यात संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, बम्बई के तानाशाही तथा असहयोग के रवैये के कारण रंगीन फिल्मों के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त करने में फिल्म निर्माताओं को बहुत देर लग जाती है जिससे फिल्म उद्योग को बड़ी हानि होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयात-निर्यात संयुक्त मुख्य नियन्त्रक से भेंट करने में एक मास से अधिक लग जाता है और भेजे गये आवेदनों की रसीद प्राप्त करने में 2½ मास लग जाते हैं ; और

(ग) इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए कि हमारी फिल्मों से हमें प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, सरकार का विचार फिल्म निर्माताओं की कठिनाई दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं । यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होता है तो आयात-निर्यात संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, बम्बई द्वारा कच्ची फिल्म के निकासी आदेश जारी करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होती । हां, हाल ही में, कुछ फिल्म निर्माताओं द्वारा आयात किये गये स्टाक के अभिकथित दुरुपयोग की जांच निलम्बित होने के कारण, कुछ मामलों में निकासी आदेश रोक दिये गये थे ।

कच्ची फिल्म के लिये कोई आयात लाइसेंस फिल्म उद्योग को सीधे नहीं दिये जाते ।

(ख) जी नहीं आम तौर पर इस प्रकार की देरी नहीं होती ।

(ग) कच्ची फिल्मों के निकासी आदेश हेतु आवेदनपत्र विषय-निर्वाचन समिति जिसमें उद्योग के सदस्य होते हैं, द्वारा आयात-निर्यात मुख्य नियन्त्रक को भेजे जाते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्रों के कारण निकासी आदेश देने में होने वाली देरी को कम करने के लिए एक कार्य-विधि प्रारम्भ की गई है, कि विषय-निर्वाचन समिति आयात-निर्यात संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, बम्बई के पास केवल उन्हीं आवेदनपत्रों को भेजेगी जो सभी तरह से पूर्ण हों ।

चाय का निर्यात

1402. **श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष हमारा चाय निर्यात कितने किलोग्राम था और कितने रुपये का था ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चाय विस्तार बोर्ड से हमारे हट जाने के कारण हमारे चाय निर्यात में कमी हुई है और यदि नहीं, तो निर्यात में कमी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) श्रीलंका द्वारा हमारे से बाजी लिए जाने और सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि चाय बागानों से विदेशी पूंजी हटायी जा रही है और यदि हाँ, तो कितनी और किन क्षेत्रों में ऐसा किया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) 1967,1968 तथा 1969 में भारत से निर्यातित चाय का परिमाण तथा मूल्य निम्नलिखित था :

वर्ष	परि० (10 लाख किग्रा० में)	(मूल्य करोड़ रु० में)
1967	213.68	189.04
1968	208.44	166.48
1969	176.73	130.27

(ख) निर्यातों में गिरावट के कारण ये हैं : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्यों में गिरावट, निर्यात बाजार में नये देशों का प्रवेश तथा भारत में घरेलू बाजार का तेजी से विकास जिससे निर्यात के लिये चाय की उपलब्धि पर और अन्य बाजारों में चाय के मूल्यों की तुलना में हमारे मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है ।

(ग) यद्यपि श्रीलंका एक छोटा देश है और केवल लगभग 2.20 से 2.25 करोड़ किग्रा० चाय पैदा करता है जब कि भारत में लगभग 40 करोड़ किग्रा० पैदा होती है, फिर भी श्रीलंका की आबादी कम है और घरेलू खपत केवल लगभग 1.8 से 2 करोड़ किग्रा० है जब कि भारत में लगभग 20 करोड़ किग्रा० की खपत होती । अतः श्रीलंका को उसके द्वारा पैदा की गई अधिकतम चाय को विदेशों में उसे जो भी मूल्य प्राप्त हो, उसी पर बेचना होता है ।

यही मुख्य कारण है कि जिससे श्रीलंका हाल ही में निर्यात निष्पादन भारत से आगे निकल गया है। उसके एकक मूल्य कम है।

(घ) कतिपय स्टर्लिंग कम्पनियां भारतीय खरीदारों को चाय क्षेत्र, मुख्यतः अलाभकर क्षेत्र बेच रही हैं। ये क्षेत्र अधिकतम प० बंगाल तथा आसाम क्षेत्रों में हैं। चाय बागानों की बिक्री की राशियां, जिनका विदेश भेजना 1965 से 1968 की अवधि में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, निम्नलिखित है :

वर्ष	बिक्री की रकम (आंकड़े लाख में)
1965	59.70
1966	89.20
1967	कुछ नहीं
1968	98.72

भारतीय दूतावासों पर व्यय

1403. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में भारतीय मिशनों जैसे दूतावासों, उच्चायोगों, वाणिज्य दूतावासों, आदि की अलग अलग संख्या कितनी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 2692/70]

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के नियंत्रण बोर्ड की बैठक

1404. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में 16 जनवरी, 1970 को कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के नियंत्रण बोर्ड की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में कार्य सूची के किन-किन मदों पर चर्चा हुई तथा पारित हुई ;

(ग) क्या उक्त बैठक में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के गत वर्ष के वार्षिक लेखों के विवरण को भी पारित किया गया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार वार्षिक लेखों के विवरण की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मदें कि जिन पर बैठक में विचार किया गया और जिन के संबंध में निर्णय

किया गया, 1968-69 के लेखे जोखे और हानि लाभ के हिसाब और उस वर्ष के दौरान अर्जित लाभ से संबंधित थी।

(ग) जी हां।

(घ) सी० एस० डी० (आई०) के आडिट शुदा वार्षिक हिसाब किताब के विवरण रक्षा सेवाओं के एप्रोप्रिएशन अकाऊंट के वाणिज्य अनुबंध के तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं, और प्रतिवर्ष सभा पटल पर रख दिए जाते हैं।

विदेशों में बसे सम्बन्धियों से टेलीविजन सेटों के लिये आयात परमिट के उपहार

1405. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में बसे अपने सम्बन्धियों से उपहारों के रूप में ट्रेक्टरों का आयात करने की प्रणाली की तरह अपने संबंधियों से उपहार के रूप में विभिन्न प्रकार के टेलीविजन सेटों का आयात करने के लिये लोगों की आयात परमिट जारी करने की अनुमति देने के लिये आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक की हिदायतें दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और यह कब से लागू है ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उपहार के रूप में टेलीविजन सेटों का आयात करने की अनुमति सरकार कब देगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). ट्रेक्टरों की तरह दूरदर्शन सैटों के आयात के लिये कोई योजना नहीं है। तथापि सम्बन्धियों से उपहार स्वरूप दूरदर्शन सैटों के आयात के लिये भेजने वाले का पत्र प्रस्तुत करने पर, पृथक-पृथक मामलों पर गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जाती है। इस समय केवल ऐसे ही आवेदकों के आवेदनों पर विचार किया जाता है जो दिल्ली में या आसपास रहते हैं जहां दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विदेशों में स्थापित औद्योगिक परियोजनाएं

1406. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फर्मों ने, फर्मवार विदेशों में, देशवार, कुल कितनी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना की है ;

(ख) इन परियोजनाओं ने कुल कितना विदेशी धन भारत भेजा है ; और

(ग) क्या विदेशों में इन परियोजनाओं को स्थापित करने का कोई क्या प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारतीय सहयोग से

विदेशों में स्थापित 19 औद्योगिक संयुक्त उद्यमों ने अभी तक उत्पादन किया है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न सूची 'ए' (अंग्रेजी) में दिये गये हैं।

(ख) सूची 'ए' में उल्लिखित कुछ फर्मों द्वारा लगभग 82 लाख रु० की विदेशी मुद्रा देश में भेजी गई है।

(ग) उन परियोजनाओं की सूची 'बी' (अंग्रेजी में) संलग्न है जो कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं [**ग्रन्थालय में रखा। देखिए संख्या एल० टी० 2693/70**]

कपड़े का निर्यात

1407. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कपड़ा अपनी बढ़िया कारीगरी डिजाइन तथा गुण-प्रकार के लिये बहुत प्रसिद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो सूती कपड़े ऊनी कपड़े, कृत्रिम तथा शुद्ध रेशम के कपड़े के निर्यात से प्रतिवर्ष कुल कितनी आय होती है ; और

(ग) सूती कपड़े के विश्व निर्यात बाजार में भारत का भाग कितने प्रतिशत है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1968 में थान सूती कपड़े के सम्पूर्ण विश्व बाजार में भारत का भाग 8.8 प्रतिशत था।

विवरण

(मूल्य करोड़ रु० में)

सूती कपड़ा

वर्ष	कुल मूल्य
1969	104.47
1968	95.32
1967	82.21

कृत्रिम रेशम

1969	3.45
1968	3.03
1967	0.95

रेशमी वस्त्र (प्राकृतिक)

1969	14.31
1968	5.50
1967	3.42

ऊनी कपड़ा

वित्तीय वर्ष	
1969-70 (अप्रैल-दिसम्बर 69)	17.73
1968-69	26.22
1967-68	21.74

इसमें अक्तूबर से दिसम्बर, 1969 के अस्थायी आंकड़े भी सम्मिलित हैं ।

चाय बोर्ड का गठन

1408. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड के चेयरमैन तथा सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) बोर्ड के चयन के लिये क्या सिद्धान्त अपनाये जाते हैं ;

(ग) उन में से प्रत्येक को चाय उद्योग का कितना अनुभव है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ग). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी० 2694/70]

(ख) चाय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4(3) के अनुसार की जाती है जहां तक चाय बोर्ड के गठन और उस में होने वाली रिक्तियां भरने के ढंग का सम्बन्ध है, चाय नियम, 1954 के नियम 4 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

पृथक चीफ इंजीनियरों की नियुक्ति

1409. **श्री विक्रम चन्द महाजन :**

श्री हेम राज :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सियूल परियोजना के लिये 1970 में कितनी धनराशि नियत की गई है और शेष राशि किस वर्ष तक व्यय की जायेगी ;

(ख) क्या सियूल परियोजना (हिमाचल प्रदेश) तथा सलाल परियोजना (जम्मू और काश्मीर) के लिये अलग-अलग चीफ इन्जीनियर नियुक्त करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1970-71 के दौरान सियूल परियोजना पर 3 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने का विचार है । यदि धन उपलब्ध हो गया तो परियोजना के लिये अपेक्षित शेष राशि का 1973-74 तक व्यय करने का विचार है ।

(ख) तथा (ग). सियुल तथा सलाल परियोजनाओं की निकटता को देखते हुए तथा इन परियोजनाओं के आरम्भ करने में कार्य के परिणाम पर भी विचार करते हुए इन दोनों परियोजनाओं के लिए आरम्भ में एक सांझे मुख्य अभियंता को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता स्थापित करने के लिये काश्मीर और फरक्का विवादों को हल करना जरूरी

1410- **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित पाकिस्तान के सूचना मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जब तक काश्मीर तथा फरक्का विवादों को हल नहीं किया जाता भारत और पाकिस्तान के लोगों की स्वतन्त्रता से रहने तथा सुरक्षा स्थापित करने की प्रतिज्ञा अधूरी ही रहेगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार आशा करती है कि पाकिस्तान ताशकन्द घोषणा के आधार पर दोनों देशों के बीच की समस्याओं को बिना कोई पूर्व शर्त रखे, एक-एक करके हल करने के महत्व को महसूस करेगा।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के महाप्रबन्धक का सेवाकाल बढ़ाया जाना

1411. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के महाप्रबन्धक का सेवाकाल बढ़ाये जाने के बारे में 10 सितम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोर्ड आफ कन्ट्रोल की उचित ढंग से बैठक बुलाये बिना महाप्रबन्धक का सेवाकाल बढ़ाने का संबंधी फाइल को परिचालित करके इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने का क्या औचित्य है ;

(ख) फाइल पर सरकुलेशन आर्डर किस ने दिये थे और ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया गया था ;

(ग) यदि ऐसा कोई नियम नहीं है तो क्या यह सच है कि सेवावृति होने वाले क्वार्टर मास्टर जनरल को उससे उच्च पद पर नियुक्त किसी जानकारी से मौलिक रूप से इस फाइल के सरकुलेशन के आदेश मिले थे ; और

(घ) यदि हाँ, तो सेवाकाल बढ़ाने के लिये इन चोर दरवाजे के तरीकों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). अकेली मदों के लिये चल पत्र द्वारा निर्णय लेना कोई असाधारण बात नहीं है। माला नियंत्रण बोर्ड के सचिव द्वारा परिचालित किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों के सरकारी/गैर-सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा प्रतिनिधि मंडलों की भारत यात्रा

1412. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों 1968-69 तथा 1969-70 में भारत आये विदेशी सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, प्रतिनिधि मंडलों और सद्भावना मंडलों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उन पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ; और

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है।

मैंगनीज के निर्यात व्यापार का ठप्प होना

1413. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगनीज का निर्यात व्यापार ठप्प हो गया है ;

(ख) इसके ठप्प होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मैंगनीज उद्योग की समस्याओं पर किसी अध्ययन दल ने विचार दिया है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हाँ,। उच्च कोटि के मैंगनीज अयस्क के निर्यात में गिरावट आई है।

(ख) विश्व बाजारों में तीव्र प्रतियोगिता।

(ग) जी हां। मैंगनीज अयस्क उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

केन्द्रीय विधि मंत्री, श्री पी० गोविन्द मेनन की आस्तियों की जांच

1414. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री गुणानंद ठाकुर :
श्री किकर सिंह :
श्री अब्दुल गनी डार :
श्री स० कुन्हू :
श्री द० रा० परमार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प० मु० मेहता :
श्री देवेन सेन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया

गया है कि कुछ विख्यात व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से यह मांग की गई है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री गोविन्द मेनन तथा उनके परिवार के पास धन तथा अन्य सम्पति के विषय में निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री गोविन्द मेनन के दस मकान हैं जिनका किराया लगभग 10,000 रुपये किराया उनके द्वारा अथवा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है ;

(ग) क्या समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि श्री गोविन्द मेनन मंत्रि-मण्डल में शामिल होने से पहले किसी किराये की इमारत में रह रहे थे ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि यह मांग इसके सार्वजनिक महत्व की दृष्टि से की गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय विधि मंत्री, श्री गोविन्द मेनन की सम्पति के बारे में समाचारपत्रों में छपी रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं। 19 जनवरी 1970 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' नामक अखबार में छपी एक खबर के अनुसार, जनसंघ के राज्यसचिव, श्री राजागोपाल ने मांग की थी कि केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा प्राप्त कथित धन के बारे में जाँच की जाए। 14 जनवरी, 1970 के 'दि इंडियन एक्सप्रैस' (मदुराई संस्करण) के अनुसार, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान, श्री टी०ओ० बावा, ने कहा था कि श्री गोविन्द मेनन द्वारा धन प्राप्ति के बारे में जनता को जानकारी दी जाए और श्री मेनन को चुनौती दी थी कि वह अपनी सम्पति की घोषणा करें।

(ख) जी नहीं।

(ग) समाचारपत्रों में छपी रिपोर्ट के विपरीत, श्री गोविन्द मेनन मंत्री परिषद् में आने से पहले नई दिल्ली स्थित वैस्टर्न कोर्ट में संसद सदस्यों के फ्लैट में रह रहे थे, किराए के मकान में नहीं।

(घ) जी नहीं।

लघु उद्योगों को लाइसेंस देना

1415. **श्री गणेश घोष :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री ज्योतिर्मय वसु :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 से 1969-70 तक राज्य-वार और वर्ष-वार लघु उद्योगों को कितने और कितने मूल्य के लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) संख्या में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लिए लघु उद्योगों को राज्य-वार और 1966-67 से 1969-70 तक वर्षवार दिये गये लाइसेंसों की संख्या तथा मूल्य यथा प्राप्य

दिये गये हैं । मशीनों के आयात लाइसेंसों और पंजीकृत निर्यातकों के लिए निर्धारित आयात नीति के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंसों के लिये भी राज्यवार, तथा लघु उद्योगों के लिये अलग-अलग, आंकड़े नहीं रखे जाते । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2695/70]

(ख) वर्ष प्रति वर्ष, लाइसेंसों की संख्या तथा मूल्य में अन्तर होने के मुख्य कारण ये हैं कि लाइसेंस देने की नीति में परिवर्तन होते हैं, वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा सीधे आयात के लिये अनुमेय मदों की सूची में भी परिवर्तन होते हैं और प्रत्येक लाइसेंस अवधि में प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है ।

Supply of Railway Equipment to Foreign Countries

1416. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Atam Das :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Yashwant Singh Kushwah :**

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of the countries from which orders have recently been received by Government for the supply of Railway equipments ;

(b) the amount of foreign exchange likely to be earned by the Government of India therefrom ; and

(c) whether negotiations are in progress with some other countries also in regard to the export of Raiiway equipment to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). Orders for supply of railway rolling stock and equipment have been received recently as indicated below :

Item	Country	Value
		(Rs. in lakhs)
500 covered wagons	Poland	270
120 wagons and 40 underframes	Sudan	100
40 bogies and petrol wagons	Ceylon	32
120 covered wagons	Taiwan	74
150 wagons	Ghana	49
45 Cattle wagons	East Africa	30
1000 Wagons	Hungary	585
45 bogies	Thailand	10
2900 Coupler sets	Sudan	44
Track materials	Iran, Burma, Sudan, UAR	478

(c) Yes, sir. Negotiations are in progress with Nigeria, New Zealand, Iraq, Iran, USSR, Yugoslavia, Syria, GDR, Argentina, Taiwan, East Africa etc. for supply of railway rolling stock and equipment.

भारतीय विदेश सेवा के पुनर्गठन के बारे में पिल्ले समिति की रिपोर्ट

1417. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिल्ले समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). भारतीय विदेश सेवा समिति की सिफारिशों पर मई, 1969 तक अमल की दिशा में जो कार्रवाई की गई, उसका ब्योरा लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 9557, दिनांक 14-5-1969 के उत्तर में दिया गया था। इस समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में, उसके बाद और जो उपाय किये गये हैं, वे संलग्न विवरण में बतलाये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 2696/70]

Death/Injury caused in Naga and Mizo Hills

1418. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of rebels arrested and killed in Naga and Mizo Hills during the last six months, separately ; and

(b) the number of jawans of the Security Force killed and injured there ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Between August, 1969 and January, 1970, 450 Naga hostiles and 112 Mizo hostiles were captured, 18 Naga hostiles were killed during the operations by the Security forces. In addition, 478 Nagas and 395 Mizos surrendered to the security forces.

(b) During the same period, 19 personnel of the security forces were killed and 31 were wounded.

भारतीय जल सीमा अमरीका द्वारा जासूसी

1419. **श्री देवेन सेन** :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री ई० के० नायनार :
श्री अनिरुद्धन :
श्री के० रमानी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "प्यूलो काण्ड" के बाद हिन्द महासागर में भारतीय नौसेना के विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र में अमरीका दूसरे देशों के जहाजों पर अपने राष्ट्रीय झण्डे लगा कर जल के नीचे अनुसंधान के नाम पर जासूसी का कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी तौर पर यह घोषित किया गया है कि गुलफाक्स नामक जहाज़ बंगाल की खाड़ी में जल विश्लेषण का कार्य कर रहा है ; और

(ग) भारतीय जल सीमा में इस प्रकार की गतिविधियां रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). बंगाल की खाड़ी में यू०एस०ए० के पोतों की तथाकथित गतिविधियों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों की रिपोर्टों का ज्ञान है। तदपि सरकार के पास कोई पक्की सूचना नहीं है। भारतीय नौसैनिक पोतों द्वारा सतर्कता बनाई रखी गई है।

Tractors received as Gift from Foreign Countries and their Distribution

1420. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the total number of tractors received in the country as gifts from foreign countries upto the end of 1969 :

(b) the number of tractors as also their horse power received from each country and the names of States where such tractors were received ; and

(c) whether Government propose to accord permission to the receipt of spare parts in the country as gifts to repair such tractors which have gone out of order ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Information about the number of tractors actually imported into the country against Tractors Gift Scheme is not available. However 843 Customs Clearance Permits were issued upto 31-12-1969.

(b) This information is not available. C.C.P's. have been issued for the following makes of tractors :

Massey Ferguson 45.5 H. P. and 50 H. P.

International 37.5 H. P.

Bvelarus 50 H.P.

DT 14-B.

Zetor 2011 and Zetor 3011.

Zetor Super 50.

Ursus 27 and 37 H. P.

(c) Under the existing Gift Scheme, spare parts subject to certain restrictions and the implements where asked for are also allowed upto 30% of the C.I.F. value of the tractor for its maintenance. Requests from individual tractor owners for the import of spares for the repairs of the tractors are also considered.

भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अपाहिज हुए प्रतिरक्षा कर्मचारियों का पुनर्वास

1421. **श्री गाडिलिंगम गौड** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दौरान अपाहिज हुए प्रतिरक्षा कर्मचारियों का संख्या कितनी है और उनमें से कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है; और

(ख) शेष अपाहिज कर्मचारियों के पुनर्वास न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उनके तुरन्त पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). कुल 1034 रक्षा सेविवर्ग में से कि जो 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान नियोंग्य हो गये थे, 761 असैनिक कामों में पुनरावासित कर दिए गए हैं, या उन्हें अपने रोजगार के लिए योग्य

बनाये हुए व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। शेष में से 156 संविवर्ग ने किसी प्रकार के पुनरावासन के सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। शेष 117 के सम्बन्ध में उनके लिए उपयुक्त असैनिक रोजगार ढूंढने के लिए प्रयास जारी हैं। उनमें पाकिस्तान अधिक निर्योग्य हैं, और कईयों ने अपना चिकित्सा उपचार अभी हाल ही में सम्पूर्ण किया है इसलिए उनके पुनरावास में कुछ समय लगेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं को अनुदान

1422. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं को अनुदान दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन संस्थाओं को वर्ष वार कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

नागालैंड में निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति पर विद्रोही नागाओं की रिहाई

1423. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड में निवारक निरोध अधिनियम के समाप्त हो जाने पर रिहा किये गये विद्रोही नागाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) उक्त अधिनियम के न रहने पर भविष्य में विद्रोही नागाओं से निपटने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) चीन द्वारा प्रशिक्षित 274 छिपे नागाओं को पकड़ कर निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया था। 76 नागाओं का एक अन्य गिरोह को, जो चीन जा रहा था, रास्ते में पकड़ लिया गया था और उसे भी इसी नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया था। इस कानून के समाप्त होने पर, इन्हें मुक्त कर दिया गया था। लेकिन, इनमें से 134 व्यक्तियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि इनके खिलाफ कोहिमा में एक मुकदमा दर्ज था जिसमें उनकी तलाश थी।

(ख) जो व्यक्ति फिर से गिरफ्तार नहीं किये गये थे उन्हें अपने अपने गांव जाने दिया गया है। उनमें से कुछ तो बहुत कम उम्र के हैं। कुछ दूसरों के पूर्वज अच्छे हैं और उन्हें बल-पूर्वक छिपे नागाओं की सूची में शामिल कर लिया गया था। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग इनमें थे जो कुछ ही दिनों से इनके साथ आये थे। यह आशा की जाती है कि ग्रामीण प्रौढ़

जिनके आश्वासन पर इन्हें रिहा किया गया है, इनके कार्यों पर निगाह रखेंगे और उन्हें शांति-पूर्ण कामों में लगाने में उनकी मदद करेंगे ।

(ग) निवारक नजरबन्दी कानून न होने पर, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी कार्य करते हुए पाया जायेगा तो उसके साथ नागालैंड के सामान्य कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी ।

प्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य

1425. **श्रीमती सुशीला :** **श्री उमानाथ :**
श्री मुहम्मद कोया : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी कोई वक्तव्य देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार प्रौद्योगिक नीति की आवश्यकता के प्रति जागरूक है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). सरकार के वैज्ञानिक कार्य-नीति विषयक प्रस्ताव, 1958 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (उद्योगविधा) दोनों सम्मिलित है । इस नीति संकल्प (प्रस्ताव) में कोई रूपान्तरण हो सकता है कि नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन हैं ।

काठमांडू घाटी का नेपाल की तराई तथा भारत से मिलाने वाला राष्ट्रीय राजपथ

1426. **श्री के०के० चौधरी :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक अध्ययन दल ने काठमांडू घाटी को नेपाल की तराई, भारत तथा विश्व बैंक के शेष भागों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर होने वाले खर्च को कौन बहन करेगा; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) बताया जाता है कि नेपाल राज मार्ग व्यवस्था को जोड़ने वाली अन्य छोटी सड़कों की सम्भावना का अध्ययन करने के लिए 19 फरवरी को नेपाल सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कोष के बीच एक समझौता हुआ था । अखबारों में ये जो खबरें छपी थीं विश्व बैंक विशेषज्ञों ने काठमांडू घाटी को नेपाल तराई, भारत तथा शेष संसार में जोड़ने के लिए एक दूसरा राजमार्ग बनाने का जो सुझाव दिया था, उन्हें अस्वीकार किया गया हैं ।

(ख) चूंकि इस योजना को अभी क्रियान्विति के लिए स्वीकार नहीं किया गया है और सिर्फ सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन करने का विचार है, इस पर कितना खर्च होगा और कौनसी एजेंसी यह खर्च करेगी, इस बारे में ब्यौरा अभी सुलभ नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय सम्पत्ति अधिकारियों के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचार

1427. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 जनवरी, 1970 को हैदराबाद में कांग्रेस समाजवादी फोरम द्वारा आयोजित एक बैठक में केन्द्र में औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी द्वारा नगरीय सम्पत्ति अधिकारों पर व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है जो 5 फरवरी, 1970 के "फिनेंशल एक्सप्रैस" में प्रकाशित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि क्या श्री रेड्डी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के पीछे मंत्रिमंडल की स्वाकृति थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वह इस बात से सहमत हैं कि ऐसे मामलों पर संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री द्वारा विचार व्यक्त किया जाना उचित नहीं है जो उसके सरकारी क्षेत्र में नहीं आते और यदि हां, तो क्या वह उपरोक्त मामले में सम्बन्धित मंत्री से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करके उसे सभा पटल पर रखेंगे ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी से इस विषय में राय लेने पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने 4 जनवरी, 1970 को हैदराबाद में कांग्रेस समाजवादी कार्य फोरम के सम्मुख निजी हैसियत से भाषण दिया था, मंत्रि परिषद के सदस्य की हैसियत से नहीं। अपने दल के बम्बई अधिवेषण के आर्थिक नीति प्रस्ताव की चर्चा करते हुए, उन्होंने उस भ्रामक प्रचार का उल्लेख किया था जिसमें कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने यह कहा था कि किसान अपनी जमीनों से हाथ धो बैठेंगे और मध्यम वर्ग के लोगों तथा गरीबों की सम्पत्ति छिन जायगी। उन्होंने गैर कृषि सम्पत्ति से संबद्ध अधिकारों और कृषि सम्पत्ति से संबद्ध अधिकारों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 14,19,31, और 31-ए की व्यवस्थाओं की व्याख्या की थी। बहरहाल, उन्होंने इस बात को उस तरह नहीं रखा जिस तरह से इसकी 'फिनेन्शल एक्सप्रैस' नामक अखबार में रिपोर्ट दी गई थी। उन्होंने शहरी सम्पत्ति की सीमा से सम्बद्ध प्रस्ताव अथवा इससे सम्बद्ध सरकार की नीति पर बिलकुल चर्चा नहीं की।

Compensation to Labourers killed as a result of Collapse of the Cultural Centre Building in Trivendrum

1428. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Soviet Embassy has refused to pay compensation to

the families of those labourers, who died in Trivendrum in the course of construction of the Soviet Cultural Centre building ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have seen Press reports to this effect. These reports also state that the Soviet Embassy consider the matter one for their contractors to settle.

(b) This matter will have to be dealt with according to our laws.

संसद विज्ञों के शिष्टमण्डलों को विदेश भेजना

1429. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री बलराज मधोक :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री मुल्लूस्वामी :
श्री गु० च० नायक :
श्री रा० की० अमीन :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री अज़मल खां :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू सत्र की पूर्ववर्ती अन्तर सत्रावधि में संसद विज्ञों के विभिन्न शिष्ट मंडलों को किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विदेश भेजा गया था ;

(ख) विभिन्न शिष्ट मंडलों की उपलब्धियां क्या हैं ; और

(ग) क्या एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा जिसमें निम्न बातों का विवरण हो ; (1) उनके दलों के नाम सहित संसद सदस्यों के नाम और उनकी संख्या, (2) अधिकारी यदि कोई हो, (3) किन देशों का उन्होंने दौरा किया और (4) भारतीय रुपयों में विदेशी मुद्रा पर कितना खर्च किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). हाल में, विभिन्न अफ्रीकी एशियाई देशों में संसद सदस्यों के छः प्रतिनिधिमंडल इस उद्देश्य से भेजे गए कि वे उस क्षेत्र के देशों की अवस्थाओं, विकासों और प्रवृत्तियों से अवगत हों, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं से मिलें और सम्बन्धित देशों के साथ भारत के संबन्ध बढ़ाएं । हमारा विश्वास है कि इन यात्राओं से ये लक्ष्य पूरे हो गए हैं और भारत तथा उन देशों के बीच, जिनकी उन्होंने यात्रा की है, सदभावना बढ़ने में सहायता मिली है ।

(ग) जिन दलों के वे सदस्य हैं और जिन दलों की उन्होंने यात्रा की उनके नामों का विवरण संलग्न है । इन प्रतिनिधिमण्डलों के साथ कोई अधिकारी नहीं गए । प्रासंगिक खर्च के लिए, छः प्रतिनिधिमण्डलों के सदस्यों को 21,601/- रुपए के बराबर की विदेशी मुद्रा दी गई । इसमें सदस्यों को दिया जाने वाला दैनिक भत्ता शामिल नहीं है, क्योंकि संबद्ध ब्यौरे अभी विभिन्न मिशनों से प्राप्त नहीं हुए हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 26970/70]

मणिपुर के लिये वार्षिक योजना परिव्यय

1431. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के लिए मणिपुर के लिए वार्षिक योजना परिव्यय कितना है ;

(ख) वर्ष 1968-69 तथा वर्ष 1969-70 में आज तक मणिपुर की सरकार ने कितना वार्षिक योजना व्यय किया ; और

(ग) मणिपुर के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिव्यय कितना है और किन-किन मुख्य शीर्षों पर व्यय किया जायेगा तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख).

(लाख रुपये)

	अनुमोदित परिव्यय	व्यय
1968-69	371.82	247.65
1969-70	472.00	अभी उपलब्ध नहीं

(ग) इसको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

चतुर्थ योजना के लिए आन्तरिक संसाधन

1432. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या प्रधान मन्त्री चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए आन्तरिक संसाधनों को बताने वाला एक विस्तृत विवरण देने की कृपा करेंगी कि :

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इसका निश्चय योजना के साथ ही किया जायेगा ।

भारत में प्रति व्यक्ति आय

1433. **श्री श्रीचंद गोयल** :
श्री प० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री पी० पी० एब्योस :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नंजागोडर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में प्रतिव्यक्ति आय विश्व में सबसे कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चाय पर एक समान उत्पादन शुल्क लगाना और निर्यात शुल्क हटाना

1434. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मंडियों में भारतीय चाय की प्रतियोगिता वाली क्षमता को पुन. कायम करने की दृष्टि से आसाम सरकार ने सरकार से मांग की है कि चाय पर एक समान उत्पादन शुल्क लगाये जाये और उस पर से निर्यात शुल्क हटाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आसाम सरकार के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). सरकार की सामान्य नीति यह है कि निर्यातों के निष्पादन की सतत समीक्षा की जाये और यदि आवश्यक हो तथा जब आवश्यक हो उपचारात्मक राजकोषीय उपाय किये जाये ।

प्रत्येक राज्य में बाढ़ से हुई क्षति

1435. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968 तथा 1969 में प्रत्येक राज्य में बाढ़ से हुई हानि का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : 1968 और 1969 के वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में बाढ़ों द्वारा हुई हानियों से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत अद्यतन जानकारी के दो विवरण संलग्न हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया** । देखिए संख्या एल०टी० 2698/70]

मैसर्स मलिक इलेक्ट्रिक वर्क्स, बम्बई द्वारा ताम्बे और जस्ते की छड़ों का आयात

1436. **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री उमानाथ :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मलिक इलैक्ट्रिक वर्क्स, बम्बई ने फरवरी, 1968 में आयात लाइसेंस के अन्तर्गत तांबे तथा जस्ते की कितनी छड़ों का आयात किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सामान को अपने उत्पादन में प्रयोग में लाने की बजाये सीधे किसी और कम्पनी को दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी द्वारा आयात किये गये इस सामान के प्रयोग के बारे में जांच करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). आयात आंकड़े लाइसेंस-वार नहीं रह जाते । दुरुपयोग सम्बन्धी कथन की जांच की जा रही है और जांच के परिणामों से सम्बन्धित और जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मणिपुर में एक तिहाई मिल की स्थापना का प्रस्ताव

1437. **श्री एम० मेघचन्द** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में एक कताई मिल की स्थापना करने के प्रस्ताव को बिल्कुल छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय उक्त प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) मणिपुर प्रशासन के चतुर्थ योजना प्रस्तावों पर विचार करते समय, योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की कि कताई मिल की स्थापना करने से पहले इस प्रदेश में कपास उगाने के परीक्षण करने होंगे । इसलिए इस प्रशासन ने इस प्रयोजन के लिए एक परीक्षण-सह-प्रयोजनों के लिये एक सलाह दी है । योजना आयोग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है । इसलिए कताई मिल की स्थापना के प्रश्न पर विचार, कपास उगाने के परीक्षणों के सफल होने पर ही किया जाएगा ।

टेलीविजन सैटों का निर्माण

1438. **श्री हरदयाल देवगुण** : **डा० सुशीला नायर** :
श्री यमुना प्रसाद मंडल : **श्रीमती सावित्री श्याम** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1970-71, 71-72 तथा 72-73 में टेलीविजन सैटों की आवश्यकता का क्या अनुमान लगाया गया है और इस अवधि में देश में टेलीविजन सैटों के निर्माण का अनुमान क्या है ;

(ख) इस समय देश में टेलीविजन सैटों के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और क्या टेलीविजन के निर्माण कारखाने इस समय पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कमी को पूरा करने हेतु टेलीविजन बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार और लाइसेंस देने का विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है और ये कहां होंगे और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ङ) इसमें कितनी राशि व्यय होगी ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में उत्पादन मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) हाल ही में सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा आयोजित बाजार सर्वेक्षण के अनुसार 1970-75 अवधि के दौरान टी० वी० सैटों की वार्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण इस प्रकार किया गया है :

1970	31000
1971	21000
1672	69250
1973	115250
1974	78250
1975	60260

यह अनुमान 2000 रुपये से अधिक क्रय मूल्य पर आधारित हैं, परन्तु यदि मूल्य कम हो पाए तो काफी अधिक राशि आवश्यक होंगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि मूल्य 2000 रुपये से अधिक हो तो 1970-75 की 5 वर्षों की अवधि में कुछ आवश्वकताएं 5.7 लाख संख्या के स्तर की होंगी, अगर मूल्य 1251 रुपये के बीच हो तो 7.18 लाख, और 1000 रुपये और 1251 रुपये के बीच हो तो 10.6 लाख संख्या के स्तर की। इस अवधि के दौरान कुल उत्पादन का ठीक-ठीक अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं, परन्तु ऐसा सुनिश्चित करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं कि उत्पादन समय मांग के साथ-साथ पग बढ़ा सके।

(ख) कुल 3000 टी० वी० सैट प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। चार मे से एक यूनिट ने उत्पादन आरम्भ कर भी दिया है, और शेष आशा है इस वर्ष अप्रैल-मई में उत्पादन आरम्भ कर देगी। 1970 में 18000 सैट उत्पादित होना प्रत्याशित हैं और 30000 सैटों का पूर्णतः उत्पादन 1971 तक की पहुंच पाने की आशा है। दो निर्माताओं के सामने आने वाले कई कठिनाइयों के कारण 1970 में 30000 सैटों की स्वीकृत क्षमता तक उत्पादन शायद प्राप्त न हो पाए।

(ग), (घ) तथा (ङ). निर्माण की जाने वाली वास्तविक अतिरिक्त क्षमता के सम्बन्ध में जभी पक्का निर्णय लिया गया, अतिरिक्त क्षमता के लिए स्वीकृति दे दी जायगी। यह विचाराधीन है। तब तक यह बता पाना सम्भव नहीं कि कितनी यूनिटों को लाइसैंस दिये जायेंगे, किस क्षमता के लिए, वह कहां स्थित की जाएगी, और उसके वित्तीय आशय क्या होंगे।

केरल के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

1439. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल की योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत ईरान के बीच आर्थिक सहयोग के लिये बातचीत

1440. **श्री रा० रा० सिंह देव:** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रामचंद्र वीरप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक सहयोग के अनेक प्रस्तावों पर ईरान के साथ बातचीत की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं, जिन पर विचार विमर्श होने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 14 और 15 फरवरी 1970 को नई दिल्ली में सम्मिलित भारत-ईरान आयोग की मंत्रि-स्तर की दूसरी बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उनके अनुसार दोनों देशों के विशेषज्ञ सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग और दीर्घकालिक वाणिज्यिक विनिमय से संबंद्ध विभिन्न प्रस्तावों की जांच करेंगे जिसमें भारत द्वारा ईरान से अमोनिया, गंधक और फास्फोरिक एसिड की खरीद तथा ईरान द्वारा भारत में बनी चीजों की खरीद जैसे रेल के डिब्बे और रोलिंग स्टाक, मशीन और उपस्टांक इसके अतिरिक्त ये विशेषज्ञ सिंचाई और बिजली, मानकीकरण तथा औद्योगिक अनुसंधान आदि संबद्ध प्रस्तावों पर भी विचार करेंगे ।

पोलैंड के 1970 के मेले में भारत का भाग लेना

1441. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पोलैंड के 1970 के मेले में भाग लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां प्रदर्शित किये जाने वाले माल का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) मशीनें, मशीनी औजार, इन्जीनियरी सामान, धात्विक माल, हल्का इन्जीयनरी माल, उपभोक्ता वस्तुएं जिनमें नारियल जटा की वस्तुएं तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं, हथकरघा माल, साधित काद्य, चाय, काफी, निर्मित तम्बाकू, खनिज तथा अयस्क और अर्द्ध निर्मित माल आदि शामिल हैं ।

Permission for Increase of Spindles by Bihar Cotton Mills Ltd., Patna

1442. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Cotton Mills Ltd. located at Fulwari Sharif in Panna District has sought Government permission for increasing the number of spindles :

(b) if so, the number of spindles proposed to be increased by the management ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

ऊन की कमी

1443. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊन के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण भारत में ऊनी कपड़े का निर्माण करने के लिये ऊन की अत्यधिक कमी हो गई है ;

(ख) ऊन की वार्षिक आवश्यकता कितनी है तथा उसकी सप्लाई कितनी है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने हेतु क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख), ऊन उद्योग में वर्स्टेड, ऊन तथा शाडी क्षेत्र आते हैं। ऊनी क्षेत्र स्वदेशी कच्ची ऊन का उपयोग करता है और जिसकी कोई कमी नहीं है। वर्स्टेड तथा शाडी क्षेत्र मुख्यत: आयातित ऊन पर निर्भर हैं। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण उन क्षेत्रों को आयातित ऊन का सम्भरण उनकी स्थापित क्षमता से काफी कम है।

(ग) (1) देश में कच्ची ऊन का उत्पादन बढ़ाने तथा किस्म सुधारने के लिये उपाय किये गये हैं और दिये जा रहे हैं।

(2) आयातित कच्ची ऊन के अतिरिक्त आवंटन ऊन उद्योग में ऐसे एककों को किये जा रहे हैं जो अपने उत्पादन के 10 प्रतिशत से अधिक का निर्यात करते हैं।

(3) पंजीकृत निर्यातकों के लिये नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हकदारियों की दरें बढ़ा दी गई हैं।

बन्द कपड़ा मिलों को अधिकार में लेना

1444. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री उमानाथ : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कपड़ा निगम बनने के बाद कितनी बन्द मिलों को सरकारी कब्जे में लिया गया ;

(ख) केन्द्रीय निगम ने कितना धन विभिन्न राज्यों के निगमों को दिया ; और

(ग) अन्य बन्द मिलों को कब्जे में लेने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) आठ ।

(ख) अब तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा मंजूर किये गये । दिये गये ऋणों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

	मंजूर की गई राशि	दी गई राशि
राज्य कपड़ा निगमों को	72.81 लाख रु०	35.70 लाख रु०
प्राधिकृत नियन्त्रकों के अधीन मिलों को ।	40. 75 लाख रु०	10. 10 लाख रु०

(ग) सरकार द्वारा उन्ही मिलों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया जाता है जिनमें उपयुक्त निवेश करने पर वे आर्थिक दृष्टि से विकासक्षम हो सकती हैं । इस समय, सरकार, पांच बन्द मिलों के मामले का अध्ययन करने के लिये कथित अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अन्वेषण समितियों की रिपोर्टों पर विचार कर रही है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का केन्द्रीय ऋण तथा बिक्रय संगठन

1445. **श्री दामानी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने नियंत्रण के लिये समस्त मिलों की ओर से एक केन्द्रीय क्रय तथा विक्रय संगठन स्थापना स्थल, कर्मचारी, कृत्य, इस को दी गई धनराशि तथा इसके प्रबन्ध आदि, सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) (क) से (ग). जी नहीं । तथापि सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनिमय) अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत अपने नियंत्रण में ली गई कुछ मिलों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने, कच्ची रुई (स्वदेशी) की उनकी आंशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुई खरीद कर पूर्ति करने की एक योजना

तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत' क्योंकि मिलों के प्राधिकृत नियंत्रकों को निगम के एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया है अतः इस समय केन्द्रीय क्रय विक्रय संगठन स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई है।

भारतीय व्यापारी दल की जापान यात्रा

1446. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान को इंजीनियरी माल के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक भारतीय व्यापारी दल जापान गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस दल को भेजा है अथवा यह अपने आप वहां गया है ; और

(ग) क्या उस दल को कोई निदेश दिये गये हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां। भारत सरकार की पहल पर इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जो प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित किया था वह 15 दिन की अवधि के लिये 30 जनवरी, 1970 को जापान के लिये रवाना हुआ।

(ग) प्रतिनिधिमंडल के विचारार्थ विषयों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2699-70**]

निर्यात के लिये आमों का परिरक्षण और डिब्बा बन्द करना

1447. **श्री महाराज सिंह भारती**: क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात के लिये आमों के परिरक्षण एवं डिब्बाबन्दी के काम में अब तक कितनी सफलता मिली है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये बनाई गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). डिब्बा बन्द तथा परिरक्षित आम उत्पादों के निर्यात विगत पांच वर्षों में 1963-64 में 55 लाख रु० से बढ़ कर 1968-69 में 140 लाख रु० हो गए हैं। निर्यात हेतु आम उत्पादों के निर्माण को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता दी जाती है :

(1) पंजीकृत निर्यातकों को उत्पाद तैयार करने के लिये उनके निर्यातों के जहाज पर मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर अपेक्षित सामग्री का आयात करने की अनुमति है।

(2) चीनी वाले आम के उत्पादों के निर्यात के आधार पर उद्ग्रहण मूल्यों पर चीनी दी जाती है।

(3) निर्यातों के जहाज पर मूल्य के 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की नकद सहायता।

(4) डिब्बों के बनाने में प्रयोग की गई टीन की चादरों पर दिए गए उत्पादन शुल्क की वापसी कर दी जाती है।

राजकीय व्यापार निगम द्वारा आयात

1448. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री उन पदों के नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिनका आयात केवल राजकीय व्यापार निगम ही करता है तथा उन मदों के नाम क्या हैं जिनका आयात अन्य आय तक करते हैं और वर्ष 1968 और 1969 में ऐसी प्रत्येक मद का कितना-कितना आयात हुआ ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : 1968-69 तथा 1969-70 (अप्रैल, 69 से अक्तूबर, 69) के दौरान केवल राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात के लिये वर्गीकृत मदों पर मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है।

इसी अवधि के दौरान भारत में किये गए कुल आयातों का मूल्य निम्नलिखित है :

1968-69	1,86,162 लाख रु०
1969-70 (अक्तूबर, 69 तक)	90.241 लाख रु०

पृथक-पृथक मदों के आयात के ब्यौरे, महा-निदेशक, व्यापारिक जानकारी एवं अंक-संकलन, कलकत्ता के कार्यालय द्वारा प्रकाशित 'भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े' में उपलब्ध हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी 2700/70]

पाकिस्तान और सऊदी अरब का संयुक्त बैंक

1449. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेद्दा में पाकिस्तान और सऊदी अरब के संयुक्त बैंक की स्थापना की जायेगी ; ताकि पाकिस्तान यूरोप से शस्त्रास्त्र खरीदने के लिये सऊदी अरब से भारी ऋण ले सके और इसे गुप्त रखने में सुविधा मिले ;

(ख) क्या यह सऊदी अरब में कुछ मास पूर्व भेजे गये पाकिस्तान के उच्चस्तरीय सैनिक मिशन के प्रयत्नों के कारण ऐसा हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयत्न को विफल करने में भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी है, किन्तु इस विषय में उन्हें कोई तथ्यपरक सूचना नहीं मिली है कि युरोप में हथियार खरीदने के लिए पाकिस्तान को उधार देने के कथित प्रयोजन से एक बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Rural Electrification of Madhya Pradesh

*1450. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the extent of success achieved or the progress made in attaining the fixed targets of rural electrification in Madhya Pradesh during Gandhi Centenary year ;

(b) the reasons for the slow progress of rural electrification in Madhya Pradesh during the two years ; and

(c) the action taken by Central Government to insist upon the Madhya Pradesh State Electricity Board for the implementation of these schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The target set for electrification of villages in Madhya Pradesh during the period 1st April, 1969 to the end of Gandhiji's Birth Centenary Year *i.e.*, 2nd October, 1970, is 1500 villages. Out of these 1050 villages have so far been electrified.

(b) Since 1966-67, the emphasis in rural electrification schemes has been shifted from village electrification to energisation of pump-sets. Since that year, there has been marked progress in rural electrification in Madhya Pradesh keeping in view the constraint of financial resources. In 1966-67, 249 villages were electrified and 4685 pumps energised, in 1967-68, 298 villages were electrified and 5536 pumps energised, in 1968-69, 1067 villages were electrified and 7696 pump energised ; in 1969-70 (upto February) 1050 villages have been electrified and 15200 pumps energised.

(c) Does not arise.

श्रीलंका में राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों के बारे में श्रीलंका भारत समझौता

1451. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों के बारे में लंका-भारत सरझौते को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) सरकार ने इस करार को कार्यान्वित करने के लिए और क्या कदम उठाये हैं तथा कब तक इसकी कार्यान्विति पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस समझौते की कार्यान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 31 जनवरी 1970 तक 66,132 व्यक्तियों को भारत की नागरिकता और 3,699 व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जा चुकी थी। जिन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है उनमें से 13,243 व्यक्ति 31-12-1969 तक भारत आ गए थे।

(ख) कोई और कदम उठाये का विचार नहीं है। इस समय पंजीकरण और पुनर्वास की जो प्रक्रिया चल रही है वह चलती रहेगी।

भारत-श्रीलंका करार में दुसरी बातों के अलावा इस बात की भी व्यवस्था है कि श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने का काम और पुनर्वास की प्रक्रिया धीरे-धीरे करके 15 वर्ष की अवधि में पूरी होगी ;

(ग) इस पर मुनासिब तेजी के साथ अमल किया जा रहा है।

'फ्लास्कों' का कम उत्पादन

1452. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री भगवान दास :**
श्री के० रामामी : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में फ्लास्कों की मांग को पूरा करने के लिए ईगल वैक्यूम ग्लास मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के पास पर्याप्त मशीनें नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी को मशीनों के आयात के लिये अनुमति नहीं दी जाती : और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). मैसर्स ईगल वैक्यूम बाटल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने निर्वात फ्लास्क के निर्माण के लिए पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने, आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु मशीनों के आयात के लिए आवेदन किया है। उनके आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

अमरीका को व्यापार प्रतिनिधि-मंडल

1454. **श्री सामिनाथन :** **श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन : **श्री बवरुद्दा :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री भजोहरि महतो :**
श्री नारायणन : **श्री जयोतिर्मय बसु :**
श्री दण्डपाणि : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री रवि राय : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री मधु लिमये :**

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल व्यापार वार्ता के लिये अमरीका गया था ;

(ख) यदि हां तो किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था और क्या कोई करार दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्री श्री (बलि राम भगत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रतिनिधिमंडल ने भारत-अमरीकी व्यापार बढ़ाने के लिये मार्गोपायों का पता लगाने हेतु अमरीकी प्राधिकारियों के साथ व्यापक व्यापार बातचीत की थी। किसी औपचारिक व्यापार करार पर बातचीत नहीं हुई थी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रतिरक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि

1455. **श्री शिवचन्द्र झा :**

श्री जगेश्वर यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रतिरक्षा पर चर्च की जाने वाली कुल राशि चे बाद में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्षा योजना का ओटले 6000 करोड़ रुपये के स्तर का होगा। रक्षा योजना 1969-70 के मुख्य लक्षण 30 अप्रैल 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8189 के उत्तर में लोक-सभा में स्पष्ट किए गए थे। चौथी योजना में सेना के लिए आवंटन लगभग 1970-71 के स्तर का होगा ; नौसेना और वायुसेना की बढ़ती हुई आवश्यकताओं से संगत उनके लिए बढ़ोतियों का अधिकतर भाग आवंटित किया गया है। तीनों सेनाओं के विकास की आयोजित पहुंच के परिणामस्वरूप, 6000 करोड़ रुपयों के स्तर के ओटले सहित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान उनकी आवश्यकताएं पूरी कर पाना सम्भव नहीं है।

कृत्रिम कपड़े का आयात

1456. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल से कृत्रिम कपड़े जैसी कुछ वस्तुओं को आयात करने लिये सरकार ने नया फार्मूला निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारत सरकार के नये फार्मूले से नेपाल सरकार सहमत हो गई है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में भारत-नेपाल संयुक्त अन्तः सरकारी समिति में कुछ विचार-विमर्श हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी सूत्र पर सहमति नहीं हो सकी।

ब्रिटेन में अश्वेत आव्रजकों के साथ कठोर व्यवहार

1457. **श्री सीताराम केसरी :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्य श्री एनोक पावेल ने ब्रिटेन में सभी अश्वेत आव्रजकों के साथ कठोर व्यवहार करने का ब्रिटेन सरकार को सुझाव दिया है ;

(ख) क्या आव्रजकों के विरुद्ध मि० पावेल के लगातार भड़काने वाले भाषणों के कारण लन्दन में साउथ हाल की भारतीय कर्मचारी एसोसिएशन ने बहुत चिन्ता व्यक्त की है ;

(ग) क्या ब्रिटेन में भारतीय आव्रजकों के अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार का विचार इस मामले को ब्रिटेन सरकार के सामने उठाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार के भाषण यू०के० स्थित भारतीयों तथा अन्य आव्रजकों के लिए स्वाभाविक रूप से चिन्ता का कारण है।

(ग) और (घ). ब्रिटिश सरकार की यह घोषित नीति उन आव्रजकों के एकीकरण के लिए है, जो पहले से ही ब्रिटेन में हैं और इस बात का सुनिश्चय करने के लिए है कि उन्हें वे सारे लाभ और अधिकार प्राप्त हैं, जो स्थानीय लोगों को प्राप्त हैं। भारतीयों के व्यक्तिगत मामले, जहां जातीय भेदभाव का आरोप लगाया गया है, लन्दन स्थित हमारे उच्चायोग द्वारा संबद्ध अधिकारियों के साथ उठाये जाते हैं।

Allocation for Electrification of Villages during Fourth Five Year Plan

*1459. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the allocation made for supplying electricity to the villages in the Fourth Five Year Plan, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : The emphasis of rural electrification from 1966-67 has been shifted from village electrification to energisation of irrigation pump-sets/tube-wells for increasing food production. The allocations made in the draft Fourth Five Year Plan, State-wise, are given below :

State	Allocations
	(Rs. in crores)
Andhra Pradesh	15.00
Assam	6.00
Bihar	40.00
Gujarat	11.00
Haryana	7.00
Jammu and Kashmir	1,00
Kerala	4.50
Madhya Pradesh	20.00
Maharashtra	30.00
Mysore	24.00
Nagaland	0.17
Orissa	5.00

Punjab		20.00
Rajasthan		9.00
Tamil Nadu		40.00
Uttar Pradesh		70.00
West Bengal		10.00
	TOTAL	312.67

Committee on Supply of Electricity to Rural Areas

*1460. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Committee of seven Members of Parliament was constituted under the Chairmanship of Shri Siddheshwar Prasad, Deputy Minister for Irrigation, in connection with the supply of electricity in rural areas and a number of meetings of the Committee were held upto the 18th September, 1968 ;

(b) if so, the broad details of the recommendations made by the Committee ;

(c) whether a copy of the Report would be laid on the Table of the House ;

(d) whether Government propose to supply electricity to all the villages in India by reducing its supply to big cities like Delhi, Bombay, Calcutta, etc., where it is consumed indiscriminately during nights ; and

(e) if so, the time by which the said proposal would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A Committee of 8 Members of Parliament was constituted under the Chairmanship of the Deputy Minister for Irrigation and Power to review the progress of rural electrification and to suggest measures for accelerating the progress of rural electrification schemes in the States of Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Nagaland, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal, where the progress has been below the all India average. The Committee submitted its interim recommendations at its third meeting held on 18th and 19th September, 1968.

(b) The broad recommendations were as follows :

(i) Additional Central assistance should be given to the nine States where the progress was below the all India average.

(ii) An outlay of at least Rs. 534 crores should be provided for rural electrification in the Fourth Five Year Plan and the funds for rural electrification schemes for the nine States mentioned above should be supplemented by Central assistance.

(iii) Assistance given for rural electrification should be specifically earmarked.

(iv) An additional outlay of Rs. 98 crores should be provided for the period 1st April, 1969 to 2nd October, 1970, in order to enable the electrification of one lakh villages by the end of the Birth Centenary Year of Mahatma Gandhiji *i.e.*, by 2nd October, 1970.

(v) Adequate provision should be made in the Fourth Plan for construction and strengthening of transmission systems.

(vi) Additional resources should be mobilised by State Governments and State Electricity Boards for availing of loans from financing institutions and by 'Shramdan' for energising about 15 lakh pump-sets during the Fourth Plan.

(c) The Committee will be submitting its final report after the Fourth Five Year Plan is finalised. As this Committee was set up by a decision of the Consultative Committee of Members of Parliament for the Ministry of Irrigation and Power, it is proposed to submit the final report to the Consultative Committee of Members of Parliament.

(d) Since the progress of rural electrification depends mainly on the availability of funds for extending transmission and distribution networks in rural areas, the question of curtailing power supply to big cities does not arise.

(e) Does not arise.

पी०एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से कपास का आयात

1461- **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी०एल० 480 के अन्तर्गत कपास की सप्लाई के बारे में अमरीका सरकार के साथ एक करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या करार हुआ है ; और

(ग) इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग). यह करार सं०रा० सरकार से एक लाख अमरीकी रुई की गांठे सप्लाई करने का है। रुई सम्बन्धी संविदाकरण 12-2-1970 से प्रारम्भ हो सकता था। आवश्यक औपचारिकताओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और संविदाकरण तथा जहाज पर लदान तत्काल शुरू हो जायेगा।

भारत नेपाल वार्ता

1462. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री स० चं सामन्त : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री म० ला० सोंधी : **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में नेपाल का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो नेपाल सरकार के साथ उनकी वार्ता में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) चर्चा का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मंत्री महोदय ने भारत और नेपाल, दोनों के हित के मामलों पर बातचीत की। इस तरह की बातचीत का ब्योरा बताने की प्रथा नहीं है क्योंकि ये गोपनीय हैं।

(ग) इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों ने एक-दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझा तथा आपसी समस्याओं को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का वातावरण तैयार हुआ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र परिव्यय में कथित कृत्रिम वृद्धि

1463. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री अविचन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के सहकारी क्षेत्र परिव्यय में 1,481 करोड़ रुपये की वृद्धि के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि 400 करोड़ रुपये की होने की संभावना है ; और और शेष वृद्धि इसके आर्थिक आकार में केवल कृत्रिम प्रसार है जब कि योजना के भौतिक आकार में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जैसा कि 7 फरवरी, 1970 के इंडियन एक्सप्रेस में छपे "योजना में कृत्रिम वृद्धि" शीर्षक वाले लेख में बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र-व्यय में बैंक वित्त सहित यह वृद्धि कितनी दिखाई गई है और ऐसी कल्पित वृद्धि को शामिल न करते हुए चौथी पचवर्षीय योजना के मूल प्रारूप में दिखाई गई वृद्धि की तुलना में सरकार के आंकड़ों के अनुसार सरकारी क्षेत्र योजना-परिव्यय में वास्तविक वृद्धि कितनी होगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख). इस समय योजना आयोग चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में लगा हुआ है। मार्च, 1970 में इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। इस बैठक के पश्चात् ही योजना का आकार तथा इसकी वित्त-व्यवस्था की विधि स्पष्ट हो पायेगी।

साझा बाजार विनियमों का पाकिस्तान पर लागू होना

1465. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन साझा बाजार विनियमों के अन्तर्गत भारतीय हथकरघा सामान आर्थिक साझा बाजार के निशुल्क क्षेत्र में प्रवेश करता है, वे विनियम पाकिस्तान पर भी लागू किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप भारतीय हथकरघा पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). ज्ञात हुआ है

कि पाकिस्तान, यूरोपीय आर्थिक समुदाय से हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिये निःशुल्क व्यवस्थाओं से सम्बन्धित वैसी ही शर्तें पाकिस्तान के लिये लागू करवाने के लिए बातचीत कर रहा है जैसी यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा भारत के साथ की गयी है । हमें अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि ठीक ठीक क्या व्यवस्थाएं की गई है ।

नीकरलैंड्स के सहयोग से एफ-28 फैलोशिप परिवहन विमान का उत्पादन

1466. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायल नीदरलैंड्स एयरक्राफ्ट फैक्ट्रीस-फोकर ने भारत में एफ-28 फैलोशिप ट्रिवन-जेट परिवहन विमान बनाने के लिये हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ सहयोग करने की पुन: पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) कुछ समय हुआ फोकर कम्पनी द्वारा, भारत में लाईसेंस के अन्तर्गत फोकर एफ-28 के निर्माण के लिये पेशकश की गई थी, और कई आरम्भिक प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया था । उस समय वह पेशकश आकर्षक न थी क्योंकि देशीय अंश तक बहुत निम्न स्तर का था । उस के पश्चात् उन द्वारा कोई औपचारिक और पक्के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

रूस के उड्डयन मंत्रियों द्वारा दौरा

1467. **श्री सी० मुत्तुस्वामी** :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री गु० च० नायक ।
श्री रा० की० अमीन :
श्री जैं० मुहम्मद इमान :
श्री निहाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस के कुछ उड्डयन मंत्री हाल में नई दिल्ली आए थे ;

(ख) क्या उन्होंने चंडीगढ़ तथा अन्य स्थानों में हमारे कुछ विमानों तथा अन्य प्रतिरक्षा निर्माण (डिजाइनिंग) केन्द्रों को देखने की इच्छा प्रकट की थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इन केन्द्रों को देखने के लिए उनको सारी सुविधाएं दीं ; और

(घ) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री को इस संबंध में लिखा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) जी हाँ। यू० एस० एस० आर० के एविएशन उद्योग के मंत्री और उपमंत्री ने हाल ही रक्षा मंत्री के निमन्त्रण के उत्तर में नई दिल्ली का भ्रमण किया था।

(ख) भारत में इन दोनों मन्त्रियों का कार्यक्रम उन के साथ सलाह मसविरे से तैयार किया गया था, और उसमें शामिल था नासिक, हैदराबाद और कोरापुट में मिग फैक्टरियों का भ्रमण और चण्डीगढ़ के बेस रिपेयर डिपु का भ्रमण भी।

(ग) उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्राप्त की गई थीं।

(घ) जी नहीं।

कागज का आयात

1468. **श्री सी० मुत्तुस्वामी :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री गु० च० नायक :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1968-69 में विभिन्न प्रकार का कितना कागज आयात किया गया और इसके लिये लाइसेंस किन-किन फर्मों को दिये गये थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : वर्ष 1968-69 के दौरान आयात किये गये कागज की विभिन्न किस्मों दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। दिये गये लाइसेंसों के ब्यौरे "औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन" में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

अवमूल्यन के बाद रद्द किये गये आयात लाइसेंसों का नवीकरण

1469. **श्री सी० मुत्तुस्वामी :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री गु० च० नायक :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 24 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 782 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन के पश्चात् जिन कतिपय औद्योगिक और वाणिज्यिक कम्पनियों के आयात लाइसेंस निलम्बित किये गये थे, क्या अब उनका नवीकरण कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां। पार्टियों से प्राप्त उत्तरों को ध्यान में रखते हुए निलम्बित किये गये लाइसेंसों का नवीकरण, जहां ऐसी कार्यवाही आवश्यक समझी गई, कर दिया गया है। कतिपय अन्य मामलों में भी सम्बद्ध फर्मों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात लाइसेंस दिए गये हैं।

Special Grant for Development of Vidarbha

1470. **Shri Deorao Patil :** Will the Prime Minister be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to give some special grant to the Government of Maharashtra for development of Vidarbha ; and

(b) if so, the extent of grant and the nature thereof ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The Central Assistance during the Fourth Plan period would be given through block loans and block grants for the State Plan as a whole and would not be related to any specific region in the State.

Prices of Cotton

1471. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not fixed the minimum and support price of cotton as grown by the farmers and brought to the market for sale ; and

(b) if so, the reasons therefor and difficulties be faced by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(a) The major difficulties in fixing support prices in relation to Kapas are the variation in the prices of cotton seed which constitute 2/3rd of Kapas and proper grading of Kapas.

कपास के मूल्यों में अस्थिरता

1472. **श्री देवराव पाटिल :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बाजारों में, विशेषकर बम्बई बाजार में, अक्तूबर, 1969 और जनवरी, 1970 के महीनों में कपास के तुलनात्मक मूल्य क्या थे ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि किसानों द्वारा उगाई गई कपास वर्ष के अक्तूबर से दिसम्बर तक के महीनों में बाजार में बेची जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में कपास के मूल्यों में अस्थिरता को रोकने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को हानि होती है, क्या उपाय किए गए हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) कपास की अनेक किस्में हैं और बम्बई के अलावा अन्य बाजारों के मूल्य एकत्र करना कठिन है। बम्बई में कपास की कतिपय प्रतिनिधि किस्मों के लिए लगाये गये भाव निम्नलिखित थे :—

किस्म	मूल्य रुपयों में प्रति क्विंटल			
	1-10-69	31-10-69	1-1-70	31-1-70
1. कम्बोडिया 'बी'	605	596	568	554
2. खानदेश रनारा	475	450	443	474
3. बंगाल देशी	274	290	336	360

(ख) जी हां, कपास की कुछ किस्में और मात्रा परवर्ती महीनों में भी बेची जाती है ।

(ग) कपास के मूल्यों को स्थिर करने के लिए भंडार नियंत्रण और ऋण-नियंत्रण जैसे विनियामक उपाय किये जाते है ।

सेना में कम्प्यूटर लगाना

1473. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में कम्प्यूटर लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो सेना में कितने कम्प्यूटर लगाये जाने की संभावना है ; और

(ग) सेना में आगामी तीन वर्षों में कितने कम्प्यूटर लगाये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) पहले अलग कम्प्यूटर की स्थापना के लिए स्वीकृत जारी होना शीघ्र प्रत्याशील है ।

(ग) अगले 3-5 वर्षों के दौरान अतिरिक्त कम्प्यूटरों की स्थापना के लिए सेना मुख्यालय का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

चीन और पाकिस्तान के प्रति अमरीका की नीति में परिवर्तन

1474. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि गत एक वर्ष में पाकिस्तान के प्रति अमरीका की नीति में बहुत परिवर्तन हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार दूसरे दो प्रभुसत्ता सम्पन्न देशों के परस्पर संबंधों पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती । लेकिन ऐसा लगता है कि अमरीका में यह भावना बलवती हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मतभेद सम्बद्ध दोनों देशों द्वारा आपस में ही शांतिपूर्वक सर्वोत्तम तरीके से निबटाया जा सकता है । यह यथार्थ स्थिति के अनुसार भी होगा ।

सैनिक सम्मान के रूप में नेता जी महावीर चक्र देना और भारतीय सेना की दो डिवीजनों के नाम नेता जी के नाम पर रखना

1475. **श्री समर गुह :** क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना अधिकारियों तथा जवानों द्वारा दिखाई गई शूरवीरता के

लिये सैनिक भूषण के रूप में नेताजी महावीर चक्र आरंभ करने तथा भारतीय सेना के दो डिवीजनों का नया नाम नेताजी डिवीजन और आजाद हिन्द डिवीजन के बारे में सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का स्वरूप क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नेताजी महावीर चक्र के काम से कोई अलंकरण पुरःस्थापित करने या सेना के वर्तमान डिवीजनों में से किसी के 'नेताजी डिवीजन' या 'आजाद हिंद डिवीजन' के रूप में पुनः नामकरण की कोई योजना नहीं है।

(ख) सैनिक अलंकरणों के वर्तमान वीर चक्र क्रम और अशोक चक्र क्रम शत्रु के समक्ष या शत्रु के समक्ष से अन्यथा भारतीय सेना के सेविवर्ग द्वारा शौर्य के भिन्न वर्गीकरणों को पर्याप्त मान्यता देते हैं। जहां तक भारतीय सेना के डिवीजनों के नामकरण का संबंध है स्थिति यह है कि उन्हें खड़ा करते समय सभी फील्ड विरचनाओं को संख्यात्मक संख्याएं दी जाती है, और वह वैसे ही जानी जाती हैं। संख्याएं एक विशिष्ट क्रम से दी जाती हैं, और उनका उन्हें खड़ा किये जाने के स्थान श्रेणी संविरचना या किसी अन्य बात से कोई संबंध नहीं होता, कि जो उन्हें किसी राज्य, व्यक्ति श्रेणी या जाति से संबंधित करें। इस संबंध में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

आजाद हिन्द फौज के सैनिक सामान को इकट्ठा करना तथा सुरक्षित रखना

1476. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने 1944-45 में वर्मा युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज से सम्बन्धित हथियार, गोलाबारूद झण्डे, बिल्ले, तमगे, सैनिक साहित्य प्रकाशन आदि बहुत सा सैनिक सामान पकड़ा था अथवा बाद में इकट्ठा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या आजाद हिन्द फौज का यह ऐतिहासिक सामान सुरक्षित रखा गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय सैनिकों तथा आम जनता को दिखाने के लिए स्वाधीनता संग्राम की इन स्मृतियों को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में एक आजाद हिन्द सैनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). 1944-45 के दौरान आई० एन० ए० के कई बैज, विभिन्न पदों के इपालेट, आयुध तथा गोली बारूद और पत्रिकाएं तथा पुस्तकाएं जो आजाद हिन्द फौज ने छापी थी, पकड़ी गई थीं। उन्हें रक्षा मंत्रालय के ऐतिहासिक अनुभाग में रखा गया है।

(ग) और (घ). एक राष्ट्रीय यौद्ध प्रदर्शनालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। आजाद हिन्द फौज से इकट्ठा किये गये सामान के प्रदर्शन पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा।

आजाद हिन्द फौज के इतिहास को सैनिक अकादमियों के अध्ययन पाठयक्रम में शामिल करना

1477. **श्री समर गुह** : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के आन्दोलन के रूप में ब्रिटेन की सरकार के विरुद्ध आजाद हिन्द फौज द्वारा किए गये सैनिक युद्ध के इतिहास तथा जनरल के रूप में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व की विशेषताओं को स्वतन्त्र भारत में सैनिक अकादमियों के अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह पाठ्यक्रम कैसा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). जी नहीं। सैनिक अध्ययनों के लिए इसे आवश्यक नहीं समझा गया।

वियतनाम में शान्ति स्थापित करने के लिये भारत का प्रस्ताव

1478. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : **श्रीमती सावित्री श्याम** :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वियतनाम में शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से किन्ही अग्रेतर उपायों के बारे में बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखे गये हैं। परन्तु राजनयिक माध्यमों से भारत सरकार सम्बन्धित देशों के सम्पर्क में है और उसने विचार विमर्श द्वारा शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करने का आग्रह किया है।

सेना में कार्य कर रहे लोवर डिवीजन क्लर्कों की अपर डिवीजन क्लर्कों के रूप में पदोन्नति

1479. **श्री अ० कु० गोपालन** : **श्री प० गोपालन** :
श्री उमानाथ : **श्री सत्यनारायण सिंह** :

क्या **प्रति रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में कुल कितने ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्क कार्य कर रहे हैं जिन्हें अपर डिवीजन क्लर्कों के रूप में अभी पदोन्नत नहीं किया गया है हालांकि उनकी 20 वर्ष से अधिक सेवा हो गई है ;

(ख) क्या दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद लोअर डिवीजन क्लर्कों को अपर डिवीजन क्लर्कों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

प्रति रक्षा उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का बांध सम्बन्धी विवाद में मध्यस्थता के लिये पाकिस्तान की रूस से प्रार्थना

1480. **श्रीमती इला पालचौधरी :**

श्री त्रिविक्रम चौधरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में हाल में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने भारत और उसके बीच फरक्का बांध के विवाद को निपटाने के लिये अपनी ओर से रूस को मध्यस्थता करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या पाकिस्तान की प्रार्थना के बारे में रूस ने कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले के बारे में रूस की ओर से यदि कोई पत्र प्राप्त हुए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार का यह विश्वास है कि दोनों सरकारों को परस्पर मिलकर अच्छे पड़ोसियों की भावना से इस मामले को सुलझाना चाहिए। यह बात दूसरी सरकारों को पूरी तरह समझा दी गई है जिनमें सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ सरकार भी शामिल है।

(ग) और (घ). सोवियत संघ का दृष्टिकोण जैसा कि हमें बतलाया गया है, यह है कि यह सवाल सबसे अच्छे तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच ही, बिना बाहरी हस्तक्षेप के सुलझाया जा सकता है।

यूगोस्लाविया को माल डिब्बों की सप्लाई

1481. **श्रीमती इला पालचौधरी :** **श्री मयावन :**

श्री अदिचन : **श्री दण्डपाणि :**

श्री नंजा गौडर : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री नि० रं० लास्कर : **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**

श्री चेंगलराया नायडू : **श्री गाडिलिंगन गौड :**

श्री सामिनाथन् : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया सरकार ने भारत से रेल माल डिब्बे खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा दोनों सरकारों के बीच ऐसी कौन सी शर्तें तय हुई हैं जिन पर ये माल डिब्बे सप्लाई किये जायेंगे ;

(ग) माल डिब्बे भेजने का काम कब से आरम्भ होने की संभावना है ; और

(घ) यूगोस्लाविया के पास कितने "रुपये" इकट्ठे हो गये हैं तथा वह देश भारत से माल डिब्बे आयात करने के लिए उनका कहां तक उपयोग करेगा ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा यूगोस्लाविया की फर्म के बीच भारत से यूगोस्लाविया को 3600 रेल के माल-डिब्बों के निर्यात के लिए बातचीत चल रही है। इस निर्यात का मूल्य इस बातचीत के परिणाम पर निर्भर होगा।

सामान्य बैंकिंग व्यवहार के अन्तर्गत, भारत के रिजर्व बैंक में विदेशी बैंकों के लेखे का विवरण देना संभव नहीं है।

फरक्का बांध के कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

1482. **श्रीमती इला पालचौधरी :** **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री देवेन सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फरक्का परियोजना के फालतू कर्मचारियों को कहीं अन्य पुनर्नियुक्त करने का निर्णय किया है तथा इस सम्बन्ध में एक योजना इस समय तैयार की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने तथा लागू किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने फरक्का परियोजना के महा-प्रबन्धक का किसी अन्य स्थान पर तबादला करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). फरक्का बराज परियोजना की आवश्यकता से जो कर्मचारी फालतू होंगे उनके लिये वैकल्पिक नौकरी ढूंढ़ने की संभावनाओं की खोज की जा रही है उनको वैकल्पिक नौकरी दिलाने में मदद देने के लिए केन्द्रीय तथा पश्चिमी बंगाल सरकारों के विभिन्न विभागों से सम्पर्क किया गया है।

(ग) और (घ). फरक्का बराज परियोजना के महा प्रबन्धक ने व्यक्तिगत कारणों से स्थानान्तरण के लिए अनुरोध किया है।

तबान के शिष्टमंडल की भारत यात्रा

1483. **श्री गणेश घोष :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री वे० कृ० दासचौधरी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तैवान से एक छः सदस्यीय शिष्टमंडल 14 दिसम्बर, 1969 को नयी दिल्ली आया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने और प्रधान मन्त्री सहित मंत्रिमण्डल ने कुछ सदस्यों ने उस शिष्टमण्डल का स्वागत किया था ;

(ग) यदि हां, तो इस यात्रा का प्रयोजन क्या था ;

(घ) इस शिष्टमण्डल को सरकारी मान्यता प्रदान करने के क्या कारण थे ; और

(ङ) क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार चीन नामक दो देशों के सिद्धान्त का समर्थन करती है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 6 ताइवानी 8 दिसम्बर, 1969 को नई दिल्ली आये थे ; 14 दिसम्बर, 1969 को नहीं ।

(ख) इस दल के सदस्य विदेश मन्त्री से भेंट करने तो नहीं आए थे लेकिन ये लोग अपनी व्यक्तिगत हैसियत में शिष्टाचार के नाते प्रधान मन्त्री से मिलने गए थे ।

(ग) इस यात्रा का उद्देश्य गांधी शताब्दी समारोहों में शामिल होना था ।

(घ) सरकार ने इसे कोई आधिकारिक मान्यता प्रदान नहीं की थी ।

(ङ) जी नहीं ।

रेशम का आयात

1484. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में विदेशी रेशम का आयात बन्द करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो आयात जारी रखने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). स्पष्टतया यहां पर संदर्भ कच्चे रेशम का है जो कि रेशम के कपड़े के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री है क्योंकि रेशम का कपड़े के रूप में आयात करने की अनुमति नहीं है । कच्चे रेशम का आयात, केवल शहतूती रेशम वाले माल के निर्यात पर प्रतिपूर्ति के रूप में करने दिया जाता है । इस प्रकार होने वाले आयात से कच्चे रेशम की मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच का अन्तर मिट जाता है और उससे बढ़िया माल का उत्पादन भी हो सकता है । अतः कच्चे रेशम का आयात जारी रखना पड़ेगा ।

हिमाचल प्रदेश की सिंचाई-परियोजनाएं, तथा सिंचाई के अधीन भूमि की प्रतिशतता

1485. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय किस प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं तथा उनमें सरकार किस सीमा तक उनकी कार्यान्विति में सफल रही ;

(ख) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के अधीन कितनी भूमि रही है तथा यह राज्य की कुल भूमि का कितने प्रतिशत है ;

(ग) हिमाचल प्रदेश में, चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, कितनी अतिरिक्त भूमि को कृषि में प्रयुक्त किये जाने की संभावना है ; और

(घ) उक्त योजना के अधीन कितनी वृहत-स्तरीय परियोजनाओं को पूरा किये जाने की सम्भावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने यह सूचित किया है कि प्रवाह तथा उठाऊ सिंचाई स्कीमें और काम कर रहे नलकूप काफी सफल सिद्ध हुए हैं।

(ख) हिमाचल प्रदेश में कुल शुष्कक्षेत्र 250,000 एकड़ है, इस में से 48,966 एकड़ अथवा 20 प्रतिशत 1967-68 में सिंचित किया गया था और 53,351 एकड़ अथवा 21 प्रतिशत 1968-69 में।

(ग) 50,000 एकड़।

(घ) निम्नलिखित स्कीमों के (जो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित लघु सिंचाई सेक्टर के अन्तर्गत आती हैं) चौथी योजना में पूर्ण होने की संभावना है।

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	एकड़
1.	लोअर बैजनाथ कुहल में विन्वा सम्पर्क का प्रबंध करना	2 लाख	1000
2.	राजकुहल का पुनरुर्पण	3 लाख	900
3.	उठाऊ सिंचाई स्कीम धुराल	3.20 लाख	600
4.	उठाई सिंचाई स्कीम जवाली	5.88 लाख	1,455
5.	ऊना क्षेत्र में नलकूप	20 लाख	3,000

Funds provided in Fourth Five Year Plan for Irrigation Scheme

*1486. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the amount proposed to be incurred on the irrigation schemes of India in the Fourth Five Year Plan ;

(b) the various irrigation schemes on which more emphasis would be laid in the said plan ;

(c) the amount which would be made available to Uttar Pradesh from the Central Government in the said plan with a view to implementing the irrigation projects ;

(d) the means of irrigation in Uttar Pradesh on which more emphasis would be laid in the Fourth Five Year Plan and the amount likely to be incurred on them separately : and

(e) whether loans have also been taken from America and other countries to implement the Indian Irrigation Projects and if so. the names and locations of those projects which would be implemented with the said amount ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) An outlay of Rs. 85/.06 crores for major and medium Irrigation programme and Rs. 475.68 crores for minor irrigation programme in the public sector, has been provided in the Draft Fourth Five Year Plan. Details of the final Plan are still under consideration of the Planning Commission.

(b) Emphasis has been laid on the completion of continuing schemes.

(c) Central assistance during the Fourth Plan period will be in the form of block loans/grants and will not be tied to any individual scheme or Head of Development.

(d) Emphasis will be laid on completion of continuing schemes. An outlay of Rs. 97 crores for the major and medium irrigation sector and Rs. 96 crores for the minor irrigation sector had been provided for Uttar Pradesh in the Draft Fourth Plan.

(e) The International Development Association have recently granted a credit to the Government of India for the Kadana Irrigation Project of Gujarat and its ancilliary ayacut development works.

Amount Earmarked for Electrification and New Schemes for Power Generation in Fourth Five Year Plan

*1487. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total amount proposed to be spent on elecrtification during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether it is a fact that some special scheme has been formulated for power generation during the Fourth Five Yeai Plan if so, the outlines thereof ;

(c) whether it is also a fact that power generation is likely to increase during the Fourth Five Year Plan ; if so, the various purposes for which the power would be made available and the percentage thereof ; and

(d) whether Government propose to expand the electrification programme in rural and backward areas during the Fourth Five Year Plan ; and if so, the manner in which it would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) The Fourth Five Year Plan is under finalisation. In the draft Fourth Five Year Plan, an outlay of Rs. 2087.79 crores has been indicated in the Power Sector.

(b) In the General Sector, three hydro-electric generation schemes have been formulated and sanctioned for implementation in the Fourth Five Year Plan. The particulars of these projects are given below :—

Project	Location	Estimated Cost (Rs. crores)	Benefits	
Baira Siul	Himachal Pradesh	20.49	200 MW	) to be fed into) the Northern
Salal	J & K	55.15	270 MW	) grid.
Loktak	Manipur	10.90	70 MW	) to be fed into) the North) Eastern grid.

(c) The extent of increase in power generation would be known after the Fourth Plan is finalised. Accordiug to the Fifth Annual Power Survey, the percentage of utilisation of electrical energy by 1973-74 has been estimated as follows :—

1.	Domestic and commercial lighting and small power	10.4%
2.	Public lighting	0.7%
3.	Public Water Works and sewage pumping	1.7%
4.	Agricultural pumping	8.9%
5.	Railway Traction	2.8%
6.	Industrial	75.5%

(d) Government propose to accelerate the pace of rural electrification schemes during the Fourth Five Year Plan. The Rural Electrification Corporation has been set up in the Central Sector for financing rural electrification schemes in the country. In respect of rural electrification schemes from backward areas the corporation has been directed to waive the condition of economic viability for a period not exceeding five years.

Trade Relation with European Common Market

1488. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the nature of Indian trade relation with the European Common Market, the impact it had on the last three Five-Year Plans and the manner in which it would have an impact on the Fourth Five-Year Plan ;

(b) the type of goods India may export more during the Fourth Five Year Plan and whether the casting and forging goods are likely to be exported in a large quantity ; and

(c) the various type of articles manufactured by casting and forging ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) The European Common Market came into existence on 1st January, 1958, *i.e.*, in the middle of India's Second Five Year Plan period.

All the countries of the European Economic Commmunity are free market economy countries where, except for a few restrictions, foreign trade is permitted freely. India's trade relations with the EEC are presently governed by :

(i) The rules of the General Agreement on Tariffs and Trade. India and the Member Countries of the ECM being subscribers to the GATT, the Member Countries of the ECM extend to India "Most Favoured Nation Treatment" in their trade and tariff relations. On India's part she also extends similar MFN treatment to the products imported from the ECM countries ;

(ii) Trade agreements concluded with individual member countries of the ECM—such bilateral agreements have been included with the Federal Republic of Germany, France and Italy ;

(iii) Special ad-hoc agreements with the Community for exports from India to the ECM countries of individual items. The ECM countries have suspended/abolished duties on some of the products of export interest to India in their tariffs.

India's exports to the EEC in 1958, the year in which it was established, stood at $ 82 million. Exports increased to $ 102 million at the end of the Second Five Year Plan and $ 116 million at the end of the Third Five Year Plan. During 1968-69, India's exports to the EEC reached an all time record of $ 148 million.

India's imports from the EEC countries have also been sizeable. The average annual imports during the first three Five Year Plans were as follows :

First Five Year Plan	$ 192 million
Second Five Year Plan	$ 399 million
Third Five Year Plan	$ 367 million

Since the EEC countries are amongst the most developed countries in the world, they have always been major suppliers of capital equipment, machinery and industrial raw materials for India's development plans. However, as a result of the growth of indigenous industry and import substitution, imports from the EEC countries have been declining during the last 3 years and stood at $ 312 million during 1968-69.

During India's Fourt Five Year Plan, major changes are expected to take place in the structure of international trade. The developed countries including European Common Market countries, are expected to extend to the Developing countries like India. preferential treatment in their tariffs. During this period it is also envisaged that India will enter into a comprehensive trade agreement with the EEC. These measures will, it is hoped, lend themselves to increased trade exchanges between India and the EEC on a mutually beneficial basis.

(b) India is at present exporting a variety of Primary, semi-manufactured goods to the EEC. It is hoped that during the Fourth Five Year Plan, the share of Semi-manufactured and manufactured goods in India's exports to the EEC will increase.

In the past, exports of forgings and castings from India and goods thereof, have been negligible. Some order have, however, been secured recently and it is hoped that during the Fourth Five Year Plan, exports of castings and forgings will increase.

(c) The types of articles manufacturad out of castings are :

All types of senitary castings (such as soil pipes and fittings, manhole covers etc.), industrial castings, such as components for machine tools, railways and automobile industry, overhead transmission lines, plants and machinery and equipment etc.

The types of forging items are :

Forged flanges, forged crank shafts, forged gear blocks, forged hand-tools, axle supports, chain wheels, bicycle parts etc.

राजदूत के पद के लिये समाज सेवी व्यक्तियों की नियुक्ति

1489. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों में भारत का प्रतिनिधित्व राजदूतों अथवा उच्चायुक्तों द्वारा किया जाता है तथा उनमें से कितने व्यक्ति सिविल सेवा से लिए गये हैं ; और

(ख) क्या स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह सिद्धान्त बनाया था कि मास्कों, वाशिंगटन, लन्दन तथा पैरिस में नियुक्त चार प्रतिनिधियों में से तीन प्रतिनिधि समाज सेवी व्यक्ति होंगे तथा क्या उसका अब भी पालन किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 53 देशों में भारत के राजदूत हैं और 18 देशों में हाई कमिश्नर । इसके अतिरिक्त इन्हीं राजदूतों और हाई कमिश्नरों में से कुछ राजदूत और हाई कमिश्नर ऐसे हैं जो साथ-ही-साथ 36 दूसरे देशों में भी प्रत्यायित हैं ।

ऊपर 53 राजदूतों के जो पद बनाए गये हैं उनमें से 4 इस समय खाली हैं।

इस समय जो 49 राजदूत अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं उनमें से 45 सिविल सेवा के हैं। इस समय जो 18 हाई कमिश्नर अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं उनमें से 14 सिविल सेवा के हैं।

(ख) प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने ऐसे किसी निश्चित अनुमान का सिद्धान्त नहीं बनाया था। वास्तव में 1961-64 के बीच मास्को और वाशिंगटन दोनों ही जगहों में राजदूतों के पदों पर सिविल सेवा के अधिकारी कार्य कर रहे थे।

सिगरेटों के निर्यात में कमी

1490. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री अदिचन :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से सिगरेटों के निर्यात में निरन्तर कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) गिरावट की इस स्थिति को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सिगरेटों के निर्यात में हुई गिरावट के निम्नांकित कारण हैं :

(1) नेपाल, जो कि भारतीय सिगरेटों के एक मात्र भारी खरीदार है, में सिगरेट कारखाना स्थापित होने के कारण, नेपाल द्वारा खरीद में कमी होना ;

(2) आयातक देशों में उच्च आयात शुल्क, और उपभोक्ताओं का विशेष ब्रांडों के प्रति आकर्षण तथा उसकी पसंद में परिवर्तन ; और

(3) अधिकांश देशों में सिगरेट निर्माण उद्योगों का विस्तार।

(ख) सिगरेट के पंजीकृत निर्यातकों को, उनके जहाज पर निःशुल्क निर्यात मूल्य के 10 प्रतिशत मूल्य के आयात लाइसेंसों की मंजूरी दी जाती है। सरकार द्वारा गठित तम्बाकू निर्यात सम्वर्धन परिषद् सिगरेट के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय करती है, जैसे विदेशों में होने वाली महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना, व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल भेजना, पुस्तिकाओं तथा सूचीपत्र प्रकाशित करके विदेशों में प्रचार करना, आदि। भारतीय सिगरेटें एयर इण्डिया विमानों पर तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में भी वितरित की जाती है।

मैसूर में गांवों में विद्युतीकरण तथा नलकूप लगाने की योजना

1491. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में मैसूर राज्य में गावों के विद्युतीकरण तथा नलकूप लगाने के लिए एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर कितना धन व्यय करने का केन्द्र सरकार ने निर्णय किया है ;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई विशेष सहायता मांगी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मैसूर राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त चतुर्थ योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 415 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 2075 ग्रामों को बिजली देने और 1135 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 38,000 सिंचाई पंपों को ऊर्जित करने का विचार है।

(ग) 1968-69 तक, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए राज्य-योजनाओं की स्कीमों के लिए निर्धारित राशियों के भीतर ही पृथक् रक्षित केन्द्रीय सहायता दी गई थी। चतुर्थ योजना के आरम्भ से ग्राम विद्युतीकरण के लिए परिव्यय राज्य सरकारों के योजना-संसाधनों से ही पूरे किये जाते हैं जिसमें राज्यों को दी गई समग्र केन्द्रीय सहायता शामिल होती है।

(घ) और (ङ). ग्राम विद्युतीकरण निगम, केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर व्यय करने के लिये दिये गये पैसे से स्थापित किया गया है। मैसूर राज्य बिजली बोर्ड ने, 400 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 387 ग्रामों को बिजली देने और 10800 पंपों को ऊर्जित करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम को तीन स्कीमें प्रस्तुत की हैं। निगम इन स्कीमों की जांच कर रहा है।

नैपथा रंगों की सप्लाई में कमी

1492. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हथकरघा उद्योग के लिए भारत में उत्पादन तथा विदेशों को निर्यात करने हेतु आवश्यक नैपथा रंगों की सप्लाई में कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ; और

(ग) क्या किन्हीं आयात कर्ताओं को तदर्थ आयात लाइसेंस जारी किये गए हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). दस मे० टन ए० एस-जी नेफ्ता आयात करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० को लाइसेंस जारी किये गये हैं जिसका वितरण, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की सिफारिशों के आधार पर, वास्तविक उपयोक्ताओं में किया जायेगा।

लंका के साथ व्यापार सम्बंधी करार

1493. **श्री एस० के० सम्बंधन** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में लंका के साथ कोई व्यापार सम्बन्धी करार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने लंका सरकार से कम से कम हमारा हथकरघा सामान सहकारी संगठनों के द्वारा खरीदने के लिए कहा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) तथा (ख). हाल ही में सरकार ने श्री लंका के साथ कोई व्यापार करार नहीं किया है । अक्तूबर, 1961 में किया गया भारत-श्रीलंका व्यापार करार तब तक वैध है जब तक कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता अथवा किसी भी देश द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त नहीं कर दिया जाता ।

(ग) जी नहीं ।

Survey of Export of Fruits and Vegetables

1494. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the progress made so far by the Task Force appointed by Government to take action on the survey report of export of fruits and vegetables and the action Government propose to take as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : Five meetings of the 'Task Force' appointed by Government to take action on the survey report of export of fruits and vegetables were held so far. The subjects discussed covered export/production/marketing prospects of Banana, Mango and Mango products and Guava and Guava products.

It was agreed that the existing Banana and Fruit Development Corporation should be re-organised with the participation of the Central Government and other banana growing States, namely, Orissa, West Bengal, Goa, Maharashtra and Gujarat. The 'Task Force' also recommended that the Central Government would participate in the Share capital of the Corporation to the extent of Rs. 40 lakhs to be met out of the provision for the Centrally sponsored programme for horticulture development under the Ministry of Food and Agriculture. The Ministry of Food and Agriculture were requested to get the proposal approved by the Ministry of Finance. It was also suggested that the requirements of roads, road transport and railway wagons should be worked out in detail by the Corporation so that this could be taken up with the concerned authorities at the appropriate time. With regard to Mango and Mango products, it was agreed to form the Fruits and Vegetables Export Corporation (other than banana) as recommended by the Survey Report. However, the economic viability of the new Corporation is to be examined. The item of export of Guava and Guava Products was discussed but no final decision has yet been taken.

Setting up of Rocket Launching Station on the Eastern Coast

1495. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the progress so far made in the setting up of a Rocket Launching Station on the Eastern coast ; and

(b) the time by which a multi-stage rocket capable of launching a satellite is likely to be built ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The land immediately required for the project has been acquired and the construction of roads and the lay out of launching and allied facilities is in progress.

(b) 3 to 4 years.

उखरूल सब-डिवीजन में गैर-लाइसेंस शुदा अग्न्यास्त्रों को बरामद करने के लिये सैनिक कार्यवाही स्थापित किया जाना

1496. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उखरूल सब-डिवीजन में गैर-लाइसेंस शुदा अग्न्यस्त्रों को बरामद करने के लिये सैनिक कार्यवाही स्थापित कर दी गई थी और इस कार्य में लगे सब सैनिकों को वापिस बुला लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार ने अग्रेतर क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-श्रीलंका विद्युत ग्रिड के बारे में प्रस्ताव

1497. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : **श्री ए० श्रीधरन** :
श्री मधु लिमये :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी हाल की श्री लंका यात्रा के दौरान भारत तथा श्री लंका का एक उभय विद्युत ग्रिड बनाने की कोई बात हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मैंने श्री लंका के प्रधान मन्त्री और उनके बिजली मन्त्री को सुझाव दिया था कि दोनों देशों के पारस्परिक हित के लिए, श्री लंका और भारतीय बिजली ग्रिड प्रणालियों को आपस में जोड़ दिया जाये । उन दोनों ने इस विचार का स्वागत किया है ।

शराब का निर्यात

1498. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में, शराब के निर्यात से वर्ष वार तथा देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ;

(ख) उपरोक्त निर्यात में राजस्थान के आशा नामक शराब का कितना भाग है ;

(ग) क्या यह सच है कि आशा नामक शराब विदेशों में बहुत ही लोकप्रिय है ; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जहां यह लोक प्रिय है तथा इस शराब के निर्यात को बढ़ाने के लिए और आगे क्या उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या** एल० टी० 2701/70]

(ख) नगण्य ।

(ग) तथा (घ). अब तक केवल नमूने ही भेजे गए हैं । आशा नामक शराब की विदेशी बाजारों में लोकप्रियता अभी सिद्ध होनी है ।

विदेशी मिशनों के लिए सहायक कार्यालय

1499. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने हेतु विदेशी मिशनों के सहायक कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देने संबंधी समूची समस्या के बारे में पुनर्विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने हाल में सभी राजनयिक मिशनों से यह कहा है कि वे तीन महीने की अवधि के भीतर, अपने उन सभी कार्यालयों या स्थापनाओं को बन्द कर दे जो ऐसे स्थानों में स्थित हैं, जो उनके मिशनों या कौंसलावासों या व्यापार मिशनों के स्थानों से इतर हैं। उन मिशनों को यह सलाह दी गई है कि अगर वे सांस्कृतिक केन्द्र पुस्तकालय आदि जैसी स्थापनाएं भारत सरकार को सौंपना चाहते हों तो विदेश मंत्रालय के साथ ऐसे प्रबंधों के संबंध में विचार विमर्श किया जा सकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिये धन की व्यवस्था

1500. **श्री रवि राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिये धनराशि नियत की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो नियत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) चतुर्थ योजना के दौरान निगम को कुल 150 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई जिसमें 45 करोड़ रुपये भारत सरकार का भाग है और 105 करोड़ रुपये अमरीकी उपयोग निधि से मिले हैं ।

एमरजैंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पुनः नौकरियों पर लेना

1501. **श्री बलराज मधोक :** **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री राम सिंह अयरवाल :**

क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवानिवृत ऐसे कितने एमरजैंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं जिन्हें अभी तक नौकरियों पर पुनः नहीं लाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जिनको कुछ सरकारी उपक्रमों में लगाया गया है उन्हें भी उनकी प्रतिरक्षा सेनाओं में की गई सेवा का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सेवानिवृत एमरजैंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को तुरन्त ही पुनः नौकरियों पर लगाने तथा सेना में की गई उनकी वर्षों की सेवा का नई नौकरियों में लाभ देने का निश्चय करने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 31 जनवरी सन् 1970 तक 7945 आपाती कमीशन प्राप्त अफसर सेवा से विमुक्ति के लिए योग्य हो गए थे ; और इन में से 3692 ई० सी० ओज० को कमीशन दे दी गई हैं, या उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करने के योग्य वर्गीकृत किया गया है। शेष 4253 ई० सी० ओज० में से जिन को सेवा से विमुक्त किया गया है, प्रारम्भ सूचना के अनुसार 2242 को या तो केन्द्रीय राज्य सरकारों और निजी तथा राजकीय क्षेत्रों के अधीन उपकरणों में असामियों पर पुनरावासित किया जा चुका है, या वह उद्योग/कृषि/कारोबार इत्यादि में स्वयं रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। उन को छोड़ कर कि जिन्हें अनुशासनिक कारणोंवश सेवा के विमुक्त किया गया है, या स्थायी कमीशन पाने में या सरकार की सहायता से असैनिक रोजगार पाने में रूचि न रखते थे 1566 ई० सी० ओज० को अभी पुनरावासित किया जाना है। यह संभव है कि इन से कई अपने प्रयासों से पुनरावासित हो चुके हों।

(ख) तथा (ग). सेवा से विमुक्त ई० सी०/एस० एस० सी० अफसर भारत सरकार के अधीन सेवाओं/आसामियों के संबंध में सुरक्षित रिक्त स्थानों में नियुक्ति पर वेतन नियतन और वरिष्ठता के उद्देश्यों से अपनी सेना में सेवा के गिने जाने के अधिकारी हैं।

(शड्यूली बैंकों समेत कि जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है और जो वित्त मन्त्रालय के नियन्त्रण में हैं) विभिन्न केन्द्रीय नियुक्त करने वाले मन्त्रालयों के अधीन राजकीय क्षेत्र के उपकरों को, सरकारी विभागों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी स्थानों में सुरक्षण का ध्यान रखते हुए ई० सी० ओज० को खपाने के लिए, उनके अफसरी काडर रिक्त स्थानों का कुछ प्रतिशत सुरक्षित रखने को कहा गया है। उन्हें यह भी प्रार्थना की गई है कि इस प्रकार उन्हें खपाते हुए रक्षा सेनाओं में उन द्वारा की गई सेवा का विचार करते हुए उन्हें प्रवेश की आयु, शिक्षा योग्यताओं और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में कुछ छूट दी जाए। राजकीय क्षेत्र के उपकरण स्वायत्त संस्थान हैं और यह उन के वस की बात है कि वह सेवा से विमुक्त ई० सी० ओज० के लिए रिक्त स्थान सुरक्षित रखें, और उपकरणों में खपाए जाने पर उन को उपयोक्त सेवा रियायतें दें।

वर्ष 1975 तक दिल्ली में बिजली की आवश्यकता

1502. **श्री बलराज मधोक** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 1975 के अन्त तक बिजली की कुल आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) दिल्ली में अब तक थर्मल पावर की कुल स्थापित क्षमता क्या है तथा भाखड़ा से दिल्ली को बिजली की कितनी सप्लाई होती है ; और

(ग) अगले पांच वर्षों में इस स्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वरी प्रसाद) : (क) संघीय प्रदेश दिल्ली की 1974-75 तक की अनुमानित बिजली मांग लगभग 340 मेगावाट है ।

(ख) दिल्ली को बिजली की सप्लाई करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के ताप केन्द्रों की कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 205 मेगावाट है । इसके अतिरिक्त, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान भाखड़ा नांगल प्रणाली से 80 मेगावाट पन बिजली लेता है ।

(ग) इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, दिल्ली में 65 मेगावाट का एक अतिरिक्त यूनिट (पांचवा) लगाया जा रहा है और इसके सितम्बर, 1970 तल चालू होने की सम्भावना है । दिल्ली प्रणाली समेत उत्तरी क्षेत्र के चौथी/पांचवी योजनाओं के दौरान लाभ पहुंचाने के लिए चतुर्थ योजना के दौरान निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पादन स्कीमें हाथ में ली गई है ।

(i)	बदरपुर ताप बिजली केन्द्र —	3×100	मेगावाट
(ii)	बैरा सियुल पन बिजली परियोजना —	3×66	मेगावाट
(iii)	सलाल पन बिजली परियोजना, जम्मू तथा कश्मीर —	3×90	मेगावाट

'निके अपाचे' नामक राकेट का छोड़ा जाना

1503. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सप्लाई किया गया 'निके अपाचे' नामक राकेट को, जिसमें पूर्णतया भारत निर्मित भारयोग (पे लोड) है तथा जिसमें पहली बार थुम्बा इक्वेटेरियल राकेट लांचिंग स्टेशन में तैयार किये गये 'एन्टेना डिप्लायमेंट सिस्टम' का प्रयोग किया जा रहा है, 2 जनवरी, 1970 को छोड़ा गया था ;

(ख) क्या यह सफलता पूर्वक छोड़ा गया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस क्षेत्र में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इस दिशा में और क्या प्रयोग किये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हां । राकेट 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया । राकेट छोड़े

जाने 343 सेकण्ड पश्चात जब पानी में गिरा तब तक टेलीमिटरी उपकरण आंकड़े रिकार्ड करते रहे। 54 किलोमीटर की ऊंचाई पर 20 फुट आकार के ऐंटेना का उपयोग किया गया।

(ग) आयन मण्डल में इलैक्ट्रानों के घनत्व के वितरण के बारे में एक कास्मिक रेडियो ध्वनि परीक्षण' एक प्रोपेगेशन परिक्षण तथा एक 'डी सी प्रोब' की सहायता से जानकारी प्राप्त करने एवं राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली के डा० सोमांयाजुलु द्वारा तैयार की गई लाइमैनअल्फा इन्टेसिटी को मापने के उद्देश्य से यह परीक्षण किया गया था। भविष्य के परीक्षणों का कार्यक्रम इस परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों पर निर्भर होगा।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल द्वारा कथित गोली चलाये जाने के विरुद्ध पाकिस्तान का विरोध

1504. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय नागरिकों को आक्रमण गतिविधियों और भारतीय सीमा सुरक्षा दल द्वारा पाकिस्तान के नागरिकों पर कथित अकारण गोली चलाये जाने के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान का यह विरोध-पत्र स्पष्टत: इस तथ्य को ढकने का एक प्रयत्न था कि पाकिस्तान के सहस्त्र कर्मचारियों ने बिना बजह गोली-बारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच आए-गए विरोध पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2702/70**]

भारतीय नमक शिष्टमंडल की नेपाल यात्रा

1505. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम के शिष्टमंडल तथा नेपाल के नमक व्यापार निगम मध्य काठमांडू में हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : प्रति वर्ष 57,000 मे० टन के हिसाब से तीन वर्ष तक नमक के निर्यात हेतु भारतीय राज्य व्यापार निगम ने साल्ट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ नेपाल के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं।

पाकिस्तान द्वारा रूस के सहयोग से विमान कारखाने की स्थापना

1506. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध-विमानों के उत्तरोत्तर निर्माण के लिये रूस सरकार पाकिस्तान सरकार को एक विमान कारखाना स्थापित करने में सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को कोई सूचना नहीं है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तानी सेना को रूसी किस्म की ए०के० राइफलों से सज्जित करना

1507. **श्री रणजीत सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तानी सेना को रूसी किस्म की ए०के० राइफलों से सज्जित किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

Generator Unit-206 Indraprastha Power House, New Delhi

*1508. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the generator Unit 2 in the Indraprastha Power House became out of order on the 27th January, 1970.

(b) if so, the causes therefor ;

(c) whether this unit has now again been commissioned ; and

(d) the steps taken by Government to improve the conditions of power houses of Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) and (b). Unit No. 2 in the Indraprastha Power Station was shut down on 27.1.70 due to failure of its main oil pump.

(c) After necessary repairs the Unit has since been recommissioned from 21st February, 70.

(d) The Committee appointed by the Government of India to go into the causes of failure of Unit No. 3 of the Indraprastha Power Station in July, 1969 have submitted their report on 28th February, 1970. The recommendations in this Report concerning the improvement of the operation and maintenance of power stations in Delhi, along with the comments of this Ministry would be sent to the Delhi Electric Supply Undertaking for appropriate action.

अफ्रीकी देशों में संयुक्त उद्योग स्थापित करने के अवसर

1509. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका में भारतीय मिशनों के अध्यक्षों ने इस बात पर बल दिया है कि भारत को अफ्रीकी देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के 'महान अवसरों' का अवश्य लाभ उठाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

बैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). भारतीय मिशनों के अध्यक्षों ने आपस में तथा व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बैठकों में सूडान, गेबन, गिनी, नाइजीरिया, इथोपिया, सोमालिया तथा कांगों में संयुक्त उद्यमों की सम्भावनाओं का पता लगाया। इस सम्बन्ध में जो उद्योग अभिज्ञात हुए उनमें खनन, रेलवे, चीनी तथा उर्वरक शामिल हैं। प्रत्याशित उद्यमियों द्वारा सुझाव नोट कर लिए गये हैं। इस सम्बन्ध में सरकार, इस विषय में अपनी सुविदित नीति के अनुसार, ऐसे उद्यमों का स्वागत करेगी।

Officers Working in Ministry on Posts Carrying Extra Benefits for more Three Affairs

1511. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the category-wise number of Officers who have been working on the posts carrying extra benefits continuously for 3 years in the various departments and attached offices under his Ministry ; and

(b) the reasons for which they have not been transferred to other places in accordance with the provisions contained in Home Ministry's D O. Letter No. 11/3/57-O & M, dated the 6th September, 1957 ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Sir, the requisite information is nil.

(b) Does not arise. However, periodical rotation of officers and staff every 3 years or so is a normal feature of the functioning of this Ministry.

Officers Working for Three Years on the Same Posts Carrying Extra Gains in the Departments Under P. M.

1512. **Shri Molahu Prasad** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the category-wise number of officers who have been working on the posts carrying extra gains continuously for 3 yeary in the various departments and attached offices under her charge ; and

(b) the reasons for which they have not been transferred to other places in accordance with the provisions contained in Home Ministry's D. O. Letter No. 11/3/57-O & M, dated 6th September, 1957 ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Officers Working in Various Departments on Posts Carrying Extra Gains for more than Three Years

1513. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the category-wise number of officers who have been working on the posts carrying extra gains continuously for 3 years in the various Departments and attached offices under his Ministry ; and

(b) the reasons for which they have not been transferred to other places in accordance with the provisions contained in Home Ministry's D. O. letter No. 11/3/57-O and M, dated the 6th September, 1957 ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the House when compiled.

Officiating on Posts Carrying Extra Gains for more than Three Years

*1514. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the category-wise number of officers who have been working on the posts carrying extra gains continuously for 3 years in the various departments and attached offices under his Ministry ; and

(b) the reasons for which they have not been transferred to other places in accordance with the provisions contained in Home Ministry's D. O. Letter No. 11/3/57-O and M., dated the 6th September, 1957 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) The reference presumably is to officers who are on deputation to posts outside their regular Cadre in this Ministry and have as such been drawing deputation (duty) allowance for a period of more than three years. On this basis, the information in respect of the Ministry and its attached offices as on 1.3.70, is as follows :—

Class III officers—5

(b) The provisions of the D. O. letter in question which emanated from the late O & M Division of the Cabinet Secretariat (and not the Ministry of Home Affairs) relate to rotation of Assistants and other dealing hands as far as practicable so that the persons in the various grades acquire as wide and varied experience of the duties as possible. This does not cover the cases of persons on deputation to ex-cadre posts. The cases of persons on deputation to ex-cadre posts, are however, reviewed in accordance with the provision of Recruitment Rules.

Conversion of Reserved Posts into Unreserved Posts

1515. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1452 on the 26th November, 1969 and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Deputy Defence Minister (Shri M. R. Krishna) : (a) Yes, Sir.

(b) 8 cases of Class I, 11 of Class II, 151 of Class III and 88 of Class IV officers were reffered to the Ministry of Home Affairs for their prior approval of filling the posts by candidates other than those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(c) Does not arise.

हिमाचल प्रदेश में सीमा वर्ती चौकियों का पीछे हटाया जाना

1516. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश तथा अन्य इलाकों में उत्तरी सीमा पर हमारी सीमा चौकियों को पहले के स्थान से हटा कर पीछे ले जाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके लिये मंत्रालय की स्वीकृति ले ली गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनके हटाने की जगह देने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों ने वास्तव में उनकी जांच की थी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). सेनाओं की नियुक्ति और रक्षा चौकियों के लिए स्थानों का चयन व्यवसायिक मामले हैं, और वह समग्र रक्षा आयोजन के अनुसार, कि

जिसका अपने देश के लिए सामने आने वाले संकटों के अन्तिम निर्धारणों की रोशनी में समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है, उपयुक्त सैनिक प्राधिकरणों द्वारा हस्तांत किए जाते हैं। सैनिक/सुरक्षा चौकियों की शक्ति और स्थानों के बारे में सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

चीन की परमाणु क्षमता

1517. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मालूम है कि चीन की परमाणु क्षमता का काफी तीव्र गति से विकास जारी है ;

(ख) क्या भारत को मालूम है कि अमरीका और सोवियत संघ दोनों ने चीन के विरुद्ध प्रक्षेपणास्त्रों से सुरक्षा संबंधी प्रबंध किये हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने चीन की परमाणु हथियारों की बढ़ती हुई शक्ति का अनुमान लगाने के लिये मित्र देशों से परामर्श करने के लिय कोई पहल की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ग) समय समय पर इस प्रकार के परामर्श चल रहे हैं।

राष्ट्रीय राजनैतिक तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में समन्वय

1518. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान में निर्णय करने वाले कुछ व्यक्तियों ने भारतीय परमाणु प्रतिष्ठानों पर विध्वंशक हमला करने पर विचार किया था ;

(ख) क्या सरकार ने चीन और पाकिस्तान की परमाणु नीतियों तथा उनकी विदेश नीति पर उसके प्रभावों का कोई अध्ययन कराया है ;

(ग) भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों को पाकिस्तान से खतरा और चीन तथा पाकिस्तान के बीच हो रहे नीति संबंधी और राजनीतिक गठजोड़ का सरकार के मतानुसार क्या महत्व है ; और

(घ) भारत पाकिस्तान संबंधों में उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं तथा राजनीतिक समस्याओं के बीच समन्वय करने के लिए वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). चीन और पाकिस्तान में आक्रामक क्षमताओं का जो विकास हो गया है उससे और इन दो देशों से सम्मिलित रूप में और अलग-अलग भारत की सुरक्षा को जो खतरा है उस पर सरकार बराबर विचार करती है। देश के ऐसे जो खतरे हैं—जिनमें महत्वपूर्ण

प्रतिष्ठानों को उत्पन्न खतरा भी शामिल है—उनकी ओर से सरकार सजग है और अपनी रक्षा योजनाओं में इन पर ध्यान रखा गया है।

(घ) भारत पाकिस्तानी संबंधों के कारण उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं का आकलन करते हुए सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को भी पूरी तरह ध्यान में रखती है।

Country Liquor Supplied in Military Barracks in Delhi Cantonment

1519. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the country liquor is supplied in the military barracks in Delhi Cantonment ;

(b) whether it is also a fact that a scooter carrying 13 gallons of liquor was detected in the cantonment some time back ; and

(c) if so, the results of the investigation and the action taken against the suppliers and the users ?

The Defence Minister (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). From the enquiries made it appears that on the 13th January 1970, three civilians on scooter No. DLR 9004 were caught by the civil police on Ring Road near Dhaula Kuan in possession of 13 gallons of liquor. The case is with the civil police. No military personnel are involved.

Reported Supply of Missiles by U. S. S. R. to Pakistan

1520. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Janeshwar Mishra : **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U. S. S. R. is going to supply a large quantity of missiles to Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that army officers of Pakistan are presently receiving training in the operation of Russian warships ;

(c) whether it is also a fact that Russia is supplying such vital naval equipment for the first time ; and

(d) if so, whether Government have not lodged a protest in this regard and whether this step is not providing positive inspiration to Pakistan against the Tashkent spirit ?

The Defence Minister (Shri Sawaran Singh) : (a) Government have no such information.

(b) and (c). Government have seen reports that the Soviet Union intends to supply missile boats to Pakistan and that Pakistani Naval Officers are undergoing certain courses in this connection. There is no confirmation of supply of Naval vessels by the Soviet Union to Pakistan, so far ;

(d) As the House is aware, we have conveyed to the Soviet authorities our concern over the supply of lethal equipment to Pakistan. It has been pointed out to them that any accretion to the armed strength of Pakistan, having regard to Pakistan's military collusion with China, poses a grave threat to India's security and would accentuate tension in the sub-continent.

आल केरल कैशुनट (काजू) फैक्टरी वर्कर्स फैडरेशन, क्विलोन, केरल से ज्ञापन

1522. **श्री ई० के० नायनार** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1969 में आल केरल कैशुनट (काजू) फैक्टरी वर्कर्स फैडरेशन, क्विलोन, केरल से प्रधान मन्त्री को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल में काजू उद्योग के श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). दी केरल कांसुदी घोजिलाली केन्द्र परिषद तथा आल केरल काजू फैक्टरी वर्कर्स फैडरेशन, क्विलोन ने एक ज्ञापन प्रधान मन्त्री को भेजा है जिसमें काजू उद्योग सम्बन्धी विभिन्न सुझाव दिए गए है। मामला विचाराधीन है।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय के कार्यालयों में लोवर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों का अनुपात निर्धारित करना

1523. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनाथ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में लोअर डिवीजन और अपर डिवीजन क्लर्कों का अनुपात 1:2 निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयुध कारखानों और निरीक्षणालयों के कर्मचारियों पर यह निर्णय लागू नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्णन) : (क) से (ग). देवनाथ कमेटी ने सिफारिश की थी कि एल० डी० सीज़० की निष्पत्ति 1:2 की होनी चाहिए। इस सिफारिश को सरकार ने मान लिया था। आर्डनेंस फैक्टरियां देवनाथ कमेटी द्वारा आवृत्त न थीं। बाद में आर्डनेंस फैक्टरियां भी इस परव्यू में लाई गई थी कि जिसने आर्डनेंस फैक्टरियों में लगाये गये कर्मचारिगण के सम्बन्ध में एल० डी० सीज़० और यू० डी० सीज़० की निष्पत्ति के बारे वैसी ही सिफारिश करते हुए 5-1-1970 को अपनी अनुवर्ति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स साहू जन्स द्वारा एम० डी० जूट मिल्स, कानपुर की खरीद

1524. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर स्थित एम०डी० जूट मिल्स को मैसर्स साहू जैन्स द्वारा खरीदा गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किन शर्तों पर और क्या इस मिल में काम आरम्भ हो गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड ने एक सार्वजनिक नीलामी में महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर को खरीद लिया है ।

(ख) यह मिल 20,15,000 रु० में खरीदी गई थी । अभी यह मिल चालू नहीं हुई है ।

हनोई स्थित भारतीय मिशन का दर्जा बढ़ाने के बारे में अमरीका के राजदूत का वक्तव्य

1525. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री देवेन सेन :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी राजदूत श्री कीटिंग ने फरवरी 1970 में भोपाल में कहा था कि 'अमरीका सैगोन शासन का स्तर पर बढ़ाये बिना सैगोन में अपने राजनयिक मिशन का स्तर बढ़ाना पसन्द नहीं करेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत का रवैया उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया है ?

वैदेशिक कार्यमंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं ।

(ख) विदेशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों के स्वरूप और विस्तार के सम्बन्ध में निश्चय करना, भारत सरकार पर निर्भर करता है ।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार भारत की स्थिति से अवगत है और उन्होंने पहले ही यह बता दिया है कि इस मामले पर केवल भारत सरकार ही निर्णय कर सकती है ;

गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को शिकायतों तथा मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना.

1526. **श्री मधु लिमये** :
श्री अजमल खां :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री एम० शिवप्पा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके हाल के गुजरात के दौरे के समय वहां के मुख्य मंत्री श्री हितेन्द्र देसाई ने उनको एक ज्ञापन दिया था जिसमें राज्यों में सरकारी तथा गैर-सरकारी परियोजनाओं की स्थापना के बारे में गुजरात की शिकायतों तथा मांगों का उल्लेख किया गया था ;

(ख) क्या इस प्रकार ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने पर प्रधान मन्त्री अप्रसन्न हुई ;

(ग) क्या राज्य के लोगों की ओर से मुख्य मन्त्री द्वारा प्रधान मन्त्री को मांगों का ज्ञापन दिया जाना वर्तमान कानून के विरुद्ध है ;

(घ) यदि ऐसा कोई कानून विद्यमान नहीं है तो क्या राज्यों द्वारा ज्ञापनों के प्रस्तुत किये जाने के बारे में कोई प्रथा तथा आपसी सूझबूझ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन प्रथाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ङ). प्रधान मन्त्री को सामान्य तौर पर मुख्य मन्त्रियों से विभिन्न विषयों पर पत्र प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें उनके अपने-अपने राज्यों की विकास सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा भी होती है । इस व्यवहार को नियमित करने के लिए किसी कानून की जरुरत नहीं है । प्रधान मन्त्री जो जब अहमदाबाद गई थी तब गुजरात के मुख्य मन्त्री ने उन्हें एक पत्र दिया था जिसमें उनका ध्यान गुजरात की कुछ पुरानी समस्याओं की ओर दिलाया गया था । उस पत्र के साथ कुछ संक्षिप्त नोट भी लगे थे । प्रधान मन्त्री ने अपने और राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के बीच स्वतन्त्र और खुले तरीके से विचारों के आदान-प्रदान का हमेशा ही स्वागत किया है । इसलिए इस पत्र के कारण उनके नाराज होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

छावनियों में राज्य किराया नियंत्रण अधिनियमों को लागू करना

1527. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों के परिणामस्वरूप, जिनमें केन्द्रीय सरकार से छावनियों में राज्य किराया नियंत्रण अधिनियमों को लागू करने के लिए विशेष कार्यवाही करने को कहा गया है, उत्पन्न कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) विभिन्न राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर जाने वाली छावनियों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार का विचार छावनी कानूनी में, जो बहुत पुराना हो चुका है, संशोधन करने के लिए विधान पुरःस्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

प्रतिरक्षा उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). अजमेर, जम्मू और बादामी बाग सभी छावनियों में किराया नियन्त्रण कानून लागू है । जहां तक जम्मू और बादमी बाग छावनियों का संबंध है किराया नियन्त्रण का कानून बनाना जम्मू काश्मीर की क्षमता के अन्तर्गत है, कि जिन्हें उचित सलाह दी गई है ।

जहां तक अजमेर छावनी का संबंध है राजस्थान भवन (किराया नियन्त्रण और बेदखली) अधिनियम 1950 को लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). छावनी अधिनियम 1924 में व्यापक संशोधन विचाराधीन हैं और संशोधनों समेत एक विधेयक यथाशक्य शीघ्र संभव में पुरस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट

1528. **श्री मधु लिमये :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस सीजन में कच्चे पटसन के मूल्य तेजी से गिरे हैं ;

(ख) क्या अगामी वर्षों में कच्चे पटसन के उत्पादन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ग) क्या कच्चे पटसन के मूल्य में इस गिरावट को देखते हुए इस उद्योग को अपने तैयार उत्पादों की बिक्री में काफी मुनाफा नहीं हो रहा है ;

(घ) पटसन उद्योग के बी० टी० बिल तथा आटे के बोरे और अन्य तैयार उत्पादों को सरकार ने किन मूल्यों पर खरीदा ;

(ङ) क्या मूल्य ठहराते समय राष्ट्रीय राजकोष के हितों की रक्षा करने के लिये पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) यद्यपि विगत मौसम के असाधारण उच्च स्तर के मूल्यों की अपेक्षा गिरावट आई है तथापि विद्यमान मूल्य इस मौसम के न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक हैं ।

(ख) वर्तमान बाजार मूल्य कच्चे पटसन के उत्पादन को सम्यक रूप से उच्च स्तर पर बनाये रखने के लिये उपयुक्त हैं ।

(ग) उद्योग इस समय लाभ में चल रहा है ।

(घ) अक्तूबर 1969 से पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय को बी ट्रविल के बोरों के व्यापारियों से कोई भाव प्राप्त नहीं हो रहे हैं । विस्तार से हुई बात चीत के पश्चात् 200 रु० प्रति सौ बोरे के अन्तिम मूल्य के आधार पर, इन बोरों के मूल्य ढांचे पर टैरिफ आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले समायोजनों, यदि कोई हों, के आधार पर बोरों की पूर्ति के लिये उद्योग को क्रयादेश दिये गए हैं । पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय द्वारा मार्च/अप्रैल 1970 में सुपुर्दगी हेतु 195.20 रु० से लेकर 206.40 रु० प्रति सौ बोरों की विभिन्न दरों पर डी-डब्ल्यू फ्लोर बोरों हेतु क्रयादेश दिए गए हैं ।

(ङ) जी हां ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

प्राकृतिक रबड़ तथा संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन

1529. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में प्राकृतिक रबड़ और संश्लिष्ट रबड़ का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि में कितने रबड़ के आयात की अनुमति दी गई ; और

(ग) क्या सरकार ने रबड़ में आत्म-निर्भर बनने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) :

(क) प्राकृतिक रबड़	—	79,951 मे० टन
संश्लिष्ट रबड़	—	24,614 मे० टन
(ख) प्राकृतिक रबड़	—	20,938 मे० टन
संश्लिष्ट रबड़	—	3,312 मे० टन

(ग) रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आत्म-निर्भर प्राप्त किए जाने की आशा नहीं है। रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

मनीपुर में तुलीहल हवाई अड्डा

1530. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर तुलीहल हवाई अड्डे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस के निर्माण के लिये, पूरा होने तक, कितनी राशि नियत की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). वर्तमान संकेतों के अनुसार प्रायोजना कि जो सी० पी० डब्ल्यू द्वारा हस्तात की गई, मई 1971 तक सम्पूर्ण होनी प्रत्याशित है ;

(ख) यह सूचना देना संभव नहीं होगा, क्योंकि इस से वैमानिक अड्डे के ब्यौरों और क्षमता का पता चल जाता।

नई कछार सड़क

1531. **श्री एम० मेघ चन्द्र** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में सीमा सड़क संगठन के प्रबन्ध में नई कछार सड़क के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह सड़क कब तक बन कर पूरी हो जायेगी और यातायात के लिए खोल दी जायेगी ; और

(ग) पूर्ण होने के स्तर तक कितनी राशि नियत की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1-4-1969 से 31-1-70 की अवधि में नए कछार मार्ग पर निर्माण कार्यों की प्रगति इस प्रकार है :

20 फुट चौड़ाई के तल को चौड़ा करना	89.60 कि० मि०
रोड़ी भराई	31.60 „ „

कोलतार बिछाना	15.00 „ „
संरक्षात्मक कार्य (लागत मूल्य में)	11.20 लाख रुपये
पुलिएं	कुल 6 बड़ी पुलियों में से 120 फुट स्पैन की एक पुल सम्पूर्ण हो गई है। 280 फुट स्पैन की एक और पुलिया निर्माणाधीन है।

(ख) जीरीबम और इम्फाल के बीच खुले मौसम का एक 3-टन मार्ग मई 1971 तक पूरा हो जाना प्रत्याशित है। संरक्षात्मक निर्माण कार्यों की तलकटाई अप्रैल 1970 तक शायद सम्पूर्ण हो जाएगी। प्रायोजना के खाते में सितम्बर 1969 तक कुल 65.64 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। 1969-70 के लिए इयरमार्क की गई राशि 170 लाख रुपये है। 1970-71 वर्ष के लिए इयरमार्क की जाने वाली राशि विचाराधीन है।

वर्ष 1970-71 में निर्यात व्यापार

1532. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन देशों के बारे में जिन्हें वर्ष 1970-71 में भारतीय वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा किसी योजना पर इस बीच विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं का भारतीय मुद्रा में अनुमति मूल्य कितना होगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). सरकार की नीति का यह लक्ष्य है कि कुछ देशों को छोड़ कर, जिनके साथ राजनैतिक कारणों से व्यापार करने पर रोक है, सभी देशों को भारतीय माल के निर्यात बढ़ाये जायें। वर्ष 1970-71 में इन सभी देशों को निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न जारी रखे जायेंगे।

(ग) वर्ष 1970-71 में निर्यातों के लक्ष्य के सम्बन्ध में योजना आयोग के साथ चर्चा चल रही है।

Sale of Anti-Submarine Helicopters by U. K.

1533. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U. K. has agreed to sell some anti-submarine helicopters to India ; and

(b) if so, the total value thereof and the time by which the said halicopters would be delivered to India ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) A contract for the supply of a few anti-submarine helicopters has been entered into with a British firm.

(b) It will not be in the public interest to disclose the information.

सौराष्ट्र-गुजरात में आण्विक बिजली घर

*1534. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में सौराष्ट का समुद्र तट आण्विक बिजली घर स्थापित करने के लिये बहुत ही उपयुक्त स्थल है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक परियोजना की भी तकनीकी रूप से स्वीकृति दी जा चुकी है और इस परियोजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक आंकड़े सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या वह सौराष्ट्र क्षेत्र में एक आण्विक बिजली घर स्थापित करने का सिद्धान्त रूप में तुरन्त निर्णय लेंगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)। (क) और (ख). भारत में बड़े पैमाने के परमाणु बिजली घरों के आसपास कृषि पर आधारित उद्योग समूह स्थापित करने की व्यवहार्यता के बारे में आण्विक शक्ति आयोग द्वारा स्थापित किये गये कार्यकारी ग्रुप ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार कर लिया है। प्रारम्भिक प्रतिवेदन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। कार्यकारी ग्रुप ने इस प्रयोग हेतु कन्धा-सौराष्ट्र क्षेत्र की भी जांच की है। अग्रेतर विस्तृत अध्ययन अभी किया जा रहा है

(ग) अध्ययन कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात ही कोई निर्णय करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

माल डिब्बों का निर्यात

1535. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में निर्यात किये गये मालडिब्बों का, देशवार, ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1970-71 के लिए निर्यात के लिए प्राप्त क्रयादेशों का देशवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) माल डिब्बों के ऐसे क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है, जिनके बारे में बातचीत चल रही है, और जिनके प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री ((श्री राम सेवक) : (क) 1969-70 के दौरान दिसम्बर, 1969 तक 24 माल डिब्बे, जिनका मूल्य 22.14 लाख रु० था, श्रीलंका को निर्यात किये गये। श्रीलंका के पूर्ण क्रयादेश (मूल्य 32 लाख रु०) की मार्च, 1970 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) निम्नलिखित निर्यात-क्रयादेश निष्पादन हेतु हमारे पास हैं :

देश	मद	मूल्य लाख रु० में
तैवान	120 बन्द माल डिब्बे	74
घाना	150 माल डिब्बे	49
पूर्वी अफ्रीका	45 मवेशी डिब्बे	30
पोलैंड	500 बन्द माल डिब्बे	270
हंगरी	1000 माल डिब्बे	585
सूडान	120 माल डिब्बे तथा 40 निचले ढांचे	100

(ग) माल डिब्बों के जिन निर्यात आदेशों के बारे में बातचीत चल रही है उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है ;

देश	मद	मूल्य लाख रु० में
नाइजीरिया	(400 बंद डिब्बे (120 निचले ढांचे	उपलब्ध नहीं
ईराक	38 सवारी डिब्बे	257
न्यूजीलैंड	12 सवारी डिब्बे 12 बुफ कारें 4 यंत्र कारें	303

लौंग, दालचीनी तथा इलायची पर आयात शुल्क

1536. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में लौंग, दालचीनी तथा इलायची पर शुल्क की दर कितनी थी ;

(ख) उपरोक्त अवधि में इन वस्तुओं का भारत में भारत किये जाने पर बम्बई में लागत बीमा भाड़ा सहित उनकी औसत लागत (आयात शुल्क से पहले) कितनी थी ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि बम्बई में उपरोक्त वस्तुओं में दोनों के फुटकर बिक्री मूल्य इस प्रकार थे :

	इलायची रुपये/किलोग्राम	दालचीनी रुपये/किलो ग्राम
अक्तूबर/नवम्बर, 1968	801	801
नवम्बर, 1969	1801	1801

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) 1 मार्च, 1968 से पूर्व वर्ष 1967-68 में लौंग, दाल चीनी तथा इलायची पर लागू शुल्क की दर 100 प्रतिशत यथा. मूल्य (मानक दर) तथा 2 प्रतिशत यथा मूल्य (अधिमानी दर) थी मार्च 1968 से शुल्क की दर निम्नांकित थी :

	मानक दर	अधिमानी दर
		(ब्रिटिश उपनिवेश)
(1) लौंग	18 रु० प्रति कि० ग्राम	7-1/2 प्र० श० यथा मूल्य घटा कर 18 रु० प्रति कि० ग्रा०
(2) दालचीनी	20 रु० प्रति कि० ग्रा०	,,
(3) इलायची	100 प्र० श० यथा मूल्य	92-1/2 प्र० श० यथामूल्य

(ख) भारत में आयात की गई दालचीनी तथा लौंग के लागत बीमा भाड़ा सहित औसत मूल्य निम्नोक्त थे :

	लौंग रु० प्रति कि०ग्रा०	दालचीनी रु० प्रति कि०ग्रा०
1967-68	5.61	7.32
1968-69	6.05	9.17
1969-70	15.33	7.05

(अक्तूबर तक)

इलायची का आयात करने की अनुमति नहीं है ।

(ग) बम्बई बाजार में वस्तुओं के थोक बिक्री मूल्य निम्नलिखित थे :

रु० प्रति कि०ग्रा०

	अक्तूबर/नवम्बर 1968	नवम्बर 1969
दालचीनी	53.00	60.00
इलायची (सुनेहरी)	53.50/57.00	77.50

संसद सदस्यों के लिये गणतंत्र दिवस परेड तथा बीटिंग आफ रिट्रीट 1970 में बैठने की व्यवस्था

1537. **श्री एन शिवप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा अधिकारियों द्वारा स्थानों के बारे में प्रबन्ध के कारण संसद सदस्यों को 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस के दिन अपना स्थान प्राप्त करने में बहुत परेशानी हुई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोनों समारोहों अर्थात् गणतन्त्र दिवस तथा समापन्न समारोह पर बैठने का प्रबन्ध प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय संसद् सदस्यों की सुविधा के लिए बैठने का प्रबन्ध लोकसभा के सुपरिचित कर्मचारियों को सौंपने की कृपा करेंगे ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). गणतन्त्र दिवस परेड में और बिटिंग रिट्रीट समारोह में रक्षा मन्त्रालय द्वारा संसद् सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था संसत्कार्य के विभाग के साथ सलाह मशविरे सहित की जाती है । लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के अफसर इन समारोहों में संसत्सदस्यों के स्वागत और उन्हें बिठाने में सहायता देते हैं । चूंकि वर्तमान प्रबन्ध सन्तोषपूर्वक चले हैं, उनमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

मलयेशिया में भारत मूलक व्यक्तियों के लिए नागरिकता

1538. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया सरकार ने अधिकांश भारत मूलक लोगों को जो नागरिक नहीं हैं, नागरिकता प्रदान करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार गैर-नागरिकों को नागरिकरता प्रदान करने के प्रश्न पर कदम उठा रही है ताकि इसे हल किया जा सके । भारत मूलक व्यक्तियों के बारे में ठीक-ठीक आंकड़े अभी सुलभ नहीं हैं ।

Dedication of Tarapore Atomic Power Station to Nation

1539. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that she made a formal declaration in Bombay, recently, regarding dedication of the Tarapore Atomic Power Station to the Nation ;

(b) whether the said station is expected to help the industrial development to a great extent ;

(c) the total expenditure incurred, so far, on the said station : and

(d) whether some such stations are expected to be set up at other places also ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Family Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Station was dedicated by the Prime Minister at a ceremony held at Tarapur on January 19, 1970.

(b) Yes, Sir.

(c) An expenditure of Rs. 66 crores has been incurred so far.

(d) Two more atomic power stations, one near Kota in Rajasthan and the other at Kalpakkam in Tamil Nadu are presently under construction.

Embankment of Ganga Nagar Roorkee in U. P.

*1540. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Irrigation Power** be pleased to state :

(a) whether the research being carried on the Roorkee in respect of embankment proposed to be constructed on Ganga in Hasanpur Tehsil in Muradabad district has been completed ;

(b) the results of the research carried so far ; and

(c) the time by which a final decision is likely to be taken in this respect ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) to (c). The model experiments being conducted at the Irrigation Research Institute, Roorkee, for the construction of an embankment on the left bank of Ganga, in Hasanpur Tehsil are still in progress and will take another two months. A final decision in regard to the scheme will be taken after results of the model experiments are available.

Difficulties of Indian in Cyelon

1541. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representatives of 'Ceylon Workers Congress' and 'Democratic Workers Congress' have drawn attention of the Government of India to the difficulties experienced by the persons coming to India from Ceylon ;

(b) if so, the details of the said difficulties ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government in order to remove the said difficulties ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes Sir.

(b) In regard to transport facilities, customs formalities and information on rehabilitation assistance.

(c) Necessary action has already been taken by the Government to alleviate the difficulities faced by the repatriates except in the case of transport, which is still under consideration.

जाली आयात लाइसेंसों का इस्तेमाल

1542. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री 10 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 532 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 41 व्यक्तियों ने जिन्हें जाली आयात लाइसेंसों का इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही पूरी हो गई है और उनमें से कितनों को सजा दी गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). अन्तर्गस्त फर्मों और अभियोजित/गिरफ्तार किये गये 41 व्यक्तियों के नाम संलग्न विवरण (अंग्रेजी में) दिये गये हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध मामलों की स्थिति इस प्रकार है :

(1) आरोप पत्रित	--	28 व्यक्ति
दोषी ठहराये गये	--	6 व्यक्ति
बरी किये गये	--	2 व्यक्ति
जिन पर मुकदमा चल रहा है	--	20 व्यक्ति
(2) वे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध जांच तो पूरी कर ली गई है परन्तु आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं क्योंकि उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में लेख याचिकाएं पेश कर दी हैं	--	6 व्यक्ति
(3) जांच अधीन	--	7 व्यक्ति
योग	--	41

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—2703/70]

अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संध्या में लोकतन्त्रात्मक गणराज्य जर्मनी के प्रतिनिधियों को न बुलाया जाना

1543. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 फरवरी, 1970 के दैनिक समाचार-पत्र 'पैट्रियट' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है जो दिल्ली नागरिक समिति द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संध्या के बारे में है ;

(ख) यदि हां, तो यह उत्सव किसने आयोजित किया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आयोजकों ने लोकतन्त्रात्मक गणराज्य जर्मनी के प्रतिनिधियों को दिये गये निमन्त्रण-पत्र को वापिस ले लिया था ; और

(घ) यदि हां, तो किस आधार पर ऐसा किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली नागरिक समिति।

(ग) और (घ). दिल्ली नागरिक समिति एक गैर-सरकारी संस्था है जिसका सरकार से कुछ ताल्लुक नहीं है। इसलिए सरकार इस संस्था द्वारा आयोजित सामाजिक समारोहों से सम्बद्ध इसके निर्णयों के बारे में उंगली नहीं उठा सकती।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, प्रयोगशाला एकक, पूना के कर्मचारियों के लिये काम के सामान्य घण्टों का पुनः लागू किया जाना

1544. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र प्रयोगशाला एकक, पूना (खड़कवासला) के कर्मचारियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें काम के सामान्य घण्टों को पुनः लागू करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) किन परिस्थितियों में उनके काम के घण्टों को काम के सामान्य घण्टों से अधिक किया गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्ध केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पूना पर लागू है। विधि के अन्तर्गत सप्ताह में 48 कार्य-घंटों तक की अनुमति है। अधिकतर स्टाफ, जिसकी संख्या 1,000 से ऊपर है, पहले से ही प्रति सप्ताह 48 घंटे कार्य कर रहे हैं। परन्तु, कार्यालय-प्रय-प्रयोगशाला भवन में कार्य कर रहा स्टाफ, जिनकी संख्या 200 है प्रति सप्ताह केवल 39 घंटे कार्य कर रहा है यद्यपि वह खड़कवासला में उसी अहाते में स्थित है। कार्य-घंटों में इस बड़े फर्क को दूर करने के लिए तथा उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुच्छेद 9(क) के अन्तर्गत देय नोटिस देने के पश्चात 2 जून, 1969 से उनके कार्य-घंटों को 39 से बढ़ाकर 45 घंटे प्रति सप्ताह तक कर देने के आदेश जारी कर दिए गए थे। इस विषय पर कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापन किया गया था। ऊपर दिए गए कारणों की वजह से उनके अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया था।

विदेशों से खरीदे गये जहाज

1545. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय नौसेना के लिए विदेशों से (देशवार) कितने नये जहाज खरीदे गये ; और

(ख) प्रत्येक जहाज कितने मूल्य पर खरीदा गया ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). गत तीन वर्षों में विदेशों से नौसेना के लिए 10 पोत प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा।

गणतंत्र दिवस परेड, 1970 के लिए जारी किए गए पास

1546. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 की गणतंत्र दिवस परेड के लिए कितने पास जारी किए गए ;

(ख) ये पास किस आधार पर जारी किये जाते हैं ; और

(ग) (एक) संसद सदस्यों तथा उनके अतिथियों ;

(दो) प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ;

(तीन) भारत सरकार के अधिकारियों ;

(चार) सार्वजनिक निकायों तथा अन्य संस्थाओं के लिये कितने-कितने पास जारी किए गए हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०-269०-70]

अल फतह प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपने भारत के दौरे में इकट्ठी की गई राशि

1547. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल फतह संगठन के प्रतिनिधिमण्डल ने अपने हाल ही के भारत के दौरे में भारतीय मुसलमानों से 80,000 रुपये से अधिक की थैलियां प्राप्त की थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी राशि इकट्ठी की गई तथा वह किन-किन नगरों और संस्थाओं से इकट्ठी की गई और वह भारत से बाहर किस तरह से ले जाई गई ;

(ग) अल फतह प्रतिनिधिमण्डल के दौरे के कार्यक्रम को अचानक छोटा कर दिए जाने और इसके सदस्यों को भारत से चले जाने का आदेश देने के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि मंत्री महोदय ने भारत में अल फतह का एक कार्यालय खोलने के लिए प्रतिनिधिमण्डल की प्रार्थना पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का वायदा किया था और यदि हां, तो मामला इस समय किस अवस्था पर है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार यह समझती है कि सितम्बर-अक्तूबर 1969 में अल फतह में जो सदस्य 'भारतीय अफ्रो-एशियाई एकता संघ' के निमंत्रण पर, जो कि एक गैर-सरकारी संगठन है, भारत आये थे उन्हें कुल मिला कर कोई 80,00. रुपये की थैलियां भेंट की गई थीं । ये चन्दा देने वाले कौन लोग थे और किस-किस धर्म के अनुयायी थे, यह ज्ञात नहीं है ।

लेकिन सरकार यह समझती है कि ये थैलियां लखनऊ, कानपुर, और हैदराबाद में भेंट की गई थी । इस रुपये को विदेश भेजने की अनुमति मांगी ही नहीं गई थी और न ही दी गई थी ।

(ग) यह समझा जाता है अपने मूल कार्यक्रम के अनुसार इस प्रतिनिधिमण्डल को भारत देश के दौरे पर 13 अक्टूबर 1969 को न दिल्ली लौटना था और दो-तीन दिन के बाद भारत से रवाना हो जाना था । लेकिन चूंकि इस प्रतिनिधिमण्डल का बम्बई और भोपाल का दौरा संयोजकों द्वारा यानि भारतीय अफ्रो-एशियाई एकता संघ द्वारा किया गया था

इसलिय यह प्रतिनिधिमण्डल 8 अक्तूबर को ही नई दिल्ली वापिस लौट आया था और 11 अक्तूबर 1969 को भारत से चला गया था। इस प्रतिनिधिमण्डल को भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था।

(घ) इस प्रतिनिधिमण्डल ने भारत में एक अल फतह का कार्यालय खोलने का उल्लेख किया था लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई।

मानव केशों का निर्यात

1548. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानव केशों का निर्यात 60 लाख रुपये प्रति मास से घटकर 10 लाख रुपये प्रति मास रह गया है और 3 करोड़ रुपये का स्टाक बिना बिका पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में 15,000 पुरुष और स्त्रियां बेकार हो गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोप में मानव केशों का हमारा बाजार पाकिस्तान तथा अन्य देशों के हाथ में चला गया है क्योंकि हमारे देश में प्रतिदिन केवल 750 विग बनते हैं ;

(घ) क्या इस सारी स्थिति का कारण यह है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्धारित किये गये मानव केशों के निर्यात मूल्य उनके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में बहुत अधिक हैं तथा हमारे विग कारखाने की प्रबन्ध व्यवस्था असंतोषजनक है ; और

(ङ) यदि हां, तो निर्यात में हुई गिरावट तथा इसके कारण हुई बेरोजगारी के वास्तविक कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम दस महीनों के लिए औसतन निर्यात लगभग 45 लाख रु० प्रति माह है। बिना बिके पड़े स्टाक के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सरकार को ऐसी किसी बेरोजगारी की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं। संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोप विग तथा विगलेट्स के मुख्य खरीदार हैं। विग फेक्टरी 230 विग प्रतिदिन तैयार कर रही है जबकि 1967-68 में पहुँचा अधिकतम क्षमता 280 विग प्रतिदिन थी।

(घ) मानव केशों के न्यूनतम निर्यात मूल्यों की निरन्तर समीक्षा की जाती है। उन्हें अंतिम बार विगत दिसम्बर, 1969 में कम किया गया था।

जहां तक विग फेक्टरी के प्रबन्ध का सम्बन्ध है, वह कुशलता पूर्वक चल रही है और उसे विगत दो वर्षों में 14 नये बाजारों में भारतीय मानव केश उत्पादों को भेजने में सफलता मिली है।

(ङ) निर्यातों में गिरावट का कारण विग के बनाने में संश्लिष्टों से तीव्र प्रतियोगिता तथा इन्डोनेशिया और चीन जैसे अन्य उत्पादन करने वाले देशों द्वारा मूल्यों में कटौती है।

विदेशी सरकारों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले वाणिज्य दूतों की नियुक्ति को स्वीकृति देने की कसौटी

1549. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी सरकारों द्वारा भारत में वाणिज्य दूतों की नियुक्ति को स्वीकृति देने में सरकार द्वारा सामान्यतया क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार भारत में विदेशी कोंसली केन्द्र प्रमुख और अन्य कोंसली अधिकारी संबद्ध राज्यों द्वारा अपनी नियमित सेवाओं से ही नियुक्त किये जाते हैं, बशर्ते कि वे भारतीय राष्ट्रिक अथवा किसी दूसरे राज्य के राष्ट्रिक न हों। लेकिन विदेशी अवैतनिक कोंसली अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में, चाहे उनकी राष्ट्रिकता कुछ भी क्यों न हो, संबद्ध विदेशी सरकार द्वारा भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर सभी पहलुओं से विचार किया जाता है और फिर उसके गुण दोषों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

भारतीय मामलों में रूस द्वारा कथित हस्तक्षेप

1550. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 जनवरी, 1970 को संगठन कांग्रेस के प्रधान श्री निजलिंगप्पा के प्रेस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें रूसी साम्यवादी दल के मुखपत्र "प्रावदा" तथा रूस सरकार पर भी यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के हाल के निर्णय के विरुद्ध संगठन कांग्रस सहित कुछ राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित किये गये आन्दोलन के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां करके भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है ;

(ख) क्या इस मामले के बारे में श्री निजलिंगप्पा ने सरकार को लिखा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय में ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली है।

(ग) प्रावदा का यह लेख नई दिल्ली स्थित उनके संवाददाता के नाम में छपा था जिसने इस लेख में यह कहा था कि वह स्थानीय पत्रकारों के विचार बता रहा है।

भारतीय नौ-सेना के लिये विमानवाहक जहाज

1551. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना के लिए एक नये विमान वाहक जहाज खरीदने के एक प्रस्ताव को सरकार ने हाल ही में अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत का हिन्द महासागर में फारस की खाड़ी से मलाका जलग्रीवा तक कोई कारगर नौसैनिक प्रभाव नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीका तथा रूस दोनों ही हिन्द महासागर में अपना पांव मजबूत करने का यत्न कर रहे है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय नौसेना के लिये एक नया विमान-वाहक जहाज न खरीदने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एक और विमान-वाहक प्राप्त करने की कोई योजनायें नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार को एक बात का ज्ञान है कि यू०एस०एस०आर०, यू०एस०ए० और अन्य शक्तियों के पोत हिन्द सागर क्षेत्र में चल रहे हैं।

(घ) जी नहीं। स्थिति वह है जो उपरोक्त (क) में बताई गई है।

लोक सभा की बैठक में उत्तर दिये जाने के लिये

1552. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्य श्री चं० चु० देसाई को लिखे गये एक पत्र में उन्होंने यह बताया है कि वियतनाम के लोकतंत्री गणराज्य के काश्मीर सम्बन्धी इस दृष्टिकोण में, कि "काश्मीर के लोगों को आत्म निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए" कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उत्तर वियतनाम के प्रति अपनी नीति में पुनर्विलोकन करने का है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं। विदेश मंत्री ने संसद सदस्य श्री सी० सी० देसाई को सिर्फ यह सूचना दी थी कि वियतनाम लोक गणराज्य सरकार ने हनाई स्थित हमारे प्रधान कोंसल की ओर हां हमारी बात की पुष्टि की है कि उनकी स्थिति वही है जैसा कि 1957 में प्रधान मंत्री फाम वान डांग ने कहा था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका के साथ निर्यात व्यापार

1553. **श्री हरदयाल देवगुण :**

श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के सरकारी अनुमानों से पता चलता है कि आगामी चार वर्षों में अमरीका के आयात में 9 बिलियन डालर की वृद्धि होगी ;

(ख) क्या आगामी 4 वर्षों में भारत से अमरीका को होने वाले निर्यात की वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) क्या अमरीका स्थित हमारा व्यापार प्रतिनिधि बढ़ी हुई निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो हमारे निर्यात प्रयत्नों को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) भारत के निर्यात हित की अनेक वस्तुओं के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं । सम्बद्ध निर्यात संवर्धन संगठन निर्यात संभाव्यताओं की सतत समीक्षा करते रहते हैं । हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल की स० रा० अमरीका यात्रा के बाद इस बाजार में भारतीय वस्तुओं का निर्यात संभाव्यता का पुन: आकलन किया जा रहा है ।

(ग) तथा (घ). स० रा० अमरीका को हमारे विकास केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थात्मक तथा संगठनात्मक व्यवस्थाओं पर सरकार, निर्यात संभाव्यताओं के संदर्भ में, विचार कर रही है ।

मध्य प्रदेश में शक्तिचालित करघा उद्योग का विकास

1554. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शक्ति-चालित करघा उद्योग के विकास के लिए कितनी राशि के अनुदान मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी राशि का वास्तव में उपयोग किया गया और कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान शक्ति-चालित करघा उद्योग के विकास हेतु मध्य प्रदेश को कोई अनुदान मंजूर नहीं किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Crisis in Powerlooms Industry of Madhya Pradesh

1555. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the powerloom industry in Madhya Pradesh is facing a crisis as a result of increase in the price of yarn ;

(b) whether the Government have received a representation from the powerloom owners in this connection ; and

(c) if so, the steps taken to provide help to the said industry in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) to (c). There is no crisis in the powerloom industry of Madhya Pradesh. A represen-

tation has been received from Bunkar Ruzgar Sudhar Committee, Jubbalpur regarding increase in the prices of yarn. There has been some increase in the prices of yarn but this has been mainly due to rise in prices of raw cotton, increased wages and pre-budget speculative tendencies. Steps are being taken to put restrictions on credits and to import cotton and staple fibre with a view to bringing the prices of raw cotton to a reasonable level.

Export of Goods from Madhya Pradesh

1556. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that goods are exported from Madhya Pradesh ;

(b) if so, the names of importing countries and the nature of goods exported as also percentage of foreign exchange being earned from export of goods manufactured in Madhya Pradesh each year in comparison to foreign exchange earning in respect of goods manufactured in other states ; and

(c) the nature of special measures proposed to be adopted by Government to step up the export of goods manufactured in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Yer, Sir,

(b) Statistics of exports are not maintained on a state-wise basis and, therefore, figures of exports by individual States are not available.

(c) The steps taken to promote exports which have been announced from time to time are not confined to particular regions or States but are general in nature and have an all-India application. Broadly speaking, the export promotion policies aim at promoting the production of goods in export demand and on adequate scale to realise their full export potential, generating exportable surpluses to the required extent, if necessary, by restraints on home consumption, controlling the costs of production, establishment of rigorous quality control in the production of exportable goods and marketing assistance including publicity.

Utilisation of Surplus Revenue in Plan Projects in Madhya Pradesh

1557. **Shri G. C. Dixit** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether Planning Commission had any consultations with the Government of Madhya Pradesh regarding utilisation of the surplus revenue in some plan projects : and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The question relating to the size of the Fourth Five Year Plan of Madhya Pradesh and its mode of financing is under examination.

Rajasthan Canal

1558. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) Whether Government consider the Rajasthan canal important from strategic point of view ;

(b) if so, whether it has been considered necessary to consult the military experts in its construction or not ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). The Rajasthan Canal was not constructed as a defence project. The utility of a canal or any other feature from the defence point of view is normolly taken into account in defence plans.

Consultation with Retired Army Generals Regarding Defence of the Country

1559. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government feel that the services of the retired Army Generals of India can be useful for the security of the country ;

(b) if so, whether Government would consider a proposal for consultation with all the retired Army Generals in matter of defence of the country ;

(c) if so, the manner in which Government would like to seek their cooperation ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d). Experience of retired Service Officers is availed of by the Government for dealing with special problems when considered necessary.

(b) No, Sir.

पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का आयात

1560. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा तथा सम्बन्धित विषयों पर पुस्तकों और पत्रिकाओं की बड़ी संख्या में आयात करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1967-68 से 1969-70 तक उक्त वस्तुओं के प्रत्येक आयातकर्ता के लिए वर्ष-वार कितने मूल्य का आयात कोटा नियत किया गया तथा 1967-68 से 1969-70 तक प्रत्येक आयातकर्ता द्वारा वर्ष-वार कितने मूल्य का वास्तविक आयात किया गया ;

(ग) क्या शिक्षा तथा सम्बन्धित विषयों पर आयात की जाने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं पर शुल्क नहीं लिया जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ पुस्तक-आयातकर्ता, आयात कोटे की उदारता का लाभ उठाकर भारत में सभी प्रकार की अश्लील पुस्तकें तथा चित्रमय पत्रिकाएं ला रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस बुराई को दूर करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ग). पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के आयात के लिए दिये गये लाइसेंसों के ब्यौरे 'औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन' में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय मे उपलब्ध है। वास्तविक आयातों के आंकड़े सम्पूर्ण देश के लिए रखे जाते हैं न कि पृथक-पृथक आयातकों के लिए ।

(ग) पुस्तकों, छपी हुई, जिनमें छपी हुई पुस्तकों के लिए जिल्दें, नक्शें, चार्ट तथा मापचित्र, प्रूफ, पुस्तकों में जोड़ने के लिए विशेष रूप से तैयार किये संगीत हस्तक्षेप तथा चित्र, जो भारतीय सीमा शुल्क की मद सं० 45 (1) के अन्तर्गत आते हैं, के आयात प्रश्नाधीन अवधियों में निःशुल्क थे ।

(घ) तथा (ङ). आयात नीति (लाल पुस्तक) में यह दिया गया है कि पुस्तकों के लिए लाइसेंसों के आधार पर अवांछनीय प्रकार की पुस्तकों, हास्य पुस्तकों, उपन्यासों तथा पत्रिकाओं के आयात की अनुमति नहीं होगी। लाल पुस्तक में उन पत्रिकाओं की एक सूची भी दी गई है जिनके आयात पर विशिष्ट रूप से रोक लगाई गई है। यह सरकार के ध्यान में आया था कि अवांछनीय प्रकार की पुस्तकों का कुछ आयात अब भी हो रहा है। अतः 1968 में नियम तथा क्रियाविधि सम्बन्धी आयात व्यापार नियंत्रण हस्तपुस्तिका में एक व्यवस्था की गई कि सीमाशुल्क प्राधिकारी ऐसे मामलों में भी अवांछनीय प्रकार की पुस्तकों के आयात की अनुमति नहीं देंगे जहां नीति के अन्तर्गत, आयात लाइसेंसों के बिना पुस्तकों का आयात करने की अनुमति है। साथ ही लाल पुस्तक में एक और व्यवस्था की गई कि पुस्तकों के लिए लाइसेंसों के आधार पर पत्रिकाओं के आयात की अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे लाइसेंसों को उनके आयात के लिए विशिष्ट रूप से पृष्ठांकित न किया गया हो। ऐसे पृष्ठांकनों के लिए प्रार्थनाओं पर विचार करते समय अवांछनीय प्रकार की पत्रिकाओं को निकाल दिया जाता है ; रोक लगी हुई पत्रिकाओं की सूची की सीमाशुल्क प्राधिकारियों के परामर्श के प्रत्येक वर्ग समीक्षा की जाती है ताकि उसमें अवांछनीय प्रकार की यथा संभव अधिकतम पुस्तकों को शामिल किया जा सके ।

कलकत्ता बन्दरगाह पर नेपाल के व्यापारियों की कथित परेशानी

1561. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री हेम राज :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 जनवरी, 1970 के स्टेट्समैन में (काठमांडु से)' नेपाल डेलीज क्रिटिसाइज इण्डियन ट्रेड पालिसी (नेपाल के समाचार पत्रों द्वारा भारतीय व्यापार नीति की आलोचना) शीर्षक के अन्तर्गत छापे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस आरोप में, जैसा कि स्टेट्समैन के उक्त अंक में प्रकाशित हुआ है कि भारतीय सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कलकत्ता पत्तन पर नेपाल के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, कोई सार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). कलकत्ता पत्तन पर अथा अन्य किसी भी सीमा चौकी पर अभिकथित परेशानी के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है । इसलिए समाचार में उल्लिखित आरोप ठीक नहीं है ।

पाकिस्तान द्वारा फ्रांस से पनडुब्बियों की प्राप्ति

1562. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अपनी नौसेना को दृढ़ बनाने के लिए फ्रांस से पनडुब्बियां मंगा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भारतीय नौसेना को दृढ़ बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है, ताकि वह इस संकट का सामना कर सके ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) प्राप्य सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने फ्रांस से कुछ पनडुब्बियां प्राप्त की हैं ।

(ख) पाकिस्तान की विभिन्न नौसैनिक यूनिटों से संभाव्य संकट का हमारी संक्रियात्मक आयोजनाओं में ध्यान रखा जाता है ।

पाकिस्तान की वायु सेना की संख्या में वृद्धि

1563. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 के संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना की संख्या तथा भारक शक्ति भारतीय वायुसेना से अधिक बढ़ा ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री सवर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). यद्यपि 1965 के पश्चात पाकिस्तानी वायुसेना की संख्या शक्ति और आवास शक्ति में काफी वृद्धि हुई है । हमने पाकिस्तान पर अपनी अन्तरिक्ष श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए पग उठाए ।

सेना में ट्रकों और अन्य गाड़ियों की कमी

1564. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना में अभी भी ट्रकों और अन्य छोटी गाड़ियों की बड़ी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या दीर्घकालीन कार्यवाहियां की गई हैं अथवा करने का विचार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) जी नहीं । भारी किस्म की गाड़ियों के सिवाये कोई भारी कमी नहीं है ।

(ख) जबलपुर में एक समग्रीकृत गाड़ी कारखाने की स्थापना के साथ कि जहां विभिन्न आर्डनेंस फैक्टरियों की वर्तमान उत्पादन रेखायें प्रगतिशीलता से अन्तरित की जा रही हैं, रक्षा क्षेत्र के अन्दर गर्त उत्पादन क्षमता का प्रसार किया जा रहा है । आशा है यह कारखाना 1972-73 में अपनी पहली गाड़ी वितरित करेगा, और दो अधिक वर्षों में अपने पूर्ण उत्पादन को पहुंच जाएगा, कि जब सेना की आवश्यकताएं पूरी तरह से रक्षा क्षेत्र द्वारा ही पूरी की जाएगी ।

विदेशों में काम कर रहे भारतीय इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरों को वापस बुलाना

1565. **श्री हेम राज** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाषा आणविक अनुसंधान केन्द्र के निदेशक ने विदेशों में काम कर रहे भारतीय इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरों को वापस बुलाने के लिए एक व्यापक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे किन किन देशों में काम कर रहे हैं तथा भारत में सेवा करने के लिए उन्हें क्या-क्या प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) विदेशों में काम कर रहे इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरों के बारे में भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के निदेशक ने कोई विशेष योजना नहीं बनाई है, किन्तु परमाणु ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक विदेशों में जब भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों से मिलते हैं तब वे उनके सामने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपयुक्त नौकरियों का प्रस्ताव रख कर उन्हें भारत लौटने के लिए प्रेरित करते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब किराया प्रतिबन्ध अधिनियम को हिमाचल प्रदेश पर लागू करना

1566. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 17 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4323 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब किराया प्रतिबन्ध अधिनियम को हिमाचल प्रदेश के छावनी, क्षेत्रों पर लागू किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) उपयुक्त संशोधनों सहित पूर्वी पंजाब का अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 एक अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 109 दिनांक 5 फरवरी 1970 द्वारा हिमाचल प्रदेश के संघीय क्षेत्र की छावनियों पर लागू कर दिया गया है, जो 21 फरवरी 1970 के भारत के प्रपत्र में प्रकाशित की गई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर क्षेत्र ग्रिड की पूर्णता

1567. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** 8 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3130 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड ने उत्तर क्षेत्र ग्रिड में कांगड़ा उप-केन्द्र की क्षमता बढा दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). कांगड़ा में उपकेंद्र की क्षमता में वृद्धि से संबंधित कार्य पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने शुरू कर दिया है और इसके अप्रैल, 1970 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

छावनी क्षेत्र में करों की बढ़ी हुई दरों को लागू करने के विरुद्ध योल शिविर के निवासियों द्वारा अभ्यावेदन

1568. **श्री हेम राज** : क्या **प्रति रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छावनी क्षेत्र में करों की बढ़ी हुई दरों को लागू करने के विरूद्ध योल शिविर के निवासियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति रक्षा उपमन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). 4 दिसम्बर, 1969 को जारी किये गये एक आम नोटिस द्वारा छावनी बोर्ड शाश योल ने कई कर लगाने संबन्धी अपने प्रस्तावों के प्रति आपत्तिएं आमन्त्रित की थीं । इस द्वारा प्राप्त आपत्तियों सहित बोर्ड के "अंतिम तौर पर निर्णीत" प्रस्ताव अभी छावनी बोर्ड से प्राप्त नहीं हुए । इस बीच लगाये जाने वाले प्रस्तावित करों के मामले में कुछ अभिवेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं । यदि और जब छावनी बोर्ड के प्रस्ताव प्राप्त हुए इन पर कार्यवाही की जाएगी ।

पोंग बांध से बेदखल किये गये व्यक्तियों को भूमि के आवांटन की व्यवस्था

1569. **श्री हेम राज :**
श्री विक्रम चन्द महाजन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध के निर्माण से अपनी भूमि से वंचित हो जाने वाले उन किसानों की संख्या क्या है जो एक एकड़ तथा इससे कम, तीन एकड़, चार एकड़, पांच एकड़, छः एकड़, सात एकड़, आठ एकड़, ग्यारह एकड़, बारह एकड़, तेरह एकड़, चौदह एकड़, पन्द्रह एकड़ तथा इससे कम भूमि से वंचित हो जायेंगे ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित ऐसी प्रत्येक श्रेणी के परिवार को राजस्थान में कितनी भूमि दी जायेगी ; और

(ग) उनसे प्रत्येक से कितनी कीमत ली जायेगी तथा उसे किस प्रकार वसूल किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पोंग बांध के निर्माण से वंचित हो गये/वंचित होने वाले परिवारों की अस्थाई संख्या निम्नलिखित है :—

एक एकड़ तथा कम की हानि उठाने वाले	9887
दो " " " " "	15180
तीन " " " " "	16241

चार	,, ,, ,, ,, ,,	17368
पांच	,, ,, ,, ,, ,,	18529
छः	,, ,, ,, ,, ,,	19081
सात	,, ,, ,, ,, ,,	19430
आठ	,, ,, ,, ,, ,,	19717
ग्यारह	,, ,, ,, ,, ,,	20229
बारह	,, ,, ,, ,, ,,	20369
तेरह	,, ,, ,, ,, ,,	20479
चौदह	,, ,, ,, ,, ,,	20559
पन्द्रह	,, ,, ,, ,, ,,	20641

(ख) राजस्थान नहर परियोजना से संबन्धित सभी परियोजनाओं के विस्थापितों को बसाने के लिये 3.25 लाख एकड़ कुल भूमि पृथक रखी गई है और विस्थापित परिवारों में वितरित की जायेगी।

(ग) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में विस्थापितों को अलाट की गई भूमि की प्रति एकड़ निम्नलिखित कीमत ली जायेगी :--

क्रम सं०	भूमि की किस्म	प्रति एकड़ दर
1	नाली बेड	800 रुपये
2.	लाइट लोम	576 रुपये
3.	सेंडी लोम	448 रुपये
4.	कमान से बाहर	80 रुपये

मूल्य की 20 प्रतिशत राशि पांच बराबर वार्षिक किश्तों में तथा शेष राशि 15 बराबर किश्तों में ली जायेगी। इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। 110 प्रतिशत की सिंचाई की बढ़ी हुई गहनता के आधार पर जब जल सप्लाई के प्रबन्ध कर दिये जाएंगे, उपर्युक्त दरें जो 78 प्रतिशत गहनता के आधार पर हैं, 40 प्रतिशत तक बढ़ा दी जायेगी।

प्रीटोरिया से बड़ी संख्या में भारतीयों का निष्कासन

1570. **श्री हेम राज** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नटाल निवासी भारतीयों व्यापारियों ने प्रीटोरिया के सामुदायिक विकास विभाग के अधिकारियों को ऐसा विरोध पत्र दिया है कि उनको उनके नगर के व्यापारिक स्थानों से हटाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया गया है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) दक्षिण अफ्रीकी सरकार की जातीय पृथग्वासन की नीति के प्रति भारत सरकार का रवैया सर्वविदित है । हमने संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा ही स्पष्ट शब्दों में इसकी निंदा की है । दक्षिण अफ्रीका की सरकार बराबर ही विश्व जनमत की तथा दक्षिण अफ्रीका में मानवता के खिलाफ किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों की अवहेलना करती आ रही है ।

चीन के साथ बातचीत

1571. **श्री हेम बरुआ :**
श्री विश्वनारायण शास्त्री :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन और भारत के पारस्परिक कुछ विवादों को हल करने के लिए चीन भारत के साथ उद्देश्यपूर्ण बातचीत करने का इच्छुक है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या चीन ने बताया है कि वे विवाद कौन से हैं और यदि हां, तो यदि ऐसा प्रस्ताव किया जाएगा तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई संकेत नहीं मिला ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

U. N. Session to Consider West-Asia Issue

1572. **Shri Deven Sen :**
Shri Hem Barua :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state whether Gavernment of India propose to make an appeal to the United Nations organisations to convene and immediate meeting of the Security Council keeping in view the increasing tension in West-Asia and asking Isreal to stop regular bombing of Arab countries which they are continuing even after an appeal made by U. N. O. and find a peaceful solution of all these problems at International level ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : The Government do not have such a move under consideration at present.

चीन के साथ व्यापार सम्बंध

1573. **श्री देवेन सेन** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). हाल ही के वर्षों में भारत और चीन के बीच व्यापार कम हो गया और अब बिल्कुल नहीं है। व्यापार सम्बन्धों की फिर से स्थापना, दोनों देशों के बीच सर्वांगीण द्विपक्षीय सम्बन्धों में सुधार पर निर्भर है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के मामले में समर्थन प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान के प्रयत्नों के बारे में आरोप

1574. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1970 के "दी इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया कि पकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता श्री अकबर खां ने, जो पहले एक मेजर जनरल थे, आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में समर्थन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों पर 250 करोड़ रुपये व्यय किये ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं यदि यह सही है, तो यह पाकिस्तान दावे के छिछलेपन का और भण्डाफोड़ करता है।

Projects Under Construction in Bihar

*1575. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the names of the irrigation projects under construction in Bihar and the progress made in each of them ;

(b) the total expenditure incurred on each of them and the percentage thereof to the total estimated expenditure and the manner in which the said expenditure is compared with the percentage of work done so far ; and

(c) the time by which each of the projects is expected to be completed and the periods by which the said projects would be completed before or after the target dates ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad : (a) to (c). A statement showing the names of major and medium irrigation

projects under construction in Bihar, the expenditure to date and the target date of completion and the benefits up to 1968-69 and on their completion is attached as Enclosure I.

Details of progress on these schemes are attached as Enclosure II. [*Placed in Library. See* No. LT—2704/70.

Finalisation of Draft Fourth Plan for Bihar State

1576. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the **Prime Minister** to state :

(a) whether the draft of State Fourth Five-Year Plan of Bihar has finalised ; and

(b) if so, the broad features thereof, that is, the estimated outlay, the rate of growth of income, the annual rate of growth of industrial and agricultural production, the extent to which new employment opportunities would be created and also the extent to which unemployment would be reduced in the state ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati India Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Sainik Schools in Madhya Pradesh

1577. **Shri Ramavatar Shashtri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Sainik Schools opened so far in Madhya Pradesh ;

(b) the number of students who have received education in them so far and whether Government propose to open new Sainik Schools in Madhya Pradesh ; and

(c) if so, the names of places where such schools are to be set up and the time by which they will be opened ?

The Defence Minister (Shri Sawaran Singh) : (a) There is one Sainik School in Madhya Pradesh located at Rewa :

(b) and (c). 571 boys have received education since the school started in 1962. There is at present no proposal to open another Sainik School in Madhya Pradesh.

Foreign Languages known by Foreign Publicity Department Officials

1578. **Shri Ramavatar Sharma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the foreign languages which the personnel of the Eoreign Publicity Department know ; and

(b) the names of foreign languages taught in the said Department ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Most of the officers of the External Publicity Division know one or more of the following languages :—

Arabic, French, Russian, German, Spanish, Chinese, Persian, Serbo-Croatian, Bahasa Indonesia, Portuguese, Italian and Swedish.

(b) No foreign languages are taught in the External Publicity Division. However, they are taught in the School of Foreign Languages, New Delhi, and officers are given facilities to learn foreign languages at this school. Officers in Indian Missions abroad are also encouraged to learn foreign languages through facilities available at the places of their posting.

Completion of Dams Concerning Chambal Hydro-Electricity Project

*1579. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether the work of dams concerning Chamba. Hydro-Electricity Project, built up on the border of Madhya Pradesh and Rajasihan, has been completed ;

(b) the total expenditure incurred on the said project ;

(c) the manner in which it has been decided to distribute water and power to be made available from the said project, between Madhya Pradesh and Rajasthan ; add

(d) the quantum of water and power supplied to the said two States separately during the last year and current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) Work on the Gandhisagar, Ranapratap Sagar Dams has been completed, while the work on the Jawahar Sagar Dam is in progress.

(b) The total expenditure incurred so far on the Chambal Project is Rs. 115.18 crores.

(c) On full development, the water and power benefits of the project are to be shared equally be the Governments of Madhya Pradcsh and Rajasthan.

(d) The water released in the Right Bank Canal from Kotah Barrage which serves both Rajasthan and Madhya Pradesh was 1.68 m. a. ft. 1968-69 and 0.83 m. a. ft. in 1969-70 (upto January, 1970). Nearly half of this was intended for irrigation in Madhya Pradesh.

In 1968-69, power generation in the Chambal Project was 542.84 millian units. The generation in 1969-70 was 543 million units upto December, 1969. This was shared equally.

Construction of Dam Near Magrauni on River Sind in Madhya Pradesh

*1580. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government have given their approval to the proposed scheme for the construction of a dam near Magrauni on river Sind in Shivpuri District of Madhya Pradesh and if not the reasons therefor ; and

(b) whether he visited the site of this project and if so, his views with regard to the utility of this scheme ?

The Deputy Ministry in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) and (b), The Union Minister of Irrigation and Power inspected the various sites proposed for the development of the water resources of the Sind in April 1965 and had suggested the construction, in the first stage, of a dame an Mohini to a height necessary to feed the canal on the right bahk to supplement the waters to the Harsi irrigation system. He suggested that in the Second Stage, the dam could be raised to its full height to benefit new areas.

Certain proposals on these lines were received from the State Government in 1966, and then in 1969. While these were being examined, the Madhya Pradesh engineers informed the Central Water and Power Commission that the State Government were considering a proposal for a weir at a still further downstream site. The report on these latest proposals in awaited from the State Government.

British Decision on Immigration

1581. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state the details in regard to the ex-parte decisions taken by the British Government recently in respect of immigration and the reaction of Government of India thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : Presumably the Hon'ble Member is referring to the restrictions on the entry into U. K. imposed by the British Government on person of Asain origin from East Africa holding British passports. Government's views in regard to this question are well-known, and it has been repeatedly emphasised by Government that it is for the British Government to assume full responsibility for all British citizens.

पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंपे गये जम्मू तथा काश्मीर राज्य क्षेत्र के बारे में 'आजाद काश्मीर' के आरोप

1582. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंगलैंड में राजा अब्बास खान द्वारा लिखित 'आजाद काश्मीर' नामक तथा कथित पुस्तक की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजा द्वारा इस पुस्तक में लिखे गये इस आरोप के बारे में पता लगाने का कोई प्रयत्न किया है कि जम्मू और काश्मीर की सीमा को निर्धारित करने वाले खम्भों को हटा दिया गया था और पाकिस्तान ने हुजा के परे के क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार को पहले से ही यह मालूम है कि 1963 के कथित चीन-पाकिस्तान करार के अन्तर्गत पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर में भारतीय प्रदेश का करीब 2,000 वर्गमील से भी अधिक भाग चीन को दे दिया है । सरकार ने चीन और पाकिस्तान को विरोध-पत्र दिये थे और उनमें यह स्पष्ट कर दिया था कि 1963 में चीन पाकिस्तान के बीच हुआ यह कथित करार अवैध, अप्रामाणिक और अमान्य है ।

थाईलैंड के लिए प्रतिनिधि मण्डल

1583. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या वैदेशिक व्यापारमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल हाल ही में थाईलैंड गया था ;

(ख) क्या थाईलैंड अपनी अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में भारतीय सहयोग प्राप्त करने का इच्छुक है ; और

(ग) यदि हां, तो सहयोग के क्षेत्र क्या होंगे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) वैदेशिक व्यापार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी (न कि सचिव) के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल ने, फरवरी, 1970 में बैंकाक में हुई व्यापार संबंधी इकाफे समिति की बैठक में, भाग लिया था। विदेशी व्यापार सचिव की बैंकाक गए थे, परन्तु वे वहां आर्थिक विकास तथा आयोजन संबन्धी एशियाई संस्थान के शासी परिषद् के सदस्य के रूप में तथा एशियाई व्यापार विकास तथा उदारीकरण कार्यक्रमक सम्बन्ध में इकाफे के प्रमुख सलाहकार के रूप में गये थे।

(ख) और (ग). दोनों देशों के बीच कतिपय व्यापक संभावनाओं पर तो बातचीत हुई है, पर इस सम्बन्ध में थाईलैंड सरकार से कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

वैदेशिक व्यापार मन्त्री की यूगोस्लाविया की यात्रा

1584. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगोस्लाविया के बीच अर्थिक सहयोग संकट में है क्योंकि युगोस्लाविया, उसके और भारत के बीच अपनाई जाने वाली रुपया व्यापार प्रणाली को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है ;

(ख) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1969 के अन्तिम सप्ताह में युगोस्लाविया की यात्रा की थी ; और

(ग) युगोस्लाविया के नेताओं के साथ हुई उनकी वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). दिसम्बर, 1969 के अन्तिम सप्ताह में विदेशी व्यापार मंत्री की युगोस्लाविया की यात्रा के दौरान वर्तमान व्यापार तथा अदायगी करार की वैधता को 31 मार्च 1972 तक बढ़ाने के लिए एक सलेख पर हस्ताक्षर किये गये। इस करार के अन्तर्गत इन दोनों देशों के वाणिज्यक तथा गैर-वाणिज्यिक सभी लेनदेन का भारतीय रुपये में भुगतान करने की व्यवस्था है।

विद्युत चालित करघों द्वारा रंगदार साड़ियां बनाये जाने पर लगे प्रतिबन्ध का उलन्घन

1585. **श्री म० रा० बेवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर सरकार ने विद्युत-चालित करघों द्वारा रंगदार साड़ियां बनाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस प्रतिबन्ध का विद्युतचालित करघों द्वारा निरन्तर, विशेषकर महाराष्ट्र में, उल्लंघन किया जा रहा है और महाराष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में अनधिकृत विद्युतचालित करघों की बड़े पैमाने पर वृद्धि हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रतिबंध को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए और अनधिकृत विद्युत-चालित करघों की वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) कतिपय शक्ति चालित करघों ने, विशेषतः महाराष्ट्र में इस प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया है और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र में कुछ अप्राधिकृत शक्ति चालित करघे लगाये गये है।

(ग) यह प्रतिबन्ध राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्त्तित किया जाना है। बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को प्रतिबन्ध के प्रवर्त्तित करने से रोकने के लिये जारी किये गये अन्तरिम व्यादेश द्वारा महाराष्ट्र में प्रतिबन्ध का प्रवर्तन रूक गया गया है। अप्राधिकृत शक्तिचालित करघों की वृद्धि को रोकने के लिये 28.2.1966 के विद्यमान सभी अप्राधिकृत शक्तिचालित करघों को विनियमित किया जा रहा है और वस्त्र नियंत्रण आदेश का अधिक कठोरता पूर्वक प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या 1529 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से रबड़ बोर्ड द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :—

(1) सभी रबड़ उत्पादकों को 1,000 रु० प्रति एकड़ की भूमि दर से पुनरोपण उत्पादन दिया जाना।

(2) लघु उत्पादकों को अपनी भूमि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए ऋण अनुदान दिया जाना ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके और वे अपनी जोतो को लाभकर एककों में बदल सकें।

(3) अपरिपक्व क्षेत्रों में लगाये गये अधिक उपज वाले पौधों के उचित अनुरक्षण के लिये लघु उत्पादकों को अनुरक्षण ऋण मंजूर किये जाने हैं।

(4) लघु उत्पादकों को कम लागतों पर अधिक उपज वाली रोपण सामाग्री दी जाती है।

(5) बोर्ड के पास क्षेत्रीय पौधशालाएं हैं और वह अपनी ही पौधशालाओं अथवा अनुमोदित स्रोतों से एकत्रित अधिक उपज वाली सामग्री उत्पादकों को दे रहा है।

(6) बोर्ड सहकारी समितियों के माध्यम से लघु उत्पादकों को उर्वरकों, फंगसनाशी तथा छिड़काव यंत्रों के संभरण की व्यवस्था करता है और हवाई छिड़काव की भी व्यवस्था करता है। बोर्ड द्वारा उत्पादकों को निशुल्क तकनीकी परामर्श दिया जाता है। लघु उत्पादकों को कम की हुई दरों पर उर्वरक दिये जाते हैं।

(7) बोर्ड ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप में एक प्रारंभिक रबड़ प्रायोजना प्रारंभ की है जो प्रयोग सह-प्रदर्शन क्षेत्र के रूप में हैं और जो रबड़ की खेती की तकनीकी व्यवहायता स्थापित करेगी तथा अन्य उद्यमियों के लिये आदर्श के रूप में कार्य करेगी ।

(8) बोर्ड रबड़ की खेती के लिए नये क्षेत्रों के उपयगों के सम्भाव्यताओं का पता लगा रहा है । वोर्ड ने राज्य सरकारों को, जहां, कतिपय क्षेत्रों को रबड़ के लिए उपयुक्त समझा जाता है, परामर्श दिया है कि ऐसे क्षेत्रों को रबड़ लगाने के लिये मुक्त करें ।

2. उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त, रबड़ की खेती करने के उद्देश्य से केरल सरकार ने केरल रोपण निगम लि० की स्थापना की है । निगम ने पहले ही लगभग 15,000 एकड़ पर रबड़ उगा दिया है और चौथी योजना कीं अवधि में अतिरिक्त भूमि पर रबड़ उगाने की योजना है ।

दिल्ली में रूसी दूतावास के कर्मचारी का गायब हो जाना

1586. **श्री न० रा० देवरे :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के प्रैस आफिसर के गायब हो जाने के बारे में 10 फरवरी, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कोई और नई बात हुई है लेकिन पुलिस लापता सोवियत अधिकारी का पता लगाने की कोशिश में लगी है ।

अपर तुंगभद्रा परियोजना के निर्माण के लिये प्रस्ताव

1587. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने वर्ष 1969 में अपर तुंगभद्रा परियोजना के निर्माण के लिये अपने योजना-प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिये प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं, इस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा और इस परियोजना के अन्तर्गत जिला-वार कितने एकड़ भूमि आयेगी ;

(ग) क्या इस योजना को चौथी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है जैसा कि राज्य सरकार ने सुझाव दिया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इस परियोजना में जिस की अनुमानित लागत 20.2 करोड़ रुपये है, धरवार जिले के हीरेकेरुर तालुक में बेरानपाद के पास तुंगभद्रा नदी के उपर एक एक बराज का निर्माण परिकल्पित है और इस से धरवार, चित्रदुर्ग, रायचूर तथा बेलारी जिलों में 1,35,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होगी । परियोजना रिपोर्ट में जिले-वार क्षेत्र का ब्यौरा नहीं दिया गया है ।

(ग) तथा (घ). यह विचार है कि जब तक कृष्णा नदी के सम्बन्ध में जल-विवादों का मामला कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण के पास विचाराधीन है, भारत सरकार के लिए कृष्णा बेसिन में किसी नई परियोजना की स्वीकृति पर विचार करना उचित नहीं होगा ।

रोजगार प्रधान योजनाएं

1589. **श्री लोबो प्रभु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'प्रारूप योजना' के पृष्ठ 261 से 264 पर क्षमता तथा उत्पादन के बीच दिखाए गए अन्तर को दृष्टि में रखते हुए क्षमता में वृद्धि का प्रस्ताव किये जाने के क्या कारण हैं और क्या मन्त्रालय या योजना आयोग में इस अनुमान के लिए किसी ने जिम्मेदारी अपने उपर ली है ;

(ख) क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना में पूंजी विनियोजन के विभिन्न शीर्षकों की रोजगार क्षमता का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे प्रोफेसर दंतवाला की अध्यक्षता में नियुक्त विशेषज्ञ समिति को निर्दिष्ट न करने के क्या कारण है ; और

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) प्रारूप के पृष्ठ 261-265 में उल्लिखित चुनीदा उद्योगों के लिए क्षमता तथा उत्पादन के लक्ष्यों का निर्धारण योजना आयोग के अनुरोध पर आयोजन दलों कार्यकारी दलों, विकास परिषदों, तकनीकी विकास महानिदेशालय तथा अन्य ऐसे अभिकरणों के विस्तृत अध्ययन के पश्चात् किया गया जो चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के काम से सम्बद्ध थे । ये प्राक्कलन क्षमता तथा उत्पादन के उन स्तरों का प्रतिनिधित्व करते थे जो विभिन्न औद्योगिक वस्तुओं की भावी माँग, जिनमें घरेलू तथा निर्यात की मांग भी सम्मिलित है, के संदर्भ में आवश्यक तथा सम्भव समझे गए ।

(ख) तथा (ग). विभिन्न निवेश क्षेत्रों में रोजगार की संगणना के लिए निश्चित् कसौटी के अभाव के कारण चौथी योजना में विभिन्न विकास शीर्षों के लिए रोजगार क्षमता का अभी तक निश्चित् अनुमान नहीं लगाया गया है । इस मामले पर तिवाला समिति ने भी विचार किया है । इस समिति ने सुझाव दिया है कि श्रम-शक्ति, उत्पादित अतिरिक्त रोजगार

तथा बेकारी के सम्बन्ध में महत्व के एक पक्षीय आधार पर लगाया गया प्राक्कलन आर्थिक स्थिति के सूचक के रूप में न तो सार्थक है न लाभदायक ।

पुनरीक्षित चौथी योजना में रोजगार क्षमता

1590. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की व्यवस्था में की गई वृद्धि के रोजगार क्षमता संबंधी पहलू पर विचार किया गया था और उसका क्या अनुमान है ;

(ख) चूंकि सरकार कांग्रेस दल के दस-सूत्री कार्यक्रम की कार्यान्विति के बारे में विचार कर रही, प्रत्येक मद की रोजगार क्षमता कितनी है और अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था पर प्रति व्यक्ति कितनी लागत आएगी ; और

(ग) क्या सरकार योजना और आगामी बजट में श्रम-संबंधी गहन परियोजनाओं के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था करेगी जो बढ़ती हुई बेरोजगारी की दृष्टि से आर्थिक ढांचे का आधार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस समय चौथी योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों की रोजगार संभावनाओं का निश्चित अनुमान लगाना कठिन है। कांग्रेस दल का दस-सूत्री कार्यक्रम सामाजिक-आर्थिक महत्व के उपायों का संकेत करता है । इनमें से कुछ उपायों से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, परन्तु इनका परिणाम नहीं बताया जा सकता ।

(ग) रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए हाल के बजट में कुछ कदम उठाए गये हैं । माननीय सदस्यों में बजट पत्रों के साथ प्रचारित "टुवर्डस ग्रोथ विद सोशल जस्टिस" शीर्षक वाली विवरणिका में ब्यौरा मिल जायेगा ।

गत तीन योजनाओं में हलादी सिंचाई योजना की उपेक्षा

1591. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में हलादी सिंचाई योजना की मन्त्रालय तथा योजना आयोग ने किन कारणों से उपेक्षा की, जबकि वरहाई पर 339 लाख रुपये की लागत से बनाया जाने वाला 'वियर' 29,940 एकड़ भूमि में सिंचाई करेगा और यह मैसूर राज्य में सबसे कम खर्चे वाली योजना है ;

(ख) एक बहुत पिछड़े क्षेत्र की पर्याप्त रूप में सहायता करने के लिये इस योजना को तुरन्त हाथ में लेने पर क्या आपत्तियां है ;

(ग) अनुमानत: 40 लाख रुपये की लागत की इस योजना से हलादी नदी की बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्या सरकार कम से कम यह राशि मैसूर राज्य को देगी ; और

(घ) क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पर नियंत्रण पाने वाली यह प्रथम योजना होगी, इसलिए सरकार द्वारा और अधिक सहायता न दिये जाने के क्या कारण है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सिंचाई राज्यगत विषय है। सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अन्वेषण और कार्यान्वयन, राज्य सरकारें अपने योजना संसाधनों की सीमा के अन्तर्गत करती हैं। किन्हीं विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राथमिकताओं पर विचार एवं निश्चय सरकारें करती हैं।

हलादी सिंचाई स्कीम के लिए परियोजना रिपोर्ट मैसूर सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

विद्रोही नागाओं की गिरफ्तारी

1592. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम स्वयंसेवक दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की मिलीजुली गश्ती टुकडी ने 8 फरवरी, 1970 को 7 विद्रोही नागा गिरफ्तार किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन नागाओं से की गई पूछताछ का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). असैनिक प्राधिकरणों के विस्तार पता किए जा रहे हैं कि जिन के नियंत्रण में ग्रामीण स्वैच्छेक सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलीस का सम्मिलित गश्तीदल काम कर रहा था।

Officers Working in the Same Section for more than Seven Years

1593. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Administrative Headquarters of his Ministry has taken a decision that no employee or Officer would continue in any one Section for more than seven years ;

(b) if so, the number of such employees and officers in all the three Headquarters of his Ministry who have beeen working in only one Section for more than seven years ;

(c) whether it is a also a fact that a list of the said employees and officers in persuance of the said order has been prepared ; and

(d) if so, the time by which the said decision would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) to (d). It is not a fact that a decision has been taken that no employee or officer would continue in any one Section for more than seven years. But cases of individuals, who had remained in the same Directorate continuously for more than seven years, are reviewed annually with a view to consider whether any inter-Branch transfer should be made having regard to the need for continuity of work in a Branch and for allowing an opportunity to employees to have a change in nature of duties at reasonable intervals.

ब्रिटेन में रोके गये कीनिया के भारतीय

1594. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक

समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत-मूलक 13 व्यक्तियों को, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे, कीनिया से ब्रिटेन पहुंचने पर रोक लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार उम्मीद करती है कि पूर्व अफ्रीका के ब्रिटिश पासपोर्टधारी एशियाई मूल के लोगों के प्रति यू० के० की सरकार के जो दायित्व हैं उन्हें वह पूरा करेगी ।

भारत और पाकिस्तान के बीच शेष सभी समस्याओं को हल करने के लिये गांधी शांति मिशन

1595. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शांति मिशन ने अपनी गोष्ठी में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी शेष समस्याओं के, जिनमें काश्मीर भी शामिल है, हल के लिये आवश्यक वातावरण उत्पन्न करने के लिए दस-सूत्री योजना पेश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने इस बारे में खबरें देखी हैं। लेकिन कथित योजना के ब्यौरे की जांच सरकार ने पूरी तरह नही की है ।

मलयेशिया के साथ वार्ता

1596. **श्री रा० रा० सिंह देव** : **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1970 में कुआला-लम्पुर में भारत और मलयेशिया के प्रतिनिधि-मण्डलों के बीच कोई वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस बातचीत में दोनों देशों के आपसी हित के बहुत से मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था, खासकर सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विषयों पर ।

ब्रिटेन के कपड़ा बाजार का स्विटजरलैंड के हाथ में चला जाना

1597. **श्री देवेन सेन** :

श्री नंजागोडर :

क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के कपड़ा बाजार में भारत का स्थान स्विटजरलैंड ने ले लिया है ;

(ख) 1967 के बाद ब्रिटेन को कितने मूल्य का भारतीय कपड़ा निर्यात किया गया ;

(ग) उक्त कपड़ा बाजार के हाथ से चले जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) ब्रिटेन के कपड़ा बाजार में भारत की पूर्व-स्थिति बहाल करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं। जनवरी-अगस्त 1969 में भारत से ब्रिटेन में सूती कपड़े का आयात 99 लाख पौंड मूल्य का था, जबकि इसकी तुलना में स्विट्जरलैंड से 29.4 लाख पौंड मूल्य का आयात हुआ था।

(ख)	वर्ष	भारत से ब्रिटेन में सूती कपड़े का आयात
		(मूल्य लाख पौंड में)
	1967	207.21
	1968	261.86
	1969	192,01

(ग) तथा (घ) : भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठते, परन्तु ब्रिटेन को सूती कपड़े के निर्यातों को बनाये रखने और सम्भवतः बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भारत की प्रतिरक्षा तैयारियों के बारे में दिल्ली में आयोजित एक गोष्ठी में विचार-विमर्श

1598. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित हुए एक सम्मेलन में भारत की प्रतिरक्षा तैयारियों के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था तथा उसमें गैर-अधिकारियों के अतिरिक्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि यद्यपि भारत और चीन के मध्य समय-समय पर झड़पें हो सकती हैं परन्तु इससे किसी भी पक्ष को कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं हो सकता ; और

(ग) क्या सरकार का विचार चीन से अपने खोये हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की

नीति छोड़ देने का है ; और यदि नहीं, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों में उपरोक्त निष्कर्ष से किस प्रकार अपनी सहमति प्रकट की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जनवरी 1970 में इन्स्टीच्यूट फार डिफेंस स्टडीज एण्ड अनेलिसिज़ के लिए संस्थान द्वारा "कन्टेम्पोरेरी स्ट्रेटैजिक थाट एण्ड इंडियाज सिक्यूरिटी" पर एक सैमिनार आजोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय के तीन वारिष्ठ अफसरों ने तीन विशिष्ठ विषयों अर्थात रक्षा में निर्णय लेने, 'रक्षा उत्पादन की समस्याओं, और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के संगठन पर विचार विमर्श में भाग लिया था। रक्षा मंत्रालय के अन्य अफसरों ने सेमिनार में प्रेक्षकों के तौर पर भाग लिया था और चीन से संकट के संबंध में स्थितियों में उन्होंने भाग नहीं लिया था। समग्रत: सेमिनार किसी राय पर नहीं पहुँच पाया, और व्यक्त किए गए भिन्न विचारों को सुलझाने के लिए, या कोई राय कायम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। चीन द्वारा हमारे क्षेत्र के भाग पर अनधिकारपूर्वक अधिकार के संबंध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

अमरीका को कपड़े का निर्यात

1600. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव : श्री य० अ० प्रसाद :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका को भारतीय कपड़े का वार्षिक निर्यात बढ़ाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अमरीका की सरकार के साथ कोई करार या समझौता हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में
RE. CALLING ATTENTION

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री जे० एन० पटेल (शिमोगा) : मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैसूर में...

अध्यक्ष महोदय : आप उसका उल्लेख यहां न करें। ऐसी बातों को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। इसको कार्यसूची में नहीं लिया गया है।

श्री जे० एम० पटेल**

अध्यक्ष महोदय : यह अनुचित है। माननीय सदस्य मुझे मेरे कक्ष में मिल लें।

श्री क० लक्कप्पा (तुमकुर) : प्रधान मन्त्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देने वाली हैं। उन्हें महाजन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित के बारे में भी बताना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री अभी इस समय उत्तर नहीं दे रही हैं। उससे पहले हमें अन्य अनेक मदों को भी लेना है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा समीक्षा

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, वित्त मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, जादूगुडा बिहार, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, जादूगुडा बिहार, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये** एल० टी० **संख्या 2689/70]**

छावनी भूमि प्रशासन (संशोधन) नियम प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं छावनी अधिनियम 1924 की धारा 280 के अन्तर्गत जारी किये गये छावनी भूमि प्रशासन (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 69 में प्रकाशित हुए थे जो सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** एल० टी० संख्या 2690/70]

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

Not recorded.

दामोदर घाटी निगम के बजट अनुमान

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1970-71 के बजट अनुमानों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

गैर-सरकारी सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

अठावनवां प्रतिवेदन

श्री स्वैल (स्वायतशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अठावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

एक सौ तीसरा प्रतिवेदन

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : मैं भूतपूर्व पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय-पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद के सम्बन्ध में समिति के 50वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का 103वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

छियासीवां तथा इक्यावनवां प्रतिवेदन

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I present the following Reports of the Public Accounts Committee :

(1) Eighty-sixth Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Forty-second Report on Appropriation Accounts (Civil), 1966-67 and Audit Report (Civil). 1968 relating to the Ministry of Transport and Shipping.

(2) Ninety-first Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Fifty-seventh Report on Audit Report (Civil), 1968 relating to the Department of Supply.

नियम 357 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

Personal explanation under Rule 357

Shri Madhu Limaya (Monghyr) : I want your permission to give a personal explanation. I will be very brief. The Speaker of the Haryana Legislative Assembly has

replied to the points raised the other day in Lok Sabha in regard to the prorogation of the Assembly. He has quoted the rules of procedue of Assembly and has stated that he had no right to block the motion for adjournment of House *sine die*. He has quoted from the speech of our former Speaker, Shri Sanjiva Reddy. He has also given extracts from the advice tenderd by the Institue of Parliamentary Studies. Shri Reddy's speech was in regard to sudden adjournment of the House by the Speakers of Assemblies of Madhya Pradesh and West Bengal.

श्री रणधीर सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह हरियाणा के अध्यक्ष के विरुद्ध एक आक्षेप है। इनकी बात में कोई तथ्य नहीं है। क्या वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहे है ?

Shri Madhu Limaya : There is no reflection in it. I am not maligning the Speaker It is clear that the wishes of M.L.As. for continuing the session of the Assembly have been ignored. The no confidence motion was admitted by the Speaker and date has been fixed for taking that up.

श्री रणधीर सिंह : यह हरियाणा के विधान सभा के अध्यक्ष के कार्य पर किस प्रकार निर्णय मांग रहे हैं ?

Shri Rabi Ray : He should be asked to sit down and not to interrupt like that. You have allowed Shri Limaye to speak.

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री लिमये को स्पष्ट शब्दों में कह दिया हैं कि वह हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष के कार्य का उल्लेख न करें। आज के समाचार पत्रों में अध्यक्ष ने श्री लिमये द्वारा उठाये प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। अब श्री लिमये समाचार पत्रों के समाचारों के आधार पर अपनी बात कहना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि वह इसे शीघ्र समाप्त करें।

Shri Madhu Limaya : The Speaker had not only admitted the motion of no-confidence but he had also put the motion for leave being granted to the mover. It was granted. Thereafter the Speaker fixed a date for its being taken up. Then a immediately after that the House adjourned *sine die*. It was most unconstitutional. The Speaker should act in accordance with the provision of the constitution.

I feel either the no-confidence motion was not in order or after its having been admitted the motion regarding prorogation was wrong. *(Interruptions)*

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : यह एक दृष्टांत बन जायेगा।

Shri Madhu Limaya : I do not want to blame him for discourtsy. He should have admitted his mistake and it would have added to his respect.

श्री रणधीर सिंह : यह हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष का अपमान है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप की अन्तिम बात से प्रत्यक्ष रूप से आक्षेप...

Shri Madhu Limaya : There is no reflection in it. I am only expressing difference of opinion.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDERSS

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मुझे इस बात की खुशी है कि अनेक सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति का यह अभिभाषण हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक नये अध्याय की शुरूआत है। विरोधी पक्ष की ओर से उसी प्रकार के भाषण हुए हैं जैसी की आशा थी हमने आलोचना का हमेशा स्वागत किया है। राष्ट्रपति जी ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।

हम जहां एक ओर अपने देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर प्रौद्योगिकी बदलती जा रही है और यह समस्त संसार में उथल पुथल कर रही है। हमें इस बात को नही भूलना चाहिए कि आगामी वर्षों में हमारे जो निर्णय हो, वे नवयुवकों को स्वीकार होने चाहिए।

मुझे विरोधी पक्ष के नेता के भाषण से निराशा हुई है। यह आशा थी कि विरोधी पक्ष के औपचारिक नेता के बच जाने से वाद-विवाद के स्तर में कुछ अन्तर आयेगा और संसदीय परम्परायें मजबूत होंगी परन्तु यह आशा पूरी नहीं हुई है। उनका भाषण में दूरदर्शिता और वास्तविकता का अभाव है। उनके प्रत्येक शब्द में असंतोष झलकता है।

हाल की घटनाओं ने इस बात को चरितार्थ कर दिया है कि प्रगतिवादी और रूढ़वादी लोगों के बीच कितना अन्तर है। इस वाद-विवाद से एक जैसे विचारों वाले व्यक्तियों का पता चलता है।

श्री पाटिल ने मुझे एक कैदी की संज्ञा दी है उन्होंने नारों की बात कही है। लेकिन थोड़े लोगों ने नारों का अधिक प्रयोग किया है।

श्री पाटिल एक स्पष्टवक्ता व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी वास्तविक राय को कभी नहीं छिपाया है। उनके राष्ट्रीकरण, समाजवाद और निजी थैलियों सम्बन्धी विचारों से उनके अपने ही पक्ष के समस्त व्यक्ति सहमत नहीं हैं। सभा और सरकार को उपदेश देने से पहिले वह अपने साथियों को अपने विचारों से सहमत करायें। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि काफी संख्या में भूतपूर्व नरेश ने सामाजिक एकता लाने में उत्साह और दूरदर्शिता का परिचय दे रहे हैं जैसा कि उन्होंने देश की राजनैतिक एकता में परिचय दिया था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सबसे अधिक हर्षध्वनि निजी थैलियों और विशेषाधिकारों की समाप्ति का उल्लेख करते हुए हुई थी।

कुछ सदस्यों ने अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों का उल्लेख किया है। आयोगों की स्थापना का ध्येय तथ्यों और विचारधाराओं का पता लगाना होता है जिससे उनकी सिफारिशों के आधार पर न्यायोचित निर्णय किये जा सकें। हमारे राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद अनेक ऐतिहासिक कारणों से पैदा हुए हैं। ये कारण सब मामलों में एक जैसे नहीं है।

माननीय सदस्य को पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनेक सिफारिशों को या तो काफी सीमा तक बदलना पड़ा है अथवा उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है, परन्तु इन सब मामलों में मुख्य ध्येय यही था कि सम्बन्धित व्यक्तियों को अधिक से अधिक संतुष्टि की जाय । इस सम्बन्ध में कुछ आधारभूत सिद्धान्त बनाने की मांग भी की गई थी । परन्तु इनके लिये कुछ सामान्य नियत बनाना ठीक प्रतीत नहीं होगा । इनका निपटारा तो इनके अपने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ।

इसी सभा में और बाहर भी यह कहा गया है कि मैं राजनैतिक प्रयोजनों के लिये सरकारी कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करने की योजना बना रही हूँ। मैंने इस बात का बार-बार खंडन किया है और सरकारी कर्मचारियों के बारे में मेरी टिप्पणी को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है । मेरा हमेशा यह विचार रहा है कि सरकारी कर्मचारी बिना किसी भय अथवा पक्षपात के अपने निर्णय करें और निर्भीक तथा सही सलाह दें । इन कर्मचारियों को जनता की सेवा तथा उसके कल्याण के लिए कटिबद्ध रहना चाहिये । उन्हें हमारे संविधान के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा संसद द्वारा अपनाये गये उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिये ।

मैंने देखा है कि असैनिक सेवाओं में सब स्तरों पर आदर और कर्तव्य परायणता का अभाव नहीं है ।

सरकार की बढ़ती हुई जिम्मेदारी को देखते हुए हमें अधिक कार्य कुशलता, अधिक दक्ष जानकारी और कार्य पूरा करने के शीघ्र तरीकों की ओर ध्यान देना चाहिए ।

अनेक माननीय सदस्यों ने 'ऐले' नायक फ्रांसीसी पत्रिका के साथ कुछ महीने पहिले हुए मेरे साक्षात्कार का उल्लेख किया है । उन्होंने शायद साक्षात्कार के मौलिक वार्तालाप को नहीं पढ़ा है अपितु उसके अनुवाद का उल्लेख किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस महिला ने मेरे साथ भेंट वार्तालाप किया था उसने इस बारे में भ्रामक स्थिति पैदा कर दी है । जो उसने लिखा है वह उसका अपना विचार है, जिसके बारे में उसने यह समझा है कि मैंने वैसा कहा है । उसने यह भी कहा बताते हैं कि मैंने उससे कहा था कि गांधी जी दिल्ली की अपनी यात्राओं के दौरान आनन्द भवन में ठहरते थे । इन साक्षात्कारों में कभी-कभी लोगों को भ्रम हो जाता है । पत्रिकाओं में विचारों को तोड़ मरोड़ कर रखना तो एक आम बात हो गई है विशेषकर विरोधी पक्षों के सदस्यों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं में गांधी शताब्दी वर्ष में मैंने लगभग प्रत्येक आम सभा में गांधी जी का उल्लेख किया है घोर संकट के समय उन्होंने देश को जो प्रेरणा दी और उसका मार्गदर्शन किया, उसके लिये उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है । मैंने इस सभा में उन्हें देश की महानतम क्रान्तिकारी बताया है । मैंने उन्हें कभी भी प्रतिक्रियावादी नहीं कहा । ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती ।

आचार्य कृपलानी ने श्री ऋत्विक पाठक को पद्म श्री की उपाधि दिये जाने का उल्लेख किया है, श्री पाठक एक चलचित्र निर्माता हैं और अधिकांश भारतीय और विदेशी फिल्म समीक्षकों ने उन्हें एक महान रचनात्मक चलचित्र निर्माता माना है । किसी कलाकार का सम्मान उसकी कला के लिये किया जाता है । श्री पाठक ने कुछ दिन पहिले सार्वजनिक रूप से कहा

है कि वह मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान थे जिसके कारण उनके मुख से ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण शब्द निकल गये थे। गांधी जी की महानता इस प्रकार के शब्दों से कम नहीं हो सकती।

आर्थिक नीति के बारे में मैं आज विस्तारपूर्वक नहीं कहूँगी कि क्योंकि इस पर बाद में आय व्यय का और योजना पर विचार करते समय चर्चा होगी। परन्तु मैं उन कुछ बातों को बारे में उल्लेख करना चाहूँगी जो मेरे विचार से गलत धारणाओं और आंकड़ों पर आधारित है।

प्रोफेसर रंगा को यह सन्देह है कि जिस इस्पात को हम तैयार करने की योजना बना रहे हैं उसकी मांग भी होगी या नहीं। उनका शायद यह विचार कि इस्पात और अन्य इंजीनियरिंग परियोजनाओं की माग में अब भी मन्दी की प्रवृत्ति चल रही है। 1964 और 1968 के बीच इस्पात की मांग में कमी हो गई थी परन्तु उसके बाद धीरे-धीरे काफी बृद्धि हुई है। यह तो सबको पता ही है कि विभिन्न प्रकार के इस्पात की, जैसे बिलट चादर प्लेट और तार की छड़ों की काफी कमी है। इस्पात के अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के बारे में निर्णय लेते समय हमें न केवल आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है बल्कि उसकी दूर भविष्य में होने वाली मांग को भी ध्यान में रखना है। एक इस्पात कारखाने की योजना उसका डिजाइन बनाने तथा उसको निर्धारित क्षमता के अनुसार चलाने में एक से सात वर्ष का समय लगता है। यही कारण है कि हमने बोकारो तथा अन्य इस्पात कारखानों के विस्तार तथा नई क्षमताओं को बढ़ाने का निर्णय किया है। मैं श्री रंगा से यह अनुरोध करती हूं कि वह इस्पात कारखानों की मांग करने वाले विभिन्न राज्यों को इस बात के लिये मनायेंगे।

श्री मोरारजी देसाई ने बोकारो की पूंजीगत लागत 2860 रुपये प्रतिटन आंकी है किन्तु वह 900,000 मीट्रिक टन लोहे के ढेले के अतिरिक्त उत्पादन का हिसाब लगाना भूल गये हैं। पूंजीगत लागत में वृद्धि होने के कारण कुछ और ही थे। यदि तैयार इस्पात की प्रति टन के हिसाब से विनियोजित पूंजी के आधार बनाया जाये, तो इसी एक बात के आधार पर बोकारो की लागत 10 प्रतिशत कम हो जाती है, और इस प्रकार रूरकेला में प्रति मीट्रिक टन पर 2750 रुपये लागत आयेगी जबकि बोकारो में यह लागत 3100 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। दूसरी बात जो श्री देशाई ने कही है वह यह है कि 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीकरण के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है। उनका यह अनुमान बिल्कुल गलत है।

जहां तक रोडेशिया का सम्बन्ध है, भारत सरकार रोडेशिया के अपने आपको पृथक गणतन्त्र घोषित करने के कार्य को अवैध मानती है। तथा इस सम्बन्ध में विश्व-समुदाय और अफ्रीकी राज्य जो कार्यवाही करेंगे। उसका हम समर्थन करेंगे। हम चाहते हैं कि वहां बहु-जातीय समाज में 'एक व्यक्ति एक राय' का सिद्धान्त क्रियान्वित हो। वहां पर अल्प संख्या की बजाय बहुमत का शासन हो।

हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि समाज में सबको समान अधिकार प्राप्त हों और देश में लोग ऊंच नीच और छोटेपन या बड़ेपन को महसूस न करें। यदि लोगों को समान बनाना है, तो कुछ कार्य तो करने ही होंगे। अन्यथा लोगों के समान अधिकार दिलाने और उन्हें समान बनाने का

स्वप्न कैसे पूरा होगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा जीवन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए भारतीय ढंग से ही भारतीय समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। अतः हमारे तरीके वे नहीं है जो माननीय सदस्य के हैं। श्री वाजपेयी और उनका दल भारतीयकरण की बात करता है। यदि जनसंघ चाहता है कि प्रत्येक भारतीय अपने देश को प्रेम करे और वह देशभक्त बनें, तो इसमें किसी का भी विरोध नहीं है, परन्तु उसके लिए अलग से भारतीय करण के सिद्धान्त को प्रतिपादित करने की क्या आवश्यकता है शायद श्री वाजपेयी इसका निर्णय स्वयं करना चाहते है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलराम पुर) : ऐसी बात नहीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य चाहते हैं कि कौन भारतीय हैं और कौन नहीं, इसका निर्णय करने के लिए एक न्यायाधिकरण बैठाया जाये ? क्या जनसंघ दल स्वयं इस बात का निर्णायक बनना चाहता है ? ऐसा करने से देश पर उतनी ही भारी विपत्ति आ जायेगी जितनी की अमेरिका में उस समय आई थी जब कि कुछ अमेरीकियों ने अन्य अमेरिका निवासियों को गैर-अमरीकी घोषित कर दिया था। इससे तो लोकतन्त्र का आधार ही समाप्त हो जायेगा आधुनिकतम राष्ट्रीकरण का ही दूसरा नाम भारतीयकरण है और अपने आप में यह आवरणमय प्रतिक्रिया है यदि 'भारतीयकरण' पद बहुत ही सरल है, जैसा कि उसके व्याख्यान कहते हैं, तो उसको इतने जोर के साथ कहने की क्या आवश्यकता है और उससे हमारे कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न क्यों होता है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : चूंकि भारतीयकरण की ओट लेकर अल्पसंख्यकों को गुमराह करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि प्रधान मन्त्री भारत की एकता में विश्वास नहीं रखती और वह भारत का और भी विभाजन करना चाहती हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : पहले प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का ही भारतीयकरण किया जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vaspayee : Sir she was not in the House when I delivered my speech. I doubt that she has read my speach. She was not been replying to the points raised to me. Instead she has been trying to put certain things into my mouth, This is wrong.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री वाजपेयी जी ने जो कुछ कहा था उस पर मैंने गम्भीरता पूर्वक विचार किया है। किसी भी वक्तव्य के ठीक या गलत होने की कसौटी यह है कि उसके प्रति उसको सुनने वालों की प्रतिक्रिया क्या होती है।

श्री बलराज मधोक : आपकी दृष्टि से उसका अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे लिये प्रत्येक बच्चा जो भारत में पैदा होता है, भारतीय है। भारत में ऐसे कानून विद्यमान हैं जिनके आधार पर यह मूल्यांकन किया जा सकता है कि

कौन व्यक्ति देशद्रोही है। इस बात का निर्णय किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस बात का निर्णय किसी राजनीतिक दल द्वारा भी नहीं किया जा सकता। जो लोग भारतीयकरण के सिद्धान्त का प्रचार कर रहे हैं, उनके इरादे छिपे नहीं रह सकते अतः भारतीयकरण का बार बार उल्लेख करना वांछनीय नहीं है।

श्री वाजपेयी के भाषण के समय मैं यहां पर उपस्थित नहीं थी परन्तु मैंने उनका भाषण पढ़ा है, सुन्दर वाक्यों में उग्रवादी इरादे छिपे होते हैं, चाहे वे दक्षिणपंथी हों अथवा वामपंथी। उनके दल द्वारा एक स्वदेशी योजना का प्रचार किया जा रहा है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से हाल में वापस आये तब अर्थशास्त्री के दिमाग की उपज है। यह ऐसी रूपरेखा है, जिसमें बहुत बड़े-बड़े वायदे दिये गये हैं, परन्तु यह नहीं बताया गया कि उन वायदों को किस प्रकार पूरा किया जायेगा। अन्य बातों के अतिरिक्त इसमें परमाणु अस्त्रों के संग्रह के लिए धन जुटाने के कार्यक्रम का भी वचन दिया गया है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : क्या वे वचन देंगी कि वे राष्ट्रपति हित को ध्यान में रखते हुए परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी संधि, जिस पर कल हस्ताक्षर किये जाने हैं, को स्वीकार करने से इन्कार कर देंगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह योजना हवा में रस्सी खड़ी करने वाले भारतीय जादू के समान है। जिसकी चर्चा तो बहुत है, परन्तु जिसे किसी ने देखा नहीं है। क्या श्री वाजपेयी बतायेंगी की उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त की 50 प्रतिशत राशि बचाने के लिये लोगों की किस प्रकार बाध्य किया जाता सकता है ? यदि विदेशों से सहायता लेनी बन्द कर दी जाये तो इतना विशाल कार्यक्रम किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है ? इसके लिये कहां से धन आयेगा ? यदि इस योजना पर शांति और गम्भीरता से विचार किया जाये, तो निराशा ही हाथ लगेगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता हैं कि श्री वाजपेयी के दल के दिमाग में एक भिन्न प्रकार के सामाजिक और राजनैतिक धारणायें हैं, जो हमारी व्यवस्था से बाहर हैं। इस योजना में सामाजिक व्यवस्था की एक एकाधिकारी भावना है और लोकतन्त्रीय सामाजिक व्यवस्था के साथ यह मेल नहीं खा सकती है।

श्री मोरार जी देसाई ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उज्जैन में तथा दूसरे सदन में दिये गये मेरे भाषण का उल्लेख किया है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण सम्मान करते हैं, वास्तव में न्यायाधीश का देश में सभी को सर्वाधिक सम्मान करना चाहिए। सरकार तीनों अंगों को, विधान मण्डल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, संविधान को सर्वोपरि रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हैं। परन्तु संविधान में कुछ निदेशात्मक सिद्धान्त दिये गये हैं, जिनकी विवेचन के बारे में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। जबकि हमारा कोई अधिनियम अवैध ठहराया गया है, हमने संविधान के ढाचे के अन्दर रहते हुए उपचारात्मक कार्यवाही की है।

गत वर्ष ऐसा प्रतीत हुआ था कि कुछ दिशाओं में भारत में परिवर्तन की गति धीमी पड़ी गई है। इससे अनेक लोगों में विशेष रूप से नवयुवक पीढ़ी में असंतोष बढ़ गया था अब फिर

हम प्रगति की ओर तेजी से बढ़ने लगे हैं। यह मेरी अटूट निष्ठा है कि भारत की समस्याओं को हल करने का एक मात्र मार्ग लोकतन्त्रीय मार्ग है। लेकिन समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता के बिना सच्चा लोकतन्त्र नहीं हो सकता है। इस आदर्श को सामने रखकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 से 30 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 1 to 30 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 31 और 32 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 31 and 32 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 33 से 39 और 365 से 368 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 33 to 39 and 365 to 368 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 52 मतदान के लिये रखा गया .

Amendment No. 52 was put.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 73 ; विपक्ष में : 207.

Ayes : 73 ; Noes : 207

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

The amendment was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 51, 53, 54 और 55 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 51, 53, 54 and 55 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 56 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 56 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 66 और 461 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 66 and 461 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 92 मतदान के लिये रखा गया

Amendment No. 92 was put.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 127 ; विपक्ष में : 172.

Ayes : 127 ; Noes : 172.

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 93 से 99 और 292 से 295 तक मतदान के लिये रखे गये तक अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 93 to 99 and 292 to 295 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 100 से 125 तक मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 100 to 128 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 129 से 137 तक तथा 641 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 129 to 137 and 641 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 138 और 139 मतदान के लिये रखे गये ।

Amendment Nos. 138 and 139 were put.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 114 ; विपक्ष में : 172.

Ayes : 114 ; Noes : 172.

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 140 से 147 तक और 429 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 140 to 147 and 429 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 188 से 192 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 188 to 192 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 303 मतदान के लिये रखा गया ।

Amendment No. 303 was put.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 49 ; विपक्ष में : 168.

Ayes : 49 ; Noes. 168.

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

The amendment was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 296 से 302 और 304 से 326 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 296 to 302 and 304 to 326 were put and nagatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 328 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 328 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 330 से 344 और 392 ये 404 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 330 to 344 and 392 to 404 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 345 से 358 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 345 to 358 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 370 से 391 तक, 462 तथा 463 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 370 to 391, 462 and 463 were put and nagatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 408 स 418 तक, 627 और 628 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 408 to 418, 627 and 628 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 425 स 428 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 425 to 428 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 439 मतदान के लिये रखा गया।

Amendment No. 439 was put.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 53 ; विपक्ष में : 209.

Ayes : 53 ; Noes : 209.

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

The amendment was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 438 और 440 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 438 and 440 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्य 455 से 458 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

Amendment Nos. 455 to 458 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 493 मतदान के लिये रखा गया

Amendment No. 493 was put.

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sahba divided

पक्ष में: 86 ; विपक्ष में: 185

Ayes . 86 : Noes : 185.

संशोधन अस्वीकृत हुआ

The amendment was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 490 से 492 तक मतदान के लिये गये तथा अस्वीकृत हुये

Amendment Nos. 490 to 492 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 508 से 512 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendment Nos. 508 to 512 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 516 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 516 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 517 से 529 और 585 से 599 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 517 to 529, 585 to 599 were put and negatived.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : What about my amendment No. 495 regarding firing and excesses on farmer agitators in ganganagar ?

Mr. Speaker : You have not moved it.

Shri Prakash Vir Shastri : It is there in the printed list and I moved it also the other day.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे प्रस्तुत किया हुआ मान लूंगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir I beg to move my amendments No. 495.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 495 मतदान के लिए रखा गया

Amendment No. 495 was put

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 83 ; विपक्ष में : 165

Ayes : 83 ; Nos : I65.

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 530 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 530 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 531 से 536 तथा 636 से 638 तक मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendment Nos. 531 to 536 nnd 636 to 638 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 551 से 569 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 551 to 569 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 629 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 629 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 0 मतदान के लिए रखा गया ।

Amendment No. 630 was put

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 20 विपक्ष 17 :

Ayes : 20. Nos: : 178.

संशोधन अस्वीकृत हुआ

The amendment was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 631 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendmet No. 631 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 639 से 640 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment No. 639 and 640 were put and negatived

श्री समर गुह : मैं अपना संशोधन संख्या 441 प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 441 मतदान के लिए रखा गया।

Amendment No. 441 was put

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 80 ; विपक्ष में : 166.

Ayes : 80 ; Noes : 166.

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

The amendment was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :-

'कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जोकि उन्होंने 20 फरवरी, 1970 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।' "

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabaha divided.

पक्ष में : 170 ; विपक्ष में : 60.

Ayes : 170 ; Noes : 60.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fifteen or the clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok sabha re-assembled after unch of Three minutes part Fifteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Dy. Speaker *in the Chair*]

रेलवे आय-व्ययक-सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION

रेलवे मन्त्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : मैं सबसे पहले तो पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार चालू वर्ष अर्थात् 1969-70 की स्थिति संक्षेप में रखूंगा। पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार चालू वर्ष में रेलवे राजस्व 145.88 करोड़ रुपये हैं और सामान्य राजस्व में अंशदान की राशि 158.43 करोड़ रुपये होगी। इस प्रकार 12.55 करोड़ रुपए की कमी रहेगी। अलाभकर कार्यकलापों पर विकास कोष में से 20 करोड़ खर्च किये गये और इस वर्ष राजस्व में से विकास कोष में कोई राशि जमा नहीं की जा सकी। वर्ष 1969-70 में कुल 34.19 करोड़ रु० का घाटा रहा। चूंकि राजस्व रिजर्व कोष और विकास कोष में क्रमशः 2.84 करोड़ रुपये और 1.26 करोड़ रुपये ही के रेलवे को सामान्य राजस्व से 30.09 करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा। 1964-65 से आरम्भ होने वाले गत पांच वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष में कुल घाटा 165.87 करोड़ रुपए है। रेलवे ने न केवल पहले वर्षों में राजस्व रिजर्व कोष में जमा की गई 110.48 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दी बाकी सामान्य रिजर्व से 55.39 करोड़ रुपये उधार भी लिए। यदि भाड़े और किरायों में वृद्धि से कोई राजस्व वसूल न किया जाये, तो 1970-71 में कुल घाटा 40.97 करोड़ रुपये होगा। बजट प्रस्तावों के अनुसार वृद्धि से 39 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है और फिर भी लगभग 1.97 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

चौथी योजना में रेलवे को पुराने सामान के स्थान पर तथा सामान खरीदने पर 525 करोड़ रुपये खर्च करने के अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये योजना परिव्यय करना है। चौथी योजना के प्रथम वर्ष 1969-70 में मूल्य ह्रास और विनियोजन को छोड़कर 160 करोड़ रुपये के योजना व्यय के विरुद्ध वास्तव में 153.75 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की सम्भावना है इसी प्रकार अगले वर्ष के 180 करोड़ रुपये के योजना व्यय में रेलवे का अंशदान केवल 31.96 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार रेलवे को योजना पूरी करने के लिए चौथी योजना के अन्तिम तीन वर्षों में कम से कम 200 करोड़ रुपए जुटाने पड़ेंगे।

इन आंकड़ों के अनुसार रेलवे की वित्तीय स्थिति को देखकर मुझे बहुत चिन्ता है। आप मुझसे सहमत होंगे कि राष्ट्र के सरकारी क्षेत्र के इस सबसे बड़े उपक्रम, की वित्तीय स्थिति, जिसमें 4,000 करोड़ रुपये लगे हुए हैं, पुनः शीघ्र ही सुदृढ़ होनी चाहिए तथा भारतीय रेलवे यात्री यातायात तथा माल परिवहन की आवश्यकताओं को कम लागत पर तथा कुशलता से पूरी करने की स्थिति में होनी चाहिये।

विरोधी दलों तथा अपने दल के सदस्यों की आलोचना तथा उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने मूल प्रस्तावों में कुछ संशोधन करने का निर्णय किया है। मैं तीसरी श्रेणी के किरायों में वृद्धि के सभी प्रस्ताव वापस ले रहा हूँ। तीसरी श्रेणी के मासिक तथा अन्य सावधि पासों की दरों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मार्केट वैंडरों की भी वर्तमान दरें लागू रहेंगी। प्लेटफार्म टिकट भी 20 पैसे की दर पर मिलता रहेगा। प्रथम श्रेणी-सामान्य और द्वितीय श्रेणी-सामान्य का न्यूनतम किराया क्रमशः 2 रु० और 1.50 रुपये के स्थान पर 1 रु० 50 पैसे होगा।

मैं दालों सहित अनाज के सम्बन्ध में भाड़े के समायोजन का प्रस्ताव वापस ले रहा हूं। इनके मामलों में वर्तमान भाड़ा दरें लागू रहेंगी। मैं दूध के पार्सल शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि भी वापस ले रहा हूं। इन प्रस्तावों के वापस लेने से प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व 13 करोड रुपये कम हो जायेगा। इस प्रकार 1970-71 के लिये घाटा बढ़कर लगभग 16 करोड़ रुपये हो जायेगा। मेरे विचार में देश के सभी भागों में लोगों की उचित तथा जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी प्रगति करनी होगी। यात्री सुविधायें बढ़ाई जानी चाहिएं और भीड़-भाड़ को कम करने के लिए हमें और डिब्बे लेने चाहियें। सभी भागों में नई रेलवे लाइनें बिछाने और छोटी लाइनों के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाने की आवश्यकता है। लेकिन रेलवे के पास अपनी सामान्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम भरसक बचत करने तथा कुशलता के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन हमें साथ ही अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी प्रत्येक संभव कदम उठाना होगा।

श्री चे० मु० पुनाचा (मंगलौर) : मैं रेलवे मन्त्री द्वारा घोषित संसाधनों के लिए उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु यह बात याद रखनी चाहिए कि रेलवे मन्त्री को रेलवे बोर्ड के कार्यकरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त किये बिना इस सत्र में नही आना चाहिए और जब वे सत्र में कोई प्रस्ताव रखते हैं, तो वे गम्भीरता से रखे जाने चाहिए। सम्भवत उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला और उनसे जो पत्र पढ़ने के लिए कहा गया, उन्होंने पढ़ दिये।

योजना तैयार करने से रेलवे मन्त्री का बहुत सम्बन्ध रहा है। उन्होंने रेलवे मन्त्रालय के लिए चौथी योजना के कार्यक्रमों का उल्लेख किया और अपने बजट भाषण में पृष्ठ 7 पर भी उन्होंने इनका उल्लेख किया है इस सम्बन्ध में उन्होंने सभा की प्रक्रिया की गम्भीर उपेक्षा की है। मेरे रेलवे मन्त्री पद के कार्यकाल में सभा के द्वारा 28 नवम्बर, 1968 को रेलवे अभिसमय समिति के गठन के बारे में पारित संकल्प में यह कहा गया था कि एक संसदीय समिति रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व में अंशदान तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करके उनके बारे में सिफारिश करेगी। इस प्रकार 18 सदस्यों की यह संसदीय समिति रेलवे राजस्व में से सामान्य राजस्व में अंशदान निर्धारित करती है। यह एक प्रकार का वित्त आयोग का। इसके द्वारा किये गये धन के नियतन के आधार पर चौथी योजना के कार्यक्रम तैयार किये गये थे। पहली समिति 1954 में नियुक्त की गई थी। इन समितियों की सिफारिशें संसद् में रखी जाती हैं और संसद द्वारा उन पर विचार किये जाने के बाद योजना कार्यक्रमों का विवरण तैयार किया गया था।

परन्तु हुआ क्या है ? इस समिति की कोई बैठक ही नहीं हुई है। स्पष्ट है कि उसने योजना कार्यक्रम पर विचार ही नहीं किया है। परन्तु मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि 1525 करोड़ रुपये का कार्यक्रम है। इसमें रेलवे का भाग 940 करोड़ रुपये, केन्द्र की निधि से 525 करोड रुपये, मूल्य-ह्रास रक्षित निधि के प्रतिवर्ष 105 करोड़ रुपये, किराये की वर्तमान दरों पर रेलवे के फालतू धन से 265 करोड़ रुपये और नये करों को 150 करोड़ रुपये जुटाये जायेंगे। 1966-67 से 1968-69 तक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, देय लाभांश के औचित्य, विभिन्न निधियों के लिए राशि के नियतन तथा विकास निधियों में जमा की जाने वाली राशि की मात्रा पर विचार करने के लिये 28 नवम्बर, 1968 को रेलवे अभिसमय समिति को नियुक्त किया

गया था। यह एक महत्वपूर्ण समिति है, परन्तु खेद है कि इस समिति की कभी कोई बैठक ही नहीं हुई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : बैठक तो हुई थी परन्तु उसमें कोई निर्णय नहीं किये गये थे।

श्री चे० मु० पुनाचा : खेद है, मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि इस समिति की बैठक हुई है। यह तो एक अच्छी बात है कि उसकी बैठक बुलाई गई थी, परन्तु उसमें कोई निर्णय ही नहीं किये गये थे। पहले इस समिति ने अपनी सिफारिशें संसद के समक्ष प्रस्तुत करनी थी। इन सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् ही योजना कार्यक्रम पर विचार किया जाना था। परन्तु यह सब किये बिना ही मन्त्री महोदय ने जो आँकड़े सभा के समक्ष रखे हैं उन पर हम तब तक विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक समिति अपनी सिफारिशें नहीं करती और जब तक उन सिफारिशों पर संसद में विचार नहीं हो जाता है। क्योंकि यह एक विचारणीय बात है कि क्या इस अवधि मे रेलवे अपने साधनों से 940 करोड़ रुपये जुटा सकती है। यदि ऐसा करना उनके लिये सम्भव नहीं है, तो इस सम्बन्ध में और क्या सुझाव हो सकते हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। मैं रेलवे मंत्रालय से बार-बार कह चुका हूँ कि लाभांश की छः प्रतिशत दर उचित नहीं है और इसलिए इसे कम किया जाना चाहिए क्योंकि रेलवे के व्यय में प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाती है और इस वृद्धि को रोका भी नहीं जा सकता है। इसमें से 5 करोड़ रुपये तो अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि के रूप में देने पड़ते हैं। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय राजस्व के लिए लाभांश की दर को हर वर्ष बढ़ाते रहना सम्भव नहीं होगा। जब मैंने इस मन्त्रालय का चार्ज लिया था उस समय लाभांश 142 करोड़ रुपये था अगले वर्ष यह 152 करोड़ रुपये हो गया और इससे अगले वर्ष यह बढकर 163 करोड़ रुपये हो गया। केन्द्रीय राजस्व के लिए देय लाभांश में प्रतिवर्ष 9 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की जो प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है यह कहां तक उचित है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

रेलवे अभिसमय समिति ने 1965 में हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय राजस्व के लिए देय ब्याज की दर निश्चित की थी। तीन वर्ष तक हम इसी समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य करते रहे क्योंकि सभा द्वारा स्वीकृत इस समिति की सिफारिशों में न ही रेलवे मन्त्रालय और न ही वित्त मन्त्रालय ही कोई परिवर्तन कर सकता है। उनमें फेर बदल केवल यह सभा ही कर सकती है। 1968 में वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैंने एक रेलवे अभिसमय समिति का गठन करने के लिये इस सभा में प्रस्ताव रखा था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

हरियाणा विधान-सभा के सत्रावसान के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE PROROGATION OF HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा हरियाणा विधान सभा के सत्रावसान के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। श्री नाथ पाई।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापटनम) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी सभा किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रही है । मैंने तो केवल अभी श्री नाथ पाई से प्रस्ताव रखने के लिए ही कहा है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : आपने विषय तो बता ही दिया था इसीलिए अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए इस समय को ही उपयुक्त समझा । यदि आप इसे बाद में उठाने के लिए कहते हैं, तो मैं ऐसा ही करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी तो यह एक सामान्य अपील है कि हम किसी अन्य विधान सभा की कार्यवाही को चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि हम भी यह नहीं चाहते हैं कि कोई अन्य विधान सभा हमारी कार्यवाही पर चर्चा करे इसीलिए मैंने यह अपील की है ।

श्री धीरेश्वर कलिता : (गोहाटी) : प्रस्ताव की अनुमति देते समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हमें हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष के आचरण के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिये । अब आपने अपील की है कि हमें विधान सभा की कार्यवाही की चर्चा नहीं करनी चाहिये । यदि हम ये सब नहीं कह सकते हैं, तो इसके अलावा हमने और कहना ही क्या है ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । 27 फरवरी को 12.30 बजे सभा के नेता, श्री बंसीलाल ने, जो मुख्य मंत्री भी हैं, प्रस्ताव किया था कि सभा को अनिश्चित काल तक के लिये स्थागित कर दिया जाये । विधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । अब इस सभा को इस मामले पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker *in the Chair*]

Shri Rabi Ray (Puri) : Now when the motion has already been admitted, why these points of order are being raised at this stage. They are actually challenging the very decision of the chair.

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : व्यवस्था का प्रश्न उठाने की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि अभी सभा के समक्ष विचारार्थ कोई विषय ही नहीं है ।

श्री रणधीर सिंह : श्रीमान्, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिये । विधान सभा द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्ताव को तथा उस पर अध्यक्ष के निर्णय को यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : This is not the first decision when the proceedings of a State Legislative Assembly are being discussed here. The decisions of the speakers have already been discussed here in the past. Hence the point of order should be rejected.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : हरियाणा विधान सभा के सत्रावसान का प्रश्न एक ऐसा मामला है जो पूर्णतया हरियाणा विधान सभा से सम्बन्धित है और वह उसके क्षेत्राधिकार में आता है ।

यह ठीक है कि संसद सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न निकाय है। इसी तरह अपने क्षेत्र में हरियाणा विधान सभा भी सर्वोच्च तक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न निकाय है। अतः इस प्रस्ताव पर यहां पर विचार करना कोई अच्छी बात नहीं होगी।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : Mr. Speaker, Sir, I simply want to point out that the day of 3rd March had already been fixed for taking up the No-confidence motion in the Assembly, but the Governor chose to prorogue the Assembly before that date. If the Assembly had not been prorogued but only adjourned, the Assembly could have such on that day to dispose of No-confidence-motion. We will, therefore be within our rights discuss this matter here.

श्री गजराज सिंह राव : (महेन्द्रगढ़) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मैं तो इसे कल ही उठाना चाहता था परन्तु मुझे ऐसा करने की अनुमति ही नहीं दी गई थी। मैं मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रस्ताव की अनुमति किस नियम के अन्तर्गत दी गई है। क्या यह संविधान तथा प्रक्रिया के नियमों के अनुकूल है। जब तक हमें यह बताया ही न जाये कि इस प्रस्ताव की अनुमति किस नियम के अर्न्तत दी गई है, हम क्या कह सकते हें कि इसे उस नियम के अन्तर्गत उठाया जा सकता है अथवा नहीं।

श्री स० कुन्दू (बालासोर) : श्रीमन् आपने इस प्रस्ताव की अनुमति दे दी है चाहे यह ठीक है अथवा गलत और उसे विषय सूचि में प्रकाशित कर दिया गया है। अब अध्यक्ष के आचरण के बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न नही उठाया जा सकता है।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : श्रीमान्, मैं श्री कुण्दू के मत से सहमत नहीं हूं। विधेयकों के पुर:स्थापन सम्बन्धी प्रस्तावों पर इस बिना पर आपत्तियां की जाती हैं कि सभा संवैधानिक वैधानिक रूप से इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकती है। इसी आधार पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह सभा किसी विधान सभा की कार्यवाही तथा अध्यक्ष के निर्णय पर चर्चा करने के लिये सक्षम नहीं है। अतः इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

श्री धीरेश्वर कलिता : श्रीमन्, इस प्रस्ताव की अनुमति देते समय तथा आज भी आपने यह अपील की है कि विधान सभा, राज्यपाल तथा अध्यक्ष पर चर्चा न की जाये। जब ऐसी बात थी तो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति ही क्यों दी गई है ? हमें यह बताया जाये कि हमें किन बातों पर बोलना है ?

Shri Mirtunjay Prasad (Maharajganj) : It is quite clear from the text of the motion that the subject matter of discussion is prorogation and not the proceedings of the Legislative Assembly. The prorogation is the function of the Governor which we can discuss here as we have been doing in the past also. Hence there is nothing wrong if we discuss this matter also.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : श्रीमन्, यदि राज्यपाल ने सभा का सत्रावसान न किया होता, तो अध्यक्ष महोदय विधान सभा फिर बुला सकते थे राज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप करने तथा सभा का सत्रावसान करने से सम्बन्धित मामला चर्चा का विषय है। इस सभा ने बंगाल, पंजाब तथा बिहार से सम्बन्धित ऐसे मामलों पर भी पहले चर्चा की थी। अब हरियाणा के मामलों में इस चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले संसद-सदस्य इस विषय पर जो कल विचार-विमर्श हुआ था उसकी पृष्ठभूमि को शायद भूल गये हैं। कल मुझे विधान सभा की कार्यवाही, अध्यक्ष के आचरण, विधान सभा के सत्रावसान तथा कुछ आम बातों पर चर्चा करने के लिये एक स्थगत प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मैंने उस स्थगत प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। इस पर सर्वश्री नाथ पाई, मधु लिमये तथा कुछ अन्य सदस्यों ने सभा में यह तर्क देने का प्रयत्न किया कि हम तो केवल इस मामले के संवैधानिक पहलू पर विचार करना चाहते हैं। हमारा विधान सभा की कार्यवाही, सभा के निर्णय अथवा अध्यक्ष के विनिर्णय तथा ऐसी अन्य बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है। सत्रावसान की शक्ति पर उनकी आपत्ति का गृह-कार्य मन्त्री ने उत्तर दिया था कि राज्यपाल को मुख्य मंत्री की सलाह को स्वीकार करना ही पड़ता है। मेरा भी यही मत है। यह एक बहुत ही बुरा दिन होगा जब राज्यपाल को सत्रावसान के लिये केन्द्रीय सरकार से हिदायतें लेनी पड़े।

उक्त सदस्य मुझे पुनः मिले और मैंने उनको यह स्पष्ट कर दिया था कि इस सभा में विधान सभा की कार्यवाही, अध्यक्ष के आचरण और सत्रावसान के बारे में राज्यपाल को सलाह देने के मुख्य मन्त्री के अधिकार पर चर्चा नहीं की जा सकती है। मेरी समझ में नहीं आता है जब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था, तो बाकी क्या रह गया है जिस पर वे अब चर्चा करना चाहते हैं। मेरा विचार था कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।। मेरी अब भी वही शर्तें हैं। मैं यह मामला अब श्री नाथ पाई पर छोड़ता हूं कि उपर्युक्त बातों को बीच में लाये बिना वह किस प्रकार इस मामले के केवल संविधानिक पहलू पर ही चर्चा करते हैं।

श्री गजराज सिंह राव : श्रीमान्, आप कार्यवाही के अभिलेख को देखें और बतायें कि वह कौन सा नियम है जिसके अन्तर्गत इस प्रस्ताव की अनुमति दी गई है। यदि इसकी अनुमति नियम 181 के अन्तर्गत दी गई है, तो मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। स्थगन की ग्राह्य पर चर्चा करते समय इस मामले पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। इसलिये नियम 186(5) के अन्तर्गत इस मामले पर पुनः चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा हरियाणा विधान सभा के सत्रावसान पर, जब कि मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव गृहीत किया जा चुका था और उस पर सभा द्वारा विचार किया जाना था, गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और उसे संविधान की भावना का घोर उल्लंघन मानती है जिनसे लोकतंत्रात्मक प्रणाली में हमारे लोगों की निष्ठा के कम हो जाने की संभावना है।"

अध्यक्ष महोदय : हमारे संविधान के अनुसार संसद में राष्ट्रपति तथा दोनों सभायें शामिल हैं : इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान राज्य सभा के सभापति द्वारा दिये गये इस विनिर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमें हरियाणा विधान सभा के स्थगत की पूरी जांच करनी होगी। यह एक बहुत ही दिलचस्प विनिर्णय है। इसके साथ-साथ में मैं आपका ध्यान 7 अप्रैल, 1968 को उस समय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में

सर्वसम्मति से पारित किये गये उस संकल्प की ओर दिलाना चाहता हूँ जिस में निम्नलिखित निर्णय किया गया था :

"Observing that the executive authority was exerised in a manner that was not always in keeping with the constitutional propriety."

मेरे प्रस्ताव तथा उक्त संकल्प में कोई अन्तर नहीं है क्यों कि इन दोनों में संविधान की इस भावना के बारे में कहा गया है।

".....ताकि लोगों में विश्वास उत्पन्न हो....." मेरे प्रस्ताव में कहा गया है कि जो कुछ वहां हुआ है उससे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कम होने की संभावना है। इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान सभा में 15 नवम्बर, 1967 को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की ओर भी दिलाना चाहता हूं। प्रस्ताव यह था :

"कि यह सभा केन्द्रीय सरकार की इस कार्यवाही का निरनुमोदन करती है कि वह राज्यों के राज्यपाल-पद को संविधान के समुचित प्रवर्तन का माध्यम न बना कर उसका उपयोग केन्द्र में सकारूढ़ दल के एजेंट के रूप में कर रही है, जिसका उदाहरण बिहार तथा पश्चिम बंगाल में हाल ही की घटनाओं से मिलता है।"

15 नवम्बर वाले मेरे उक्त प्रस्ताव, पीठासीन अधिकारियों के उपर्युक्त संकल्प तथा अभी प्रस्तुत किये गये मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य एक ही है और वह यह सुनिश्चित है कि संसद तथा विधान सभायें इस प्रकार कार्य करें जिससे हमारे संविधान की भावना का आदर हो। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष महोदय के इस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ जिस में उन्होंने कहा है कि मेरे समक्ष दो प्रस्ताव रखे गये थे ; एक सभा को स्थगित करने का और दूसरा राज्य मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव था। इन परिस्थितियों में मैंने संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था से सलाह ली। परन्तु कल गृह-कार्य मन्त्री ने हमें बताया था कि इस मामले पर सभी संवैधानिक प्राधिकार उनके पक्ष में हैं। परन्तु 1967 में गृह-मन्त्री की राय इस के बिल्कुल विपरीत थी। तब उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने मुख्य मंत्री की सलाह की उपेक्षा कर के बिल्कुल ठीक किया है। इस सम्बन्ध में चव्हाण साहब को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि वह गृह-कार्य मन्त्री हैं और वह जो कुछ कहते हैं उसके बहुत ही गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं। एक ओर तो उन्होंने कहा था कि राज्यपाल को मुख्य मन्त्री की सलाह को स्वीकार करने अथवा न करने की पूरी छूट है दूसरी ओर अब वह कह रहे हैं कि राज्यपाल को मुख्य मन्त्री की सलाह को स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। उनकी यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। हमें इस सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि राज्यपाल संविधान का एजेंट और संघ तथा राज्यों के बीच सम्पर्क स्थापित करने वाली कड़ी का काम करता है। संविधान का अभिरक्षक होने के नाते उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि संविधान की मर्यादा पर कोई आंच न आये। इस के साथ-साथ उसे लोगों के कल्याण के लिये उनकी सेवा करनी होती है।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) अभी उन्होंने बताया कि 1967 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जो कुछ कहा था अब मैं उस के विपरीत कह रहा हूं। क्या वह इसका कोई हवाला दे सकते हैं ?

श्री नाथ पाई : श्री चव्हाण राज्य पालों की नियुक्ति तथा कुछ राज्यों में राज्यपालों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग के बारे में प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। एक प्रश्न पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा मुख्य मन्त्री तथा मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई तिथि से पहले विधान सभा को बुलाने के लिये दिये गये आदेश के बारे में था तब उन्होंने कहा था :

"मैं अपने मित्र श्री नाथ पाई से बिल्कुल असहमत हूं। राज्यपाल को मुख्य मंत्री की सलाह की उपेक्षा करने तथा विधान सभा को बुलाने की पूरी छूट है"

दूसरा प्रश्न बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति करने के बारे में था गृह-कार्य मन्त्री ने श्री कानूनगो को बिहार का मुख्य मंत्री बनाने का प्रस्ताव किया था। परन्तु वहां का मुख्य मंत्री तथा मंत्रिपरिषद यह नहीं चाहती थी कि उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया जाये। इस पर चव्हाण जी ने कहा था कि वह तो केन्द्रीय सरकार का सर्वोच्चधिकार है कि वह जिसको मर्जी नियुक्त करे। 16 नवम्बर, 1969 को वादविवाद का उत्तर देते समय श्री चव्हाण का बिल्कुल यही विचार था जिसका मैंने उल्लेख किया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यह कहा था कि निश्चय ही राज्यपाल ऐसे मुख्य मंत्री की सलाह की उपेक्षा कर सकता है जिसका बहुमत न रहा हो।

श्री नाथ पाई : नहीं नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : हरियाणा के राज्यपाल को इस बात की कैसे जानकारी हो सकती है कि श्री बंसी लाल को बहुमत प्राप्त है ?

श्री नाथ पाई : श्री चव्हाण ने अपने उत्तर में इस बात को कई बार दोहराया था। बंगाल और हरियाणा के सम्बन्ध में उनके विचारों में अन्तर है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति असीमित नहीं है और न ही राज्यपाल किसी बात के साथ बिना सोचे समझे सहमत हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण अन्तर है।

हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष ने जब दो प्रस्ताव स्वीकार कर लिये तो उन्होंने संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था के साथ परामर्श किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह दुर्भाग्य की बात है कि वहां के अध्यक्ष ने अपने विचार प्रैस के सामने रख दिये और आप उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा था कि वहां अध्यक्ष ने 6 महीने पहले उपर्युक्त संस्था के साथ परामर्श किया था। परन्तु जब यह स्थिति उनके सामने आई तो उन्होंने अपनी जानकारी का उपयोग कर लिया।

श्री नाथ पाई : हरियाणा की विधान सभा के अध्यक्ष का कर्त्तव्य एक सार्वजनिक दस्तावेज है और मैं उससे उद्धृत कर सकता हूं। उनका कहना है कि जब सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने वाला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये तो स्पष्टतः उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त संस्था की यह राय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष ने यह विनिर्णय देने के लिए ही उपर्युक्त संस्था के साथ परामर्श नहीं किया था। उन्हें इस

प्रकार की स्थिति का अनुमान था और उन्होंने इस लिए 6 महीने पहले विभिन्न राज्य विधान मण्डलों तथा उपर्युक्त संस्था को भी राय पूछी थी।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष के सार्वजनिक वक्तव्य में से उद्धृत करने पर क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा तात्पर्य यह है कि आप उनपर आक्षेप न लगायें।

श्री नाथ पाई : मैंने उनके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। मैं केवल उनके वक्तव्य से उद्धृत कर रहा हूँ। यदि मैं उनकी आलोचना करूं तो आप मुझे रोक सकते हैं। यह संवैधानिक राय है कि जब दो प्रस्ताव एक सभा पटल को स्थगित करने का और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन हों तो अविश्वास प्रस्ताव पर पहले विचार किया जाना चाहिये बशर्ते कि वह विधिवत पुरःस्थापित किया जाये और वह बिल्कुल ठीक हो। अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा विधान सभा के सम्बद्ध नियम 65 के अधीन विधिवत पुरःस्थापित किया गया था। यह नियम के साथ मिलता जुलता है। इस सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के संकल्प में उल्लिखित है कि यदि अध्यक्ष सभा स्थगित भी कर देता है तो भी उनके विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है तो सभा को उस पर विचार करना चाहिये और उस पर वादविवाद करके उस मामले को निपटाना चाहिये। अध्यक्ष पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बारे में यह आदेशात्मक सिफारिश है कि सभा को अपनी कार्यवाही जारी रखनी चाहिये तो वहां तो एक दल से सम्बन्धित मुख्य मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव था। क्या मुख्य मंत्री को वह अधिकार दिया जा सकता है जो एक अध्यक्ष को उपलब्ध नहीं है ? उपर्युक्त सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि मुख्य मंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है या उठा सकता है। परन्तु इस व्यवस्था को पहले व्यक्त की गई इस राय के साथ पढ़ना चाहिये कि यदि दो प्रस्ताव विचाराधीन है तो सभा स्थगित कर देने से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं हो जायेगा। अब मैं राज्यपाल के कार्य की ओर आता हूँ। श्री चक्रवर्ती बहुत ही योग्य और ईमानदार व्यक्ति हैं और उनके लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान है किन्तु इस प्रकार की कठिन परिस्थिति में बड़े से बड़ा योग्य व्यक्ति भी पूरा नहीं उतरता।

संविधान के साथ कपट किया गया है। कपट का अर्थ केवल झूठ बोल कर पैसा ठगना या धोखा देना ही नहीं है। कपट कई प्रकार का होता है और मनुष्य का दिमाग नये नये कपट के तरीकों का आविष्कार करता रहता है इसलिए न्यायालय ने इसकी परिभाषा देना कभी उचित नहीं समझा। कपट का अर्थ है जानबूझकर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी या अनुचित तरीके से उस चीज से वंचित करना जिसके लिए वह हकदार है।

हरयाणा विधान सभा के प्रक्रिया नियम संख्या 16 और 65 संविधान के अंतर्गत हैं और संविधान के अंतर्गत उन सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने का अधिकार था जिन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका को विधान सभा के प्रति जिम्मेदार बनाया गया है और जब भी चुनौती दी जाये कार्यपालिका को अपनी बहुमत संख्या को प्रमाणित करना होगा।

कानून के दायरे मे रहते हुए भी कपट किया जाता सकता है और न्यायालय इसको सिद्ध कर देगी यदि यह अनुचित कार्य है। राज्यपाल ने अपनी शक्ति का प्रयोग पक्षपात से किया है। उन्हें संविधान और इसकी भावना की रक्षा करनी चाहिये थी। उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है और यह कपट है।

न्यायाधीश श्री कोरवा सुब्बा राव ने 1961 में एक फैसले में कहा था कि अनुच्छेद 310 को अनुच्छेद 174,175 और 176 की तरह ही पढ़ा जाना चाहिये। इसका अर्थ है कि संविधान प्रति अपनी निष्ठा को ध्यान में रख कर उन्हें अपने विवेक से काम लेना चाहिये। राज्यपाल को पता था कि सभा के सामने एक अविश्वास प्रस्ताव था और इसलिए उनका कर्तव्य था कि वह सभा के सत्रावसान की स्वीकृति न देते। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यपाल का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही केन्द्र की जिम्मेदारी आती है और इस मामले में राज्यपाल का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। इस मामले में राज्यपाल को मुख्य मंत्री से कहना चाहिये था कि क्योंकि सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव है इसलिए सभा का सामना करने के बाद ही आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। हरियाणा के राज्यपाल ने संविधान और इसकी भावना की रक्षा करने में अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। लोकतन्त्र की रक्षा में अविश्वास का प्रस्ताव एक बहुत बड़ा हथियार होता है। राज्यपाल ने सभा को इस हथियार के प्रयोग से वंचित रखा।

हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। संविधान का निर्वाचन करने में हमें बड़े संयंत्र और सावधानी के वर्तने की आवश्कता है।

श्री गजराज सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : आपने स्पष्ट शब्दों में यह विनिर्णय दिया है कि विधान सभा का कार्यवाही, अनिश्चित काम के लिये स्थगन प्रस्ताव और अध्यक्ष के आचरण पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। अतः इस चर्चा का आधार क्या है? यदि विधान सभाओं में हमारे भाषणों पर चर्चा की जाये, तो क्या स्थिति होगी? अत: हम संविधान की रचना कर रहे हैं अथवा इस को समाप्त कर रहे हैं?

मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। किन्तु संविधान के अन्तर्गत ही नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिये। यदि नियम दोषपूर्ण हैं तो विधान सभा को उनमें परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है।

जहां तक सत्रावसान का सम्बन्ध हैं राज्यपाल को सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार कार्य करना होता है। इस बारे में राज्यपाल पर आपत्ति उठाना उचित नहीं है। कई विपक्षी सदस्यों ने यह कहा है कि इस पर चर्चा हो चुकी है। गृह कार्य मन्त्री ने भी कहा है कि यह स्वाभाविक है, यदि इस पर चर्चा हो चुकी है तो इसको दुबारा नहीं उठाया जा सकता है, जब अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था तो सभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। वहां इसके विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती थी। यदि कहीं कोई गलती है तो वे उसको बदल सकते हैं, यदि संविधान का उल्लंघन किया गया है तो वे सर्वोच्चा अथवा उच्च न्यायालय में इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

तब वे कहते है कि राज्यपाल ने अमुक अनुच्छेद के अनुसार कार्य न कर संविधान की

भावना का उल्लंघन किया है, यदि संविधान की भावना का उल्लघंन किया गया है तो ऐसा सभी दल करते हैं। संविधान की भावना की परिभाषा क्या है, उनके प्रस्ताव में कहा गया है कि चूंकि संविधान की भावनाओं का उल्लघंन किया गया है अतएव सभा को राज्यपाल की भर्त्सना करनी चाहिये क्या संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है कि यदि किसी सदस्य द्वारा संविधान की भावना का उल्लघंन होता है तो उसके निष्कासन का प्रस्ताव लाया जाना चाहिये।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं इससे सहमत हूं कि राज्यपाल को स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करना चाहिये। राज्यपाल ने पद की शपथ ली होती है और संवैधानिक होती है। यदि वह कोई कार्यवाही करता है और वह जनता के मन के विरुद्ध होता है तो हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है, प्रश्न यह है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या हमें ऐसा कोई अधिकार प्राप्त है कि हम राज्यपाल के स्वविवेक निर्णय की आलोचना कर सकते है, राज्यपाल के पास कुछ अधिकार होते हैं, उसके विरुद्ध कार्यवाही तब ही की जा सकती है जब केन्द्र अथवा गृह कार्य मंत्री के पास कुछ अधिकार होते हैं। संविधान केन्द्रीय सरकार को राज्यपालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार दे सकता है परन्तु क्या राज्य इसको स्वीकार करेंगे, राज्य यह चाहेंगे कि राज्यपाल अपने स्वविवेक पर निर्णय लें, कोई भी राज्य यह प्रश्न नहीं करेगा कि केन्द्रीय सरकार के पास राज्यपाल के निर्णय पर आलोचना अथवा दखल दे।

श्री नाथपाई ने अनुच्छेद 356 और 359 का उल्लेख किया है, पर ये अनुच्छेद हमारे वादविवाद के क्षेत्र से बाहर हैं अतएव केन्द्रीय सरकार के पास राज्यपाल के स्वविवेक निर्णय पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है चाहे उसका निर्णय गलत क्यों न हो।

यह समूचा प्रस्ताव हरियाणा के बारे में है। यदि माननीय सदस्य सत्तावसान के अधिकार पर सामान्य रूप से चर्चा करते तो वह अच्छा होता। राज्यपाल के पास सत्तावसान करने के कुछ अधिकार हैं और उन्हें मुख्य मंत्री के परामर्श पर कार्य करना होता है। माना कि यदि मुख्य मंत्री संविधान के नियमों के अन्तर्गत कोई परामर्श देता है और राज्यपाल उसे स्वीकार करता है तो क्या ऐसी कोई संस्था है जो कि उसके कार्य या निर्णय की विवेचना करे, मैं श्री नाथपाई और अन्य सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि हमारे पास राज्यपाल के निर्णय का विरोध करने अथवा न मानने का कोई अधिकार नहीं है।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Assembly was called on 13th February and the Governor had made address. On 16th February Mr. Mangal Sen. The opposition leader, Told that he wanted to withdraw his No-Confidence Motion.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : आपने कहा था कि जो कुछ हरियाणा विधान सभा में हुआ उसका वर्णन यहां नहीं किया जायेगा परन्तु श्री रणधीर सिंह ऐसा नहीं कर रहे हैं।

श्री रणधीर सिंह : मैं केवल सभा के सूचनार्थ ऐसा कर रहा हूं। अनुच्छेद 174 में दिया हुआ है कि राज्यपाल सत्तावसान कर सकता हैं। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल समय-समय पर दोनों सभा का सत्तावसान कर सकता है राज्यपाल को मंत्री परिषद की परामर्श पर ऐसा करना पड़ता है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को मुख्य मंत्री अथवा मन्त्री

परिषद अथवा अपने स्वविवेक से कार्य करना पड़ता है। राज्यपाल द्वारा किए गये किसी कार्य की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह एक प्रकार से बाधाकारी तथा अन्तिम है। क्या इस पर चर्चा करने में हम सक्षम हैं ? यदि आप अनुच्छेद 163 पर दृष्टिपात करेंगे तो यह पायेंगे कि राज्यपाल के निर्णय पर न इस सभा और न किसी न्यायालय में प्रश्न उठाया जा सकता है।

27 फरवरी को विधान सभा बुलाई गई थी और बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि सभा को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किया जाये। राज्यपाल ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। अब इस मामले में राज्यपाल पर क्यों दोषारोपण किया जाये। मुझे अपने माननीय सदस्यों से यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि राज्यपाल ने संविधान की अवज्ञा की है। क्या राज्यपाल ने विधान सभा में पारित प्रस्ताव के विरुद्ध कुछ किया है ?

दूसरी बात मैं अविश्वास प्रस्ताव पर कहना चाहता हूँ। वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव लिया ही नहीं जाना चाहिए था। आप जानते हैं कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया नियमों में कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव को प्रश्न काल से पूर्व लिया जाना चाहिए। कोई भी अविश्वास प्रस्ताव प्रश्न काल के तुरन्त बाद नहीं लिया जाना चाहिए। मैं वहां के अध्यक्ष के निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मुझे यह केवल इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि श्री नाथपाई ने उनका उल्लेख किया था। अध्यक्ष महोदय के समक्ष दो प्रस्ताव थे। एक तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव तथा दूसरा अविश्वास प्रस्ताव था। इस पर चर्चा की जानी थी परन्तु सबने इसका विरोध किया आखिर अध्यक्ष महोदय क्या कर सकते थे।

हरियाणा में यह बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रतिपक्षी बहुमत में हैं और शासकदल अल्पमत में है। 13 फरवरी से 27 फरवरी तक प्रतिपक्षी दलों को बजट के समय, राज्यपाल के अभिभाषण पर तथा अन्य कई अवसर मिले परन्तु वे असफल रहे।

अध्यक्ष महोदय : यहां केवल संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करने की अनुमति दी गई थी। प्रश्न यह है कि सभा का सत्रावसान किया गया था और अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था आप इसके अलावा और कुछ नहीं कहिए।

श्री रणधीर सिंह : मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा यह कहना है कि जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया गया था तो प्रतिपक्षी दलों की अपनी शक्ति आजमाने का पर्याप्त समय दिया गया था। उनका कहना था कि अध्यक्ष महोदय ने अपने निर्णय को क्यों बदला। यदि अध्यक्ष अपना निर्णय बदलता है तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने इसी बात को अपना आधार बनाया कि संविधान की अवज्ञा की गई है और राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया गया है। उनका अभियोग है कि राज्यपाल अध्यक्ष को धोखे में रख रहा है। उनके पास कम से कम दस अवसर आये और वे इसका उपयोग सत्तारूढ़ दल के साथ शक्ति आजमाने में कर सकते थे परन्तु वे ऐसा न कर सके। केवल देश का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है। वे हरियाणा में, जबकि वहाँ शान्ति व व्यवस्था की अपेक्षा है, अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री शांतिलाल शाह (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए

हरियाणा के विधान सभा का सत्तावसान पर गंभीर चिंता प्रकट करता हूँ। मैं अध्यक्ष के निर्णय पर टिप्पणी नहीं करूंगा और न मेरा विचार राज्यपाल की निंदा करने का है।

राज्यपाल ने सत्तावसान का जो आदेश दिया है वह छलपूर्ण है। मैं बताऊंगा कि यह छलपूर्ण कैसा है। इस मामले में राज्यपाल का कर्त्तव्य था कि वह संविधान की रक्षा करता। उसने अपने पद की शपथ ली होती है और आगे वह संविधान की रक्षा तथा बचाव करने के अपने कर्त्तव्य से अवगत होता है। संविधान पर आक्रमण बड़े ही छलपूर्ण तरीके से हो सकता है अतः ऐसे मामले में राज्यपाल का कर्त्तव्य यह होता है कि वह इसकी रक्षा करे।

मेरा यह कहना है कि राज्यपाल अपने दायित्व के प्रति अवगत रहता है तो उसका इस प्रकार का कार्य छलपूर्ण हो सकता है। जब मैं कहता हूं कि राज्यपाल का इस प्रकार आदेश जारी करना छलपूर्ण था तो मेरा तात्पर्य केवल यह है कि चाहे उसने सहज ही ऐसा किया हो परन्तु यह संविधान विरुद्ध कार्य है।

इस मामले में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था तथा इस पर स्वीकृति दे दी गई थी और इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी गई थी। तब सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। क्या राज्यपाल सभा का सत्तावसान कराने में सही था? स्थगन का तात्पर्य है कि सभा का सत्र चल रहा है और जब सत्रावसान हो जाता है तो फिर सत्र चालू नहीं रहता है; इस मामले में सभा को स्थगित कर दिया गया था। सत्रावसान करने से पूर्व राज्यपाल को मालूम था कि प्रतिपक्षी दलों पर पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है और वाद विवाद के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। इस प्रस्ताव को विफल बनाने के लिए सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल को ऐसे समय क्या करना चाहिए था। अनुच्छेद 175 के अन्तर्गत राज्यपाल को सभा बुलाकर अभिभाषण देने का अधिकार है और इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति का होना आवश्यक है। राज्यपाल इस अधिकार का प्रयोग किसी भी समय कर सकता है। मेरा कहना यह है कि राज्यपाल को अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए था।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : राज्यपाल के पास सत्र को बुलाने अथवा सत्तावसान करने का अधिकार है। विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल उस सभा को बुला सकता है जिसको स्थगित कर दिया गया है? मेरे विचार में राज्यपाल सभा को नहीं बुला सकता है। जब सभा स्थगित कर दी जाती है तो राज्यपाल को इसे बुलाने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री शान्तिलाल शाह : मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि सभा को फिर से बुलाया जाये। सभा स्थगित कर दी गई है इसलिए यह चालू अवस्था में है। यह राज्यपाल का अधिकार है कि वह सदस्यों के समक्ष अभिभाषण दे और उनसे सभा में उपस्थित होने को कहे। जो अब किया गया है वह संविधान के प्रति धोखा है। राज्यपाल का कार्य सन्देहपूर्ण रहा है। दुर्भाग्यवश हम सभा की कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं।

मेरा सुझाव है कि गृह कार्य मंत्री इन प्रश्नों को अपने कानूनी सलाहकारों के समक्ष रखें। वे इस बात को देखें कि क्या जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था तो मुख्य

मंत्री का सत्रावसान के प्रस्ताव को स्वीकार करना संविधान के साथ धोखा नहीं है ? यदि उत्तर 'हां' में है तो क्या यह सत्रावसान वैध है। क्या राज्यपाल का यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता है कि वह इस आदेश को समाप्त करे ? इस मामले में यदि राज्यपाल आश्वस्त हो जाता है कि यहां धोखा किया गया है तो यह उसके अधिकार के अन्तर्गत आ जाता है कि वह उस आदेश को रद्द कर दे। यह मामला अब गृह कार्य मंत्री के ध्यान में लाया गया है और वे इस निष्पक्षता से विचार करें। संसदीय कार्य करने के नियम है ; कुछ इसका प्रयोग चतुराई के साथ करते हैं पर इसमें छलपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो उस पर विचार कर कोई समाधान ढूंढ़ना चाहिए। मेरा निवेदन है कि हरियाणा में जो कुछ हुआ है उसको संविधान के हितों के संदर्भ में देखना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। हम कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हैं। गृह कार्य मंत्री महान्यायवादी अथवा श्री सीतलवाड या श्री दफ्तरी से इस बारे में परामर्श लें। मैं राज्यपाल के अधिकारों के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा केवल यह कहना है कि आरम्भ से अन्त तक।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : श्री नाथपाई ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और प्रतिपक्ष की बात रखी है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। हम भी संविधान का आदर करते हैं और उसकी मर्यादाओं की सुरक्षा चाहते हैं।

इसमें एक साधारण सी बात है। हमें देखना है कि संविधान के उपबन्धों और विधान मंडल के प्रक्रिया के नियमों में भेदों को कैसे सुलझाना है। सभा की बैठक सभा के नियमों के अनुसार स्थगित की गई थी। वैसे अविश्वास का प्रस्ताव सभा में विचारार्थ स्वीकार किया जा चुका था। हमें इस स्थिति पर विचार करना है। भविष्य में ऐसी स्थिति के खड़े होने के बारे में भी हमें निर्णय करना होगा। हमें राज्यपाल के अधिकारों की ओर ध्यान देना होगा। संविधान के अन्तर्गत उसके क्या कर्त्तव्य तथा अधिकार हैं। मैं अनुच्छेद 167 का इस सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहता हूँ।

उसे राज्य के प्रशासन विधान के लिए प्रस्तावों के बारे में जानकारी देनी होती है। उसे अपने कार्यों को निभाते समय अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। उसे मुख्य रूप से तीन प्रकार के कर्त्तव्य निभाने होते हैं। प्रथम यह कि राज्य में जनता की सरकार है। दूसरे उसे राज्य सरकार को कुछ मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए कहना होता है। अब इस मामले में पूर्व कार्यक्रम के अनुसार सत्र के स्थगन के प्रश्न पर मुख्य मंत्री को पुनः विचार करने के लिए कहना चाहिए था। यह एक त्रुटिपूर्ण पूर्व दृष्टान्त स्थापित हुआ है। कल को कोई दल इसका अनुचित लाभ उठा सकता है।

मैं श्री नाथ पाई के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता परन्तु गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ कि राज्यपालों को समझायें। मैं किसी की निन्दा नहीं करना चाहता।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऐसे विषयों पर प्रसिद्ध विधिवेताओं की राय ले जानी चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि राज्यपाल अपने कार्य को ठीक ढंग से निभाते हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य होता है। मैं कोई वकील नहीं हूं। मुझे

संविधान सभा में होने का सौभाग्य प्राप्त है। जब संविधान बन रहा था तो एक सुझाव आया था कि राज्यपालों का भी चुनाव होना चाहिए। मैं भी इसका समर्थक था। परन्तु जब यह कहा गया कि हमें केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति पर भरोसा रखना चाहिए और राज्यपालों को राज्यों के मुख्य मंत्रियों के हाथ में कठपुतली नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।

अब क्या स्थिति है। वैसे तो राज्यपाल को बहुत अधिकार प्राप्त है। परन्तु उसे मुख्य मंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। माननीय गृह मंत्री ने यह कहा है। साथ में हमें याद रखना होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केन्द्रीय सरकार की सलाह पर करते हैं। इस प्रकार वास्तविक शक्ति तो केन्द्र सरकार के पास है।

हमने बंगाल में देखा है कि राज्यपाल ने मुख्य मंत्री को उसके पद से हटाने तक का आदेश दिया था। राज्यपाल केन्द्रीय सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वह तो केन्द्रीय गृह कार्य मंत्री की एक कठपुतली बन के रह गये हैं।

यदि गृह कार्य मंत्री सद्भाव से कार्य करें तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जैसाकि श्री नाथपाई ने कहा है संविधान में सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए उपबन्ध किये गये हैं। खेद की बात है कि गृह मंत्री के पद का दुरुपयोग किया जाने लगा है। अब जो भी प्रधान मंत्री चाहती हैं किया जा रहा है। जहां पर भी इनके विरोधी पक्ष की सरकार है उसे यह समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के हथकंडों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं श्री शान्ति लाल शाह के इस सुझाव से सहमत नहीं कि प्रमुख अधिवक्ताओं की समिति की राय ली जानी चाहिए। क्या दलबदल के मामले से निपटने के लिए ऐसी एक समिति का गठन नहीं किया गया था? उसकी सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है? फिर एक सर्वदलीय समिति भी गठित की गई थी।

आज क्या स्थिति है। समूचे देश में दलबदल की प्रवृत्ति फैल गई है ऐसी चीजों से देश में ईमानदारी समाप्त होती जा रही है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

कुछ महीने पहले देश के विधान मंडलों के अध्यक्षों और संविधानिक अध्ययन संस्था के समक्ष यह प्रश्न था। और उन्हें इस पर अपना निर्णय देना था। अब राजनीतिज्ञों ने यह नाटक किया है। अब केन्द्रीय गृह मन्त्री को अपने दल के हितों का भी ध्यान रखना है। वह एक बहुत चतुर व्यक्ति हैं।

परन्तु देश का शासन इस तरह नहीं चलाया जाना चाहिए। क्या संविधान का कार्यान्वयन ऐसे होना चाहिए?

राज्यपाल की नियुक्ति मुख्य मंत्री को नहीं सौंपी जा सकती। मुख्य मंत्री तो किसी भी समय बदल सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में श्री नेहरू ने एक परम्परा स्थापित की

थी कि तीन अथवा चार नामों को सुझाया जाये और उनमें से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाये। राज्य के मुख्य मंत्री से भी सलाह की जाती थी। परन्तु अब ऐसा नहीं हो रहा है। हां, पश्चिम बंगाल में ऐसा किया गया है। अन्य मामलों में प्रधान मंत्री की इच्छा के अनुसार नियुक्तियां की जा रही हैं।

मैं गृह मंत्री को सलाह देता हूँ कि वह त्यागपत्र दे दें और कोई और मंत्रालय संभालें। इस पद पर होते हुए उन्हें अनेक गलत निर्णय करने को बाध्य किया जाता है। श्री चव्हाण के लिये यह शोभा की बात नहीं है।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : When the matter concerning Punjab Assembly was raised in the Supreme Court, the court had decided that there was no decision of any speaker which could not be challenged in a court. Thus I can say that a wrong ruling of a Presiding officer can be taken to a court.

Our Speaker Shri G. S. Dhillon has said the other day that "the adjournment of the House after a date had been fixed for no-confidence motion was not proper at that time." Many newspapers have also said the same thing.

Shri Chavan had said previously that the decision to determine the majority of party in an Assembly will be taken in the Assembly. It was a decision of Presiding officers conference. I want to remined the Home Minister this thing in the context Haryana Assembly's sudden adjournment.

The prorogation of the Assembly is also not constitutional in this case. I was reading constituent Assemby debates. Shri Kamath had expressed his doubt in such circumstances. He had said that a party in power would be seeking time against motion of censure being brought against it.

I feel it is the time that we consider over the powers of Governor in this regard.....

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, it is the time for taking up half an hour discussion now.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इसे स्थगित क्यों न कर दिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा 5.30 बजे निर्धारित नहीं की गई है। इसे इस समय चल रही चर्चा की समाप्ति पर लिया जायेगा। इसलिए, मैं सोचता हूँ कि हमें इस वाद विवाद को आज समाप्त करना चाहिए और उसके बाद आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की जानी चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आधे घण्टे की चर्चा कब आरम्भ की जायेगी। आप इसे किसी दूसरे दिन के लिये स्थगित कर सकते हैं।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : The request was that while considering the sections of the constitution, whether we should pay our attention only toward its letters or should take into account its spirit also. I want to ask Shri Chavan that if according to the constitution we prorogue a House within 5 minutes after summoning it after six months, and then again we adjourn the House after summoning it within six months, it will be as complying the sections of the constitution according to its Letter, but will it be in accordance with the spirit behind it. May I know whether it was not the duty of the speaker or the Governor to see that not only the sections of the constitution but the spirit behind them is also is taken into account when a no-confidence motion is pending in the

Haryana Assembly and the speaker had admitted it and had also fixed a date for discussion, on the 3rd March. After all what is the purpose of bringing a no-onfidence motion, and for what sort of a situation such provision has been made ? This motion is brought forward when the opposition Party Challenges that the ruling Party has lost the majority. May I know whether it was not the duty of the speaker or the Governor to take a decision on the no-confidence motion, which has been brought forward for consideration ? If we say that the Governor was helpless and he had no other alternative, Shri Chavan should not forget that he gave the seme remarks when the Governors of Bengal and Panjab took adverse actions and dismissed the Government when the speakers of respective Assemblies adjourned the Houses.

I want to say that the time has come when we should consider the actions of our Governors in various situations. The time has come that the discretionary powers of the Governors be clerified]

You know, that the Governors of Punjab, Mysore and Madras have recently criticised the Central Government in their addresses to the legislative Assemblies. We say that they are representatives of the Central Government, but inspite of this they criticise the Central Government. We will have to decide in this respect that whether they are the representatives of the Central Government or they are responsible only towards the states of which they are the Governors.

The Governor of Punjab alleged that the Central Government took much time in giving decision on Chandigarh and similarly the Governor of Mysore criticised the Central Government that excesses have been done towards them in respect of Maharashtra and Mysore dispute. The Governor of Madras stated that adequate financial Assistance is not being given to them. Therefore, I say that we will have to define their powers.

I would request that if the Governor has committed a mistake, and has prorogued the House he should mend it. He should summon the session of the Assembly again and should hold discussion on the no-confidence motion.

Besides, I want to make another suggestion that the period of six months between the two session should be reduced two months so that the minority Governments in various states may not thrive for long and the sections of the constitution may not be misused. Along with this, I would like that the Governors should be given chance to immediately summon the House and hold discussion on the no-confidence motion and to redress the complaints of the parties in opposition.

श्री राम मूर्ति (मदुरै) : मैं नहीं सोचता कि देश में इस बारे में दो मत होंगे कि हरियाना के मुख्य मंत्री और अन्ततोगत्वा शासक कांग्रेस दल द्वारा विधान सभा का सत्रावसान कराने का कार्य बहुत ही निन्द्य है शासक दल उस कार्यवाही को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकता है । यह बात सबकी भावना के विरुद्ध पड़ती है कि सभा का सत्तावसान किया जाय जबकि एक अविश्वास प्रस्ताव अनिर्णित पड़ा है ।

अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था और विचार के लिये 3 मार्च की तारीख तय की थी । यदि प्रस्ताव व्यगत हो गया होता तो प्रश्न कुछ और ही होता । इसलिए ऐसी कार्यवाही करना बहुत ही गलत और निन्द्य था ।

लेकिन जिस प्रश्न से अब हम सम्बन्धित है वह यह नहीं है कि मुख्य मंत्री ने क्या कार्यवाही की, क्योंकि इस विषय पर हम यहां प्रश्न नहीं पूछ सकते क्योंकि यह विधान सभा के अधिकार के अन्तर्गत आता है ।

श्री नाथपाई ने संविधान की भावना की बात कही । उन्होंने कहा कि वह मुख्य मंत्री के

व्यवहार पर आपत्ति कर रहे थे बल्कि राज्यपाल के व्यवहार पर आपत्ति कर रहे थे मुझे प्रसन्नता है कि गृह-मंत्री महोदय ने कहा कि उस राज्य के राज्यपाल ने मुख्य मंत्री की सलाह पर कार्य किया और इसलिए जब तक मुख्य मंत्री का परामर्श संविधान के शब्दों के अनुरूप है, राज्यपाल के पास उसे स्वीकार करने तथा उस पर कार्य करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। मैं इस स्थिति से सहमत हूँ। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्री ने यही रुख उस समय भी अपनाया होता जब कि पश्चिम बंगाल का प्रश्न सामने आया था और वहां के मुख्य मंत्री ने सभा को 1 नवम्बर को बुलाने का परामर्श दिया था लेकिन राज्यपाल ने परामर्श अस्वीकार कर दिया और कहा कि 'यदि सभा को इस तारीख से पूर्व नहीं बुलाया गया तो मैं तुम्हे बरखास्त कर दूंगा'।

दूसरा प्रश्न यह है कि हमने देखा है कि विभिन्न साथियों ने संविधान की कई व्याख्यायें की हैं। श्री नाथपाई ने संविधान के उपबन्धों की प्रशंसा की। मैं प्रशंसा करने की स्थिति में नहीं हूँ। इसी संविधान के कारण ही तो इतना भ्रम पैदा हो रहा है। एक ओर इसमें ऐसा उपबन्ध है कि विधान सभा के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। दूसरा उपबन्ध यह है कि राज्यपाल को मंत्रि परिषद् के परामर्श पर कार्य करना है। संविधान के निर्माता बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें मालूम था ऐसी घटनायें घट सकती हैं, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर हुआ था। हम जानते हैं कि चुनाव कर्ता कितने पक्षपाती थे और उनका रवैया क्या था। इसलिए मैं संविधान की प्रशंसा नहीं कर सकता। आखिर, हमारा सम्बन्ध सभा के सत्रावसान से हैं। सभा का सत्रावसन करने का कार्य केवल राज्यपाल का नहीं है। संविधान के अनुसार, राज्यपाल मुख्य मंत्री के परामर्श से सत्रावसान कर सकता है। इसलिए, यह राज्यपाल की एक पक्षीय कार्यवाही नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुख्य मंत्री ने उचित ढंग से तथा प्रजातन्त्रात्मक ढंग से कार्य नहीं किया लेकिन मैं नहीं सोचता कि हमारे लिए इन दो पहलुओं को पृथक करना सम्भव है। इसलिए, मैं कहता हूँ कि उचित न्यायाधिकरण स्वयं विधान सभा है। यदि लोगों को यह न्यायाधिकरण शीघ्र उपलब्ध नहीं है तो समुचित न्याय कर्ता हरियाना के लोग हैं। वे हरियाना के लोगों के पास जायें और अल्पमत की इस कार्यवाही के विरुद्ध आन्दोलन करें। उन्हें मुख्य मंत्री पर ऐसा दबाव डालना चाहिए कि जिससे वह या तो इस आदेश को प्रतिसंहृत करे या अपने व्यवहार में सुधार करे, अन्यथा लोगों का क्रोध उन पर पड़ेगा और उनका पतन हो जायेगा। संसद को बीच में नहीं लाना चाहिए।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार नहीं हूँ।

श्री बेवव्रत बरुआ (कलियाबोर) : सत्रावसान का प्रभाव यह पड़ता है कि संसद को दुबारा बुलाने तक सारा कार्य स्थगित हो जाता है। सभा के सामने जो कार्य होता है वह स्थगित हो जाता है जिसमें अविश्वास प्रस्ताव भी शामिल है। वास्तव में श्री नाथपाई की इस तथ्य की जानकारी है और इसीलिए उन्होंने राज्यपाल की शक्तियों राष्ट्रपति की शक्तियों अथवा संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत शरण ली है।

जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि राज्य का राज्यपाल केन्द्रीय सरकार का प्रतीक तथा एजेंट है। अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत उसे मुख्य मंत्री के परामर्श पर कार्य करना

पड़ता है और यह अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा स्वविवेक के प्रयोग के बारे में भी बताया है। मेरे विचार से संविधान में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि राज्यपाल मुख्य मंत्री से कुछ कार्य करवा सकता है। राज्य विधान सभा एक माननीय संकाय नहीं है। यह भी भारतीय जनता की प्रभुसत्ता का एक अंग है। राज्य विधान मंडल की किसी भी बात पर यहां वाद-विवाद नहीं करना चाहिए। राज्यपाल द्वारा कार्यवाही किये जाने पर अथवा न किये जाने पर केन्द्रीय सरकार के कर्त्तव्य की आलोचना की गई है। राज्यपाल द्वारा कार्यवाही किये जाने पर अथवा न किये जाने पर एक अथवा दूसरे दल द्वारा जरूर आलोचना की जाती है। ऐसी कार्यवाहियों का हम पर भी असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में हमारे दल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे श्री चन्द्र भानु गुप्त को कुछ दिन पहले सभा बुलाने को कहें लेकिन श्री गुप्त 11 फरवरी के लिए अड़े रहे। उस समय राज्यपाल का निर्णय मेरे दल के विरुद्ध था मेरे दल ने यहां आकर शोर नहीं मचाया।

अतः, स्थिति यह है कि जब विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव पास किया गया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय बहुमत था और यह बात सरकार में विश्वास की अभिव्यक्ति थी, सभा के नेता ने प्रस्ताव किया था और मैं सोचता हूँ कि अगर प्राधिकार के दुरुपयोग की सम्भावना है तो हम निश्चित रूप से नियम निर्धारित करेंगे जिनके द्वारा हम एक स्थगन प्रस्ताव का प्रस्ताव रखने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा सकेंगे। लेकिन एक बार जब किसी चीज की सिफारिश की जा चुकी है और मुख्य मंत्री ने उसका प्रस्ताव रखा था और सभा द्वारा वह पास की जा चुकी है तो मैं नहीं सोचता कि राज्यपाल किस प्रकार मुख्य मन्त्री को उसे अस्वीकार करने के लिए बाध्य कर सकता है।

किसी भी प्रकार, यह मुख्य मन्त्री का निर्णय नहीं था। यह सभा का निर्णय था। यह हरियाना विधान सभा का निर्णय था कि सभा को स्थगित किया जाय। यह बहुमत द्वारा पास किया गया। एक राज्यपाल किस प्रकार विधान सभा के विरुद्ध जा सकता है और वह यह कैसे कह सकता है कि यह स्थगन उचित नहीं है। यह तो संवैधानिक संकट पैदा करने के समान हो जायेगा। अतः मैं सोचता हूँ कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : हमने देखा है कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया गया है। शासक दल को यह एक फायदा है। कई अवसरों पर राजनीति से निकाले गये व्यक्तियों को जिनको कि सेवा निवृत्ति हो जाना चाहिए था, विभिन्न राज्यों पर राज्यपालों के पदों पर नियुक्त किया गया।

राज्यपालों के, विधान सभाओं को बुलाने, भंग करने, मुख्यमंत्री को नामजद करने आदि के अधिकार दिये गये थे, वे अधिकार आजकल बहुत विस्तृत तथा बड़े हैं। यह कहना एक एक बात है कि एक चीज असंवैधानिक है और यह कहना एक दूसरी बात है कि यह अलोकतांत्रिक है। राज्यपालों द्वारा दिये गये अधिकांश निर्णय संवैधानिक हैं लेकिन वे अलोकतांत्रिक हैं। तो गलती कहां पर है। यह स्वयं संविधान में है क्योंकि संविधान ने इतने स्वेच्छा अधिकार दिये हैं कि उनकी परिभाषा नहीं की जा रही है। राज्यपालों के कार्यों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अभी तक परिभाषा नहीं की गई है। इसलिये ये बातें उनके स्वविवेक पर निर्भर होती है।

यही हमारी स्थिति रही है, अर्थात राज्यपाल को अपनी स्वेच्छ शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति न दी जाय, चाहे ये संवैधानिक हो अथवा अन्यथा। भारतीय लोकतन्त्र के लिए यही एक रक्षात्मक उपाय है।

उस समय की, जबकि इस समय में पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में चर्चा चली थी, मेरे दल तथा मैंने दृढ़तापूर्वक यह कहा था कि हमें उस विषय पर यहाँ चर्चा नहीं करनी चाहिए जो किसी राज्य की विधान सभा में घटित हुआ है अन्यथा उस विधान सभा में भी उस विषय पर वाद-विवाद होने लगेगा जो कुछ इस सभा में हो रहा है। श्री चव्हाण ने कहा कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है यदि राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो जाय कि मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं है। तब भी मेरा यह प्रश्न है कि इस बात की जाँच कौन करेगा कि क्या मुख्यमन्त्री ने बहुमत खो दिया है। यह जाँच विधान मण्डल करेगा अथवा राजभवन में बठा राज्यपाल ? विधायकों के हस्ताक्षरों से भी काम नहीं चलेगा। इसका निर्णय तो केवल समुचित रूप से उचित विधान मण्डल ही कर सकता है। विधान सभा दो बातों के अन्तर्गत काम करती है स्वयं अपने प्रक्रिया के नियम और संविधान। जब तक वे इनके अन्तर्गत कार्य करते हैं तब तक हम विधान मण्डल के किसी भी निर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकते। अपनी गलती को ठीक करना विधान मण्डल का काम है। प्रक्रिया के नियमों तथा संविधान में संशोधन किया जाय।

जब कभी भी बहुमत अथवा 30 या 40 प्रतिशत विधायक सभा बुलाना चाहे, उसे एक सप्ताह के अन्दर बुला लेना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि राज्यपाल मुख्य मंत्री के परामर्श के विरुद्ध कार्य करे। इस मामले में भले ही ठीक हो लेकिन यह बात अन्य कई मामलों में ठीक नहीं होगी क्योंकि राज्यपाल लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य कर सकता है। इसलिए इस अन्तराल को दूर करने के लिए प्रक्रिया नियमों तथा संविधान में संशोधन करना चाहिए।

हमें राज्यपालों के कार्यों तथा शक्तियों का संवैधानिक पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और उन कार्यों तथा शक्तियों की संवैधानिक रूप से परिभाषा करनी चाहिए। संविधान में ऐसा संशोधन करना चाहिए कि जब कभी विधायकों की अपेक्षित संख्या सभा बुलाना चाहे तो एक निर्धारित अन्तरालय के अन्दर उसे बुलाया जाय। सत्रावसान, बर्खास्तगी आदि के बारे में हमें निश्चित उपबन्ध करने चाहिए। इसे राज्यपाल की इच्छाओं पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

डा० बी०जी० खेर ने संविधान सभा में कहा था कि एक राज्यपाल, यदि वह अच्छा राज्यपाल हो तो बहुत अच्छा कार्य कर सकता है और अगर वह अच्छा राज्यपाल नहीं हो तो बहुत परेशानी भी पैदा कर सकता है।

जब तक राज्यपाल की स्वेच्छ शक्तियां रहेंगी तब तक यह प्रश्न बार-बार उठता रहेगा। इस सत्र के पहले-पहले दिन हमने उत्तर प्रदेश तथा बिहार के राज्यपालों के कार्यों, कर्तव्यों की चर्चा की। आज सत्र के दसवें दिन हम इस बारे में फिर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न बार-बार सभा के सामने आयेगा।

जब तक राज्यपाल के कार्यों तथा शक्तियों की संविधान में परिभाषा नहीं दी जाती इस प्रकार की कठिनाइयां तो आती रहेंगी। किसी राज्य के हित की, विधान सभा के निर्णय को अथवा मुख्य मन्त्री के निर्णय को राज्यपाल पर नहीं छोड़ा जा सकता।

हरियाणा के मामले में, यदि राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री की सलाह को न माना होता तो भी शिकायतें होती। यदि मुख्य मन्त्री सभा को स्थगित करके निर्णय को स्थगित करने का प्रयत्न करता है तो यह संविधान की भावना के विरुद्ध है।

जब तक संविधान तथा नियमों में उचित संशोधन नहीं किया जाता राज्यपाल की शक्तियों पर आपत्तियां उठाई जाती रहेंगी और कठिनाइयां पैदा होती रहेंगी।

श्री बासुदेवन नायर (पीरमाडे) : पश्चिमी बंगाल में संकट के समय केन्द्रीय सरकार के निश्चित रूप से राज्यपाल के पद का अपने हित में उपयोग करने का प्रयत्न किया था। मेरे माननीय मित्र श्री नाथपाई ने राज्यपालों के कृत्यों की परिभाषा देने का प्रयत्न किया। वास्तव में हम राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि राज्यपाल हमारी मर्जी के अनुसार कार्य करें। मेरे दल का दृष्टिकोण यह है कि राज्यपाल को संविधान के अन्तर्गत वास्तविक शक्तियां नहीं दी गई हैं, वह केवल बराये नाम हैं। हम नहीं चाहते कि राज्यपाल राजनीति में भाग लें। हरियाणा में राजनीति का खेल चल रहा है। हम इस बात से सहमत हैं कि हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने जो कुछ किया वह अच्छा नहीं किया और इस कारण हरियाणा के शासक दल को बड़ा धक्का लगा है। 27 तारीख तक उनके पास बहुसंख्यकों का समर्थन प्राप्त नहीं था और वे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए 3 तारीख तक का समय चाहते थे। फिलहाल श्री बंसीलाल को थोड़ी राहत मिल गई है। किन्तु राजनीति की शतरंज का खेल वहां अभी चलता रहेगा।

जब तक शासक दल के कुछ सदस्य त्यागपत्र नहीं देते राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। राज्यपाल मुख्य मन्त्री को केवल सलाह दे सकते हैं उस पर अपना निर्णय नहीं ला सकते। राज्यपाल को केवल मुख्य मन्त्री की सलाह ही स्वीकार करनी चाहिए। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो राज्यपाल की स्थिति बिल्कुल सुरक्षित हो जायेगी।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे एक गलत मिसाल कायम हो जायेगी क्योंकि यह हरियाणा की विधान सभा पर आक्षेप होगा। इन सब बातों का निर्णय विधान सभाओं के सदस्यों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। यह सदन उन बातों की चर्चा के लिए उचित नहीं है।

***श्री जे० एच० पटेल** (शिमोगा) : अब हम हरियाणा की स्थिति सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर इस सभा में चर्चा कर रहे हैं। पहले हम अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति दिये बिना सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने के अध्यक्ष के निर्णय तथा दूसरे विधान सभा के सत्रावसान के लिए सहमत होने में राज्यपाल की अनुचित कार्यवाही पर चर्चा

*कन्नड में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English Translation of speech delivered in Kannada.

करेंगे । इस मामले पर चर्चा करते समय मैं यह बताना चाहूँगा कि केन्द्रीय सरकार गत 20 वर्षों से संविधान के उपलब्धों की भावना और शब्दों का अनुसरण नहीं कर रही है । जिससे लोगों की लोकतन्त्रात्मक प्रणाली से निष्ठा उठ गयी है । इस सम्बन्ध में मुझे भूतपूर्व अध्यक्ष के विचारों की याद आ गई है कि अध्यक्ष को ऐसे मामलों में स्वयं निर्णय करने की बजाये उन्हें सभा के सामने रखना चाहिए । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के राज्यपाल ने संविधान के उपबन्धों के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया । हाल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब कार्यकारिणी ने संविधान का उल्लंघन किया है । यह बात उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों से स्पष्ट हो जाती है ।

मैं नहीं कहता कि संविधान सब प्रकार से पूर्ण है । इसमें बहुत सी कमियां हैं परन्तु जनसाधारण की भलाई के लिए संविधान के अनुसार कार्य करना हमारा कर्तव्य है । उसका उल्लंघन करने पर हमें दण्ड दिया जाना चाहिए । आजकल होता यह है कि यदि कोई शक्तिशाली मनुष्य गलती करता है तो वह संविधान के अन्तर्गत संरक्षण मांगता है जबकि दूसरी ओर एक कमजोर आदमी को सच्च बोलने पर भी न्याय नहीं मिलता । हरियाणा में सभा को अनिश्चित काल तक स्थगित करके एक गलत चीज की गई है ताकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा न हो सके । अत: मैं समझता हूँ कि राज्यपाल का पद समाप्त किया जाना चाहिए । दूसरे संविधान के संशोधन करने के लिये दूसरी संविधान सभा बनाई जानी चाहिए ।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : हरियाणा में सभा के सत्रावसान से पूर्व स्थिति यह थी कि सभा के संकल्प द्वारा सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था । सभा के सामने उस समय कुछ विधान कार्य था और एक अविश्वास प्रस्ताव था । राज्यपाल ने सभा का सत्रावसान करके सभा के अपना कार्य पूरा करने के अधिकारों का हनन किया है । ऐसा करके क्या राज्यपाल ने संविधान की रक्षा करने की अपनी शपथ को निभाया है ? नहीं ।

राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है । अत: गंभीर मामलों में राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करने का इस सभा को अधिकार है । अत: यह कहना कि हरियाणा विधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती, सही नहीं है । संविधान के अनुसार किस तरह काम होता है । हम इस विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं ।

अब प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल को जैसा करना चाहिए था क्या वैसा उन्होंने किया है । राज्यपाल का पहला कर्त्तव्य है संविधान का पालन करना । राज्यपाल यह शपथ लेते हैं कि वह संविधान की रक्षा करेंगे चाहे मुख्य मन्त्री कुछ भी सलाह क्यों न दें । उन्होंने संविधान की उपेक्षा करते हुए मुख्य मन्त्री की सलाह को स्वीकार कर लिया । पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि मुख्य मंत्री को बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं इसका फैसला सभा में होगा । अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इसी बात का फैसला किया जाना था । सभा का सत्रावसान करके राज्यपाल ने लोकतन्त्र को चोट पहुंचाई है । अतः सभा को इस पर गहरी चिंता प्रकट करने का अधिकार है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Dy. Speaker *in the Chair*]

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : Had I been the Home Minister of India, I would not have brooked this irregularity even for a minute. First they took up the gauntlet and then fled from the field. The session of the Assembly should be called without my further delay to test the majority of the ruling party. They should have no cause for fear. If they prove their majority, as is claimed by them, they loss nothing by conventing the Assembly. But if they do not command majority, their continuance in power is an affort to democracy.

Shri Ram Kishan Gupta (Hissar) : Sir, without from transferring the limits imposed by you, I would like to say that on that fateful day a deputation met the Governor, apprised him of all the development and requested him to intervene. There is a word "may" in the relevent Article of the Constitution and as such the Governor is not obliged to prorogue the Assembly. I therefore, submit that the Haryana Assembly should be convened at the earliest.

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : जैसा कि आपने ठीक कहा है विधान सभा में जो कुछ हुआ है हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। परन्तु विधान सभा में जो कुछ हुआ है उससे पता चलता है कि राज्यपाल ने क्या किया अथवा मुख्य मन्त्री ने क्या सलाह दी।

कुछ ऐसी चीजें हैं जो अध्यक्ष महोदय ने की है तथा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो विरोधी दलों तथा सत्तारूढ़ दल ने की है। सभा में भी कुछ चीजें हुई हैं। इसके बाद मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल को कुछ सलाह दी जिस पर उन्होंने कार्यवाही की।

मैं नहीं समझता कि मुख्य मन्त्री ने जो कुछ किया है उस पर यहां चर्चा करना ठीक है। हमें यहां यह देखना चाहिए कि जो कुछ राज्यपाल ने किया है वह सवैधानिक दृष्टि से ठीक है अथवा नहीं। संविधान की भावना और शब्दों का अनुसरण करना राज्यपाल का कर्त्तव्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह अपने कर्त्तव्य से च्युत होता है। परन्तु हमें यह देखना है कि संविधान की भावना और शब्दों से क्या तात्पर्य है। इसका हमें निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये। मैं श्री नाथ पाई से पूर्णतया सहमत हूँ कि हमें सम्पूर्ण संविधान की व्याख्या करनी चाहिए। जब हम राज्यपाल के कर्त्तव्य को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें संविधान की संघीय प्रणाली में राज्यपाल राज्यविधान मण्डल तथा मुख्य मंत्री के कर्त्तव्यों को भी समझना होगा तथा यह देखना होगा कि राष्ट्रपति तथा केन्द्र से उनका क्या सम्बन्ध है।

जैसा कि मैंने 1967 में कहा था राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है तथा वह तीन मामलों को छोड़कर राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। इन तीन मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 239(2) के अन्तर्गत जब उसे संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर लिया जाता हैं तो वह अपनी मर्जी से काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत वह ऐसे विधेयक को अपनी सम्पत्ति देने से मना कर सकता है जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियां कम होने की सम्भावना हो। तीसरे, जब वह अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत रिपोर्ट देता है तो वह उसे अपनी मर्जी से देता है। इन तीन मामलों के अलावा वह राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। अतः यदि हम समझते हैं कि संविधान के नाम पर यहां से कोई भी व्यक्ति राज्यपाल को आदेश दे सकता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में संघीय प्रणाली चल नहीं सकती।

हरियाणा में राज्यपाल ने जो किया है अब हम उस पर आते हैं। हरियाणा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत वहां की सभा बहुमत से स्थगित की जा सकती है। इसके साथ-साथ यह भी नियम है कि अध्यक्ष उसे पुनः बुला नहीं सकता। इस तरह से सभा के स्थगन तथा सजावसान का एकसा ही प्रमुख होता है। श्री नाथ पाई कहते हैं कि राज्यपाल को सत्रावसान करने से इंकार कर देना चाहिये था जिससे सभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अवसर मिल जाता। यदि यह विधान सभा का सत्रावसान न भी करते तब भी वह बैठक नहीं बुला सकता था जब तक मंत्रिमण्डल अध्यक्ष से उसे बुलाने की प्रार्थना न करता। अतः अविश्वास प्रस्ताव को जो भी कुछ हुआ है उसका उत्तरदायित्व सभा तथा अध्यक्ष का है तथा उस पर यहां पर चर्चा न की जा सकती।

राज्यपाल को यह भी देखना होता है कि मुख्य मंत्री को बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं। राज्यपाल ने बिना सोचे समझे ही ऐसा नहीं किया बल्कि कुछ घटनाओं को देखते हुए जो वहाँ पर हुई। एक घटना यह हुई थी कि मुख्य मंत्री ने यह प्रदर्शित किया था कि उन्हें बहुमत प्राप्त है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस बात से संतुष्ट होना उसका कर्त्तव्य नहीं था कि मुख्य मंत्री को बहुमत प्राप्त है या नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि राज्यपाल ने यह समझा कि सत्रावसान की अनुमति न देने से भी समस्या हल नहीं हो सकती जब तक मुख्य मंत्री पुनः अधिवेशन बुलाने के लिए सहमत नहीं हो जाता।

अतः में समझता हूं कि इस मामले में मुख्य मंत्री की सलाह को स्वीकार करने के अलावा राज्यपाल के लिए और कोई चारा नहीं था। संविधानिक दृष्टि से भी यह उसका कर्त्तव्य था। केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की सलाह देता कि वे संविधान का उल्लंघन करे गलत है मैं उनकी सलाह कभी स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : चाहे इस मामले पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। सारी चर्चा का विषय यह था कि राज्यपाल को भारत के संविधान के ढांचे में कैसे कार्य करना चाहिये। श्री चव्हाण ने कहा है कि "मैंने स्थिति को बदला नहीं है" अतः मूल प्रश्न अधूरा रह गया है। सभा के स्थगन और सत्रावसान में बहुत अन्तर है। यदि सभा को स्थगित किया जाता तो सभा के सम्मुख कार्य समाप्त नहीं होता परन्तु यदि सभा का सत्रावसान किया जाता तो अविश्वास प्रस्ताव भी व्ययगत हो जाता है।

मेरे माननीय सदस्य ने अध्यक्ष संजीव रेड्डी के भाषण को उद्धरित किया है। मैं उस सम्मेलन के संकल्प को उद्धरित कर रहा हूँ। संकल्प में कहा गया है कि अब अविश्वास प्रस्ताव हो तो विधान सभा को स्थगन प्रस्ताव लाकर रोका नहीं जायेगा। इससे हम सहमत नहीं हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि मान लीजिये इस सभा में कोई ऐसा प्रस्ताव है जिस में केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमण्डल में अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त किया गया है। आपने उसे स्वीकार कर लिया है तथा उसकी चर्चा के लिये समय भी निर्धारित कर दिया गया है। मैं जानता हूँ कि नियम 15 के अन्तर्गत सभा को स्थगित करने और उसे बुलाने का आपको अधिकार है। तथापि हमें विश्वास

है आप अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे । परन्तु हरियाणा विधान सभा के नियमों में नियम 16 भिन्न है । हमें यह भी पता है कि आप उस शक्ति का बिना सोचे विचारे प्रयोग नहीं करेंगे । राज्यपाल को इस विवेक का प्रयोग करना चाहिये था ।

हमारे संविधान में बहुत कमियां है । अतः हमें उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । परन्तु हमें इस का उल्लंघन नहीं करना चाहिये । हरियाणा में उसे अब खतरा हो गया है ।

गलती को गलती मानना भारी सफलता है । यदि गलती को देख लिया जाये तो हमें यह देखना चाहिये कि वह गलती पुनः न हो । संसद से बड़ी और कोई प्राधिकार नहीं है जो इसे कर सकता है । हमें राज्यों के अधिकारों की छीनना नहीं है परन्तु क्या हमें भारत के संविधान की भावना का उल्लंघन किये जाने पर चुप बैठे रहना चाहिये । इसका उत्तर आपको मुझे तथा श्री चव्हाण को देना चाहिये ।

श्री तुलसीदास के लाभार्थ श्री चव्हाण ने कल कहा था कि संविधान पर मतभेद हो सकते हैं मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे मत भिन्न हो सकते हैं परन्तु क्या हमारी राय इस मामले पर भिन्न हो सकती हैं । चाहे हम किसी भी दल के सदस्य क्यों न हो यदि हम सही शपथ लेते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा संविधान रक्षित है । यही कारण है कि मैंने कि अनुच्छेद 356 का उल्लेख किया है जिसके अन्तर्गत यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाते है कि संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया है तो वह कार्यवाही कर सकते हैं । उन्हें संतुष्ट करना श्री चह्वाण का काम है तथा श्री चव्हाण को संतुष्ट करना हमारा काम है ।

मैं तो यह समझता हूं कि भारत के राष्ट्रपति से यह आग्रह किया जाना चाहिए कि हरियाणा के राज्यपाल को ऐसी हिदायतें दी जायें कि हरियाणा के लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से यह निर्णय करने के लिये अपने मूलभूत अधिकार का प्रयोग करें कि सरकार को बहुमत प्राप्त है । हमें यह देखना चाहिए कि संविधान की भावना का उल्लंघन न किया जाये ।

मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें क्योंकि मैं यह महसूस करता हूँ कि संसद् का काम किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करना नहीं है बल्कि अच्छी अच्छी परम्परायें स्थापित करना है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि यह सभा हरियाणा विधान सभा के सत्रावसान पर, जबकि मन्त्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव गृहीत किया जा चुका था और उस पर सभा द्वारा विचार किया जाना था, गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और उसे संविधान की भावना का घोर उल्लंघन मानती है जिससे लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में हमारे लोगों की निष्टा के कम हो जाने की सम्भावना है ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 35 ; विपक्ष में : 124

Ayes : 35 ; Noes : 124

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रसन्न हूँ कि इस विषय पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है । इससे बहुत-सी गलतफहमियां दूर हो गई हैं । मैं समझता हूँ राज्यपाल तथा अध्यक्ष को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए ।

अब आधे घंटे की चर्चा सोमवार को होगी ।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार 5 मार्च, 1970/14, फाल्गुन 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 5th March, 1970/14 Phalguna, 1891 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.